Website Link- https://mib.gov.in/

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

(बाएं से दाएं) भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश (सेवानिवृत), भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई; केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव; केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने 25 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली के सूचना भवन में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान 'स्वच्छता ही सेवा' की शपथ दिलाई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

विषय-सूची

1.	एक अवलोकन	9
2.	नई पहल	13
3.	प्रमुख गतिविधियां	19
4.	सूचना क्षेत्र	29
5.	प्रसारण क्षेत्र	71
6.	फिल्म क्षेत्र	105
7.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	127
8.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण	131
9.	सेवा में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व	133
10.	राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग	135
11.	महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां	137
12.	सतर्कता संबंधी मामले	139
13.	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण	143
14.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	147
15.	लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा	151
16.	लेखा पैरा	159
17.	कैट के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन	161
18.	योजना परिव्यय	163
19.	मीडिया इकाई-वार बजट	165
20.	सांगठनिक ढांचा	169

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के क्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के साथ नई दिल्ली में 'स्वच्छता ही सेवा' पहल के तहत पौधा लगाया।

7 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में 'जन भागीदारी से जन कल्याण' विषय पर केंद्र सरकार के आधिकारिक कैलेंडर के लोकार्पण के अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के महानिदेशक श्री योगेश कुमार बावेजा।

1 एक अवलोकन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जन संचार के मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रस्तुत करने का महत्त्वपूर्ण कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयां रेडियो, टेलीविज़न, फिल्मों, प्रेस तथा प्रिंट प्रकाशनों, डिजिटल और सोशल मीडिया, पोस्टरों, विज्ञापनों के साथ-साथ संचार के पारंपरिक तरीकों- नृत्य, नाटक, लोक गायन, कठपुतली शो के ज़रिए जनसामान्य तक जानकारी के मुक्त प्रवाह और प्रसार को सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाती हैं।

मंत्रालय राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का ध्यान केंद्रित करने और विकासात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने में सरकार की सहायता करता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निजी प्रसारण क्षेत्र, लोक प्रसारण सेवा (प्रसार भारती) के प्रशासन, भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के मल्टीमीडिया विज्ञापन और प्रचार, फिल्म प्रचार एवं प्रमाणन तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया के विनियमन से जुड़े नीतिगत मामलों का केंद्र भी है।

मंत्रालय को कार्यात्मक रूप से तीन क्षेत्रों- सूचना, प्रसारण और फिल्म में विभाजित किया गया है। मंत्रालय अपनी 7 मीडिया इकाइयों/संबंधित तथा अधीनस्थ कार्यालयों, 2 स्वायत्त निकायों, 3 प्रशिक्षण संस्थानों और 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के प्रमुख सचिव होते हैं। सचिव की सहायता के लिए 1 अपर सचिव, 1 अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए), 1 वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, 4 संयुक्त सचिव और 1 संयुक्त सचिव होते हैं। निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक/अपर आर्थिक सलाहकार/पीएसओ/वरिष्ठ पीपीएस स्तर पर 25 अधिकारी तथा अवर सचिव/उप निदेशक/पीपीएस स्तर पर 34 अधिकारी एवं 69 सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव स्तर के अधिकारी और 291 अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी होते हैं।

सूचना क्षेत्र प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों तथा गतिविधियों के बारे में सूचना प्रसार और जागरुकता पैदा करने; प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सरकारी विज्ञापनों की दर तय करने के लिए नीति निर्देशों के निर्धारण और प्रेस तथा आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 तथा प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 को लागू करने का कार्य करता है।

प्रसारण क्षेत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से सरकार की योजनाओं एवं पहल को जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय की सहायता करता है। यह क्षेत्र प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को प्रशासित करके लोक प्रसारकों की देख-रेख का कार्य भी करता है। यह केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से निजी टीवी चैनलों और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को भी विनियमित करता है। यह डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को संबंधित परिचालन के लिए लाइसेंस देता है। निजी एफएम रेडियो नेटवर्क को मंत्रालय द्वारा एफएम चैनलों की नीलामी और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

फिल्म क्षेत्र, फिल्मों और फिल्मी सामग्री के उत्पादन, प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें वृत्तचित्रों का निर्माण, अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सवों का आयोजन, पुरस्कार की संस्था द्वारा अच्छी फिल्मों का संवर्धन शामिल है। यह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन, विकास तथा संवर्धन गतिविधियों सहित फिल्म उद्योग से जुड़े अन्य मामलों को देखता है।

(i) डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों के प्रकाशकों की सामग्री (ii) ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों से जुड़े विषयों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कार्य आवंटन नियमावली, 1961 में संशोधन के बाद 9 नवंबर, 2020 को जारी की गई अधिसूचना के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमिडियरी दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2022 को अधिसूचित किया गया था, ताकि डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशकों (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के विनियमन के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान किया जा सके। इन नियमों का भाग-III, अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार

और समसामयिक घटनाक्रमों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता और ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है।

केंद्र सरकार ने 28 जुलाई, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से कार्य आवंटन **नियमावली** में संशोधन किया परिणामस्वरूप, ऑनलाइन विज्ञापनों से संबंधित विषय और ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं/प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जनादेश में लाया गया है। मंत्रालय के कार्य आवंटन नियमावली के तहत संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार हैः

वीए. **"डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया**

22क. ऑनलाइन कंटेंट प्रदाताओं/**प्रकाशकों** द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम/**कंटेंट**।

22ख. ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर समाचार और समसामयिक घटनाक्रम संबंधी कंटेंट।

22ग. **ऑनलाइन विज्ञापन।"**

मंत्रालय का संगठनात्मक स्वरूप

मीडिया इकाई/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
2. केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी)
3. भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई)
4. प्रकाशन विभाग (डीपीडी)
5. न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू)
6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)
7. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

स्वायत्त संगठन

1. भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई)
2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)

शैक्षणिक संस्थान

1. भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली
2. भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, पुणे (एफटीआईआई)
3. सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 21 जून, 2024 को नई दिल्ली के लोदी गार्डन में 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' समारोह का नेतृत्व किया।

17 मई, 2024 को फ्रांस के कान्स में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पोस्टर लॉन्च किया गया।

2 नई पहल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के दौरान अपने सभी संगठनों और क्षेत्रों में कई पहल की और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नई पहल और उपलब्धियों का अवलोकन इस प्रकार है:

मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था

- **भारत द्वारा 'विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएवीईएस-वेव्स)' की मेजबानी** : भारत के प्रधानमंत्री के दावोस जैसे वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के दृष्टिकोण के अनुरूप, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को 'विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)' की अगुवाई के लिए काम सौंपा गया। 'वेव्स' मीडिया और मनोरंजन (एम एंड ई) उद्योग में चर्चा, सहयोग और नीति हस्तक्षेप के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए तैयार है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के उद्योग के नेताओं, नीति-निर्माताओं, निवेशकों और नवप्रवर्तकों को भारत के तेजी से बढ़ते मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के साथ जोड़ना है। फिल्म, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, गेमिंग, विज्ञापन और एआर/वीआर/एक्सआर प्रौद्योगिकियों सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए 'वेव्स' वैश्विक सामग्री पावरहाउस के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

- **एक अनोखे मंच के रूप में 'वेव्स'**: 'वेव्स' ऑडियो, वीडियो और मनोरंजन उद्योगों को एकजुट करता है तथा रचनात्मकता, निवेश और नीति विकास के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी-तंत्र को बढ़ावा देता है। कहानी कहने, सामग्री विकास और नवाचार के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में 'वेव्स' रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक विकास और उद्योग विस्तार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।

- **क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन-I**: 29 सितंबर, 2024 को **'मन की बात'** के 114वें संस्करण में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सृजनकर्ताओं को 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज' में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 22 अगस्त, 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च की गई इस पहल में गेमिंग, एनिमेशन, फिल्म निर्माण और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों के लिए 25 चुनौतियां शामिल हैं, जो संगीत, शिक्षा और एंटी-पायरेसी में विकास के अवसरों पर प्रकाश डालती हैं। 10,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त करने वाली इस चुनौती ने 'विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)' से पहले काफी उत्साह पैदा किया।

- **वेव्स एनीमे और मंगा प्रतियोगिता का शुभारंभ**: 'वेव्स' शिखर सम्मेलन 2025 के अग्रदूत के रूप में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और मनोरंजन संघ के सहयोग से भारत में एनीमे और मंगा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 24 सितंबर, 2024 को आधिकारिक तौर पर 'वेव्स एनीमे और मंगा प्रतियोगिता (डब्ल्यूएएम!)' का शुभारंभ किया, जो 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज' का हिस्सा है।

- **भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) की स्थापना**: 8 अक्टूबर, 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में **भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)** की स्थापना की घोषणा की। आईआईसीटी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 25 दिसंबर, 2024 को एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। आईआईसीटी भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) इकोसिस्टम का संचालन करेगा। आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर तैयार किए गए आईआईसीटी का उद्देश्य रचनात्मक कौशल और नवाचार को बढ़ावा देना है, जिससे भारत वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बन सके।

नीतियां, नियम और दिशा-निर्देश

- **234 नए शहरों में निजी एफएम रेडियो की शुरुआत**: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल

ने 28 अगस्त, 2024 को निजी एफएम रेडियो चरण-III नीति के तहत 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य के साथ 234 नए शहरों/कस्बों में 730 चैनलों के लिए आरोही ई-नीलामी के तीसरे बैच के परिचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने एफएम चैनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क को माल और सेवा कर को छोड़कर सकल राजस्व के 4% के रूप में चार्ज करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। 234 नए शहरों/कस्बों में निजी एफएम रेडियो की शुरुआत से इन शहरों/कस्बों में एफएम रेडियो की अपूरित मांग पूरी होगी, जो अभी भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं और मातृभाषा में नई/स्थानीय सामग्री लाएंगे। इससे रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति तथा 'वोकल फॉर लोकल' पहल को बढ़ावा मिलेगा। स्वीकृत किए गए कई शहर/कस्बें आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से इन क्षेत्रों में सरकारी पहुंच और मजबूत होगी।

संस्थानों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

- **आईआईएमसी में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटनः** केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 27 अगस्त, 2024 को दिल्ली मुख्यालय में भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया।

- **भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा स्नातकोत्तर कार्यक्रमः** शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईएमसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किए जाने के बाद, आईआईएमसी की अकादमिक परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान आयोजित किए जाने वाले दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दिया।

- **एसआरएफटीआई और एफटीआईआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जाः** शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), दोनों संस्थानों को विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

- **फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआई), अरुणाचल प्रदेश में पहला बैचः** फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआई), अरुणाचल प्रदेश में छात्रों के पहले बैच के लिए सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) में सितंबर, 2024 में अभिविन्यास और साक्षात्कार सत्र आयोजित किया गया।

फिल्में

- **55वें आईएफएफआई 2024 में नई शुरुआतः**

  - उभरती हुई फिल्म निर्माण प्रतिभाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 20 से 28 नवंबर, 2024 तक गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) ने ***'सर्वश्रेष्ठ डेब्यू भारतीय फिल्म'*** **नामक एक नया खंड पेश किया, और पहली बार, *'भारतीय फ़ीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक'* का पुरस्कार प्रदान किया गया,** जिससे युवा रचनाकारों पर महोत्सव के फ़ोकस पर ज़ोर दिया गया।

  - फिल्म बाज़ार में एक समर्पित **'वीएफएक्स और प्रौद्योगिकी मंडप' ने एआई, वीएफएक्स और फिल्म निर्माण उपकरणों** में अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित किया, जो सिनेमा में तकनीकी प्रगति को अपनाने के लिए महोत्सव की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक अभूतपूर्व पहल में, 'फिल्म बाज़ार 2024' ने **सह-निर्माण बाज़ार फ़ीचर नकद अनुदान** भी पेश किया, जिसमें शीर्ष तीन परियोजनाओं को उनकी उत्कृष्ट क्षमता के लिए पुरस्कृत किया गया।

  - फिल्म स्क्रीनिंग, प्रदर्शनियों और श्रद्धांजलि से आगे, आईएफएफआई 2024 ने भारतीय सिनेमा के चार महान दिग्गजों- **राज कपूर, तपन सिन्हा, अक्किनेनी नागेश्वर राव और मोहम्मद रफी** को श्रद्धांजलि देने और उद्योग में उनके अद्वितीय योगदान की शताब्दी को चिह्नित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया।

- **एफटीआईआई के छात्र फिल्म ऑस्कर के लिए पात्र :** फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के छात्र फिल्म 'सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन्स टू नो' ने 2025 के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त की। लघु फिल्म ने पहले कान्स फिल्म महोत्सव के 'ला सिनेफ' चयन में पहला पुरस्कार जीता था, जिससे इसे वैश्विक मान्यता मिली।

प्रोग्रामिंग और प्रसारण

- **नए ओटीटी प्लेटफॉर्म 'वेव्स' का शुभारंभः 20 नवंबर, 2024** को गोवा में 55वें (इफ्फी) के उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रीय लोक प्रसारक **प्रसार भारती** के प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म **'वेव्स'** का शुभारंभ किया गया। 'वेव्स' एक व्यापक **एग्रीगेटर ओटीटी प्लेटफॉर्म** है, जो समावेशी भारत की कहानियों को प्रदर्शित करता है, जिसमें 12 से अधिक भाषाओं में विविध सामग्री और इन्फोटेनमेंट की **10+ शैलियों** को शामिल किया गया है।

- **दूरदर्शन के 65 वर्षः** भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सितंबर, 2024 में अपनी 65वीं वर्षगांठ पूरी करने पर गर्व है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को मनाने के लिए डीडी नेशनल द्वारा 15 सितंबर, 2024 को सुबह 10 बजे ***'दिल से दूरदर्शन, डीडी@65'*** नामक एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया और रात 8 बजे इसका दोबारा प्रसारण किया गया।

- **मिज़ोरम को सशक्त बनाने के लिए 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभः** केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 25 जुलाई, 2024 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से मिज़ोरम के पहले और भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और मिज़ोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा भी मौजूद थे। आइज़ॉल में भारतीय जन संचार संस्थान के **'अपना रेडियो 90.0 एफएम'** का उद्देश्य नागरिक-केंद्रित विषयों पर स्थानीय लोगों की बात को बढ़ावा देना है।

- **डीडी किसान द्वारा एआई एंकरों का शुभारंभः** एआई के युग को अपनाते हुए, डीडी किसान ने 26 मई, 2024 को दो एआई समाचार एंकर, **एआई कृष और एआई भूमि** को पेश किया। ये एआई एंकर **पचास भाषाओं** में बात कर सकते हैं और **24X7 समाचार देने में सक्षम** हैं। लॉन्च को व्यापक मीडिया कवरेज मिला।

- **टी20 विश्व कप 2024 के लिए 'जज़्बा' गीत और प्रोमो का शुभारंभः** प्रसार भारती द्वारा दूरदर्शन फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर टी20 विश्व कप 2024 के मैचों का प्रसारण किया गया। 3 जून, 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार सहगल के साथ मिलकर **टी20 विश्व कप के लिए श्री सुखविंदर सिंह द्वारा गाया गया एक विशेष गीत 'जज़्बा'** लॉन्च किया। प्रसिद्ध स्टोरी टेलर श्री नीलेश मिश्रा की आवाज़ में प्रस्तुत भव्य टी20 इवेंट का प्रोमो भी लॉन्च किया गया।

- **क्षेत्रीय समाचारों के लिए समर्पित कार्यक्रम 'भारत@7':** डीडी न्यूज ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण घटनाओं और कहानियों को कवर करने के लिए सप्ताह के दिनों में शाम 7 बजे एक नया विशेष कार्यक्रम 'भारत@7' किया, जिससे यह क्षेत्रीय समाचार सामग्री के लिए समर्पित मंच प्रदान करने में सक्षम हो गया।

- **डीडी न्यूज द्वारा नए विशेष कार्यक्रमः** अगस्त, 2024 से दूरदर्शन समाचार ने सप्ताह के महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण करने के लिए सप्ताह के दिनों में शाम 7 बजे एक नया विशेष कार्यक्रम **'पूरा सच'** और साइबर संबंधी अपराधों के बारे में सचेत करने, शिक्षित करने और जागरुकता पैदा करने के लिए एक और नया साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम **'साइबर अलर्ट'** शुरू किया।

- भारत के राष्ट्रीय प्रसारक **दूरदर्शन ने हॉकी को एक राष्ट्रव्यापी उत्सव में बदलने के लिए आधिकारिक प्रसारण भागीदार के रूप में हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल)** के साथ साझेदारी की है। ऐतिहासिक साझेदारी सभी हॉकी इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक विस्तारित है, जिसमें पुरुषों की प्रतियोगिता के साथ-साथ महिला हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन सत्र भी शामिल है।

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन पर पहल

- **सिनेमा में सुगम्यता मानकों की तैनातीः** 'दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016' के तहत किए गए प्रावधानों के अनुरूप, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 15 मार्च, 2024 को "श्रवण एवं दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा थिएटरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में सुगम्यता मानकों के लिए दिशा-निर्देश" जारी किए हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने हितधारकों को प्रावधानों एवं अनिवार्य परिवर्तनों के बारे में जागरूक करने तथा उन्नत सुगम्यता मानकों के माध्यम से समावेशी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः 9 अगस्त और 28 अगस्त, 2024 को मुंबई और दिल्ली में कार्यशाला और सम्मेलन आयोजित किया। इसके बाद, 15 सितंबर, 2024 को ई-सिनेप्रमान पोर्टल में "सुगम्यता मानक" मॉड्यूल को सफलतापूर्वक तैनात किया गया, जिससे आवेदक श्रवण एवं दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुगम्यता सुविधाओं के साथ अपनी फिल्मों के लिए आवेदन/जमा कर सकते हैं।

- **भारत में वॉयस-ओवर कलाकारों के लिए एक अपस्किलिंग कार्यक्रम 'द वॉयसबॉक्स' के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरः** भारत में वॉयस-ओवर कलाकारों के लिए 'द वॉयसबॉक्स' नामक एक अपस्किलिंग कार्यक्रम को संयुक्त रूप से लॉन्च करने के लिए 18 जुलाई, 2024 को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 'वॉयसबॉक्स' कार्यक्रम के प्रशिक्षण भागीदार पर्ल अकादमी द्वारा आयोजित कार्यशालाओं के माध्यम से भारत भर के सात शहरों में वॉयस-ओवर कलाकारों के लिए पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- **चार-सप्ताह की रोलिंग मीडिया योजना के लिए डैशबोर्डः** सरकारी संचार और आउटरीच को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्रस्तावित मीडिया योजनाओं के साथ कैलेंडर-वार घटनाओं की सूची वाला एक डैशबोर्ड डिजाइन और लॉन्च किया गया है ताकि मीडिया नियोजन और समन्वय की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। डैशबोर्ड आगामी और पिछले कार्यक्रमों सहित 'चार सप्ताह की रोलिंग मीडिया योजना' दिखाता है।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति 22 अगस्त, 2024 को 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन-1' के शुभारंभ समारोह के अवसर पर।

30 साल में पहली बार किसी भारतीय फिल्म को, पायल कपाड़िया की 'ऑल वी इमेजिन एज़ लाइट' को 77वें कान्स फिल्म महोत्सव के सर्वोच्च पुरस्कार पाल्मे डी'ओर के लिए नामांकित किया गया। कपाड़िया की फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स जीता, जो इस श्रेणी में दूसरा स्थान है। इस जीत के साथ एफटीआईआई की पूर्व छात्रा पायल कपाड़िया इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं।

3 प्रमुख गतिविधियां

70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 8 अक्टूबर, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में **70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार** प्रदान किए। श्री मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समारोह में फिल्म एवं मनोरंजन उद्योग की प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं।

विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)

13 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में 'वेव्स' के लिए एक **पूर्वावलोकन कार्यक्रम** आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत 'विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)' की मेजबानी करेगा, जो दुनिया भर में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है। यह घोषणा गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन तथा 30 देशों के राजदूतों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर **'वेव्स' की वेबसाइट** (https://wavesindia.org) का शुभारंभ किया गया तथा **शिखर सम्मेलन की विवरणिका** का भी अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम के बाद सीईओ गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 60 प्रमुख मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

29 दिसंबर, 2024 को **'मन की बात' के 117वें एपिसोड में,** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया कि **भारत 2025 में प्रथम 'विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)' की मेजबानी करेगा।** 'वेव्स' नए अवसरों की खोज करने, चुनौतियों का समाधान करने और मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। प्रधानमंत्री ने भारत के मनोरंजन और रचनात्मक उद्योग को इस वैश्विक मंच पर भारत की रचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 'वेव्स' में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गोवा सरकार के सहयोग से **20 से 28 नवंबर, 2024** तक पणजी, गोवा में 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई-इफ्फी) आयोजित किया। समारोह का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने किया, जिसमें प्रसिद्ध भारतीय फिल्म हस्तियों की उपस्थिति रही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों को संबोधित किया।

भव्य समापन समारोह में असाधारण सिनेमाई उपलब्धियों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रशंसित फिल्म निर्माता **फिलिप नॉयस** को दिया गया प्रतिष्ठित **सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार** और प्रसिद्ध अभिनेता **विक्रांत मैसी** को दिया गया **इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार** शामिल है। सितारों से सजे उद्घाटन और समापन समारोह में जीवंत प्रदर्शन तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की प्रमुख हस्तियों की भागीदारी देखी गई। इफ्फी 2024 के लिए 'फोकस देश' के रूप में **ऑस्ट्रेलिया** पर प्रकाश डाला गया जबकि इसकी थीम (विषय), **'युवा फिल्म निर्माताः भविष्य अब है'** ने वैश्विक फिल्म उद्योग में उभरती प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

इफ्फी 2024 में **81 देशों की 189 फिल्मों** का प्रभावशाली चयन प्रदर्शित किया गया, जिससे प्रतिनिधियों को एक समृद्ध

सिनेमाई अनुभव प्राप्त हुआ। इस महोत्सव में **30 मास्टरक्लास, इन-कन्वर्सेशन सेशन और पैनल चर्चाएं** शामिल थीं, साथ ही **100 से ज्यादा रेड कार्पेट इवेंट** भी हुए, जिसमें उद्योग जगत के दिग्गज, नवोदित प्रतिभाएं और सिनेमा प्रशंसक एक साथ जुटे। इस महोत्सव में **34 भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 28 देशों से 11,332 प्रतिनिधियों** ने हिस्सा लिया, जो भागीदारी के मामले में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

फिल्म बाज़ार में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, **42 देशों के 1,876 प्रतिनिधियों** ने चर्चाओं और व्यावसायिक अवसरों में भाग लिया, जिससे **500 करोड़ रुपये** से अधिक की कमाई का अनुमान लगाया गया। **15 करोड़ रुपये** से अधिक के प्रायोजन प्राप्त हुए, जो वैश्विक मंच पर इस महोत्सव की बढ़ती साख को दर्शाता है। 'क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो' कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें **1,070 आवेदनों** में से **22 भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 100 प्रतिभागियों** का चयन किया गया। **यंग फिल्ममेकर प्रोग्राम** में **345 छात्रों** का स्वागत किया गया, जिनमें **प्रमुख फिल्म स्कूलों के 279 छात्र** और **पूर्वोत्तर भारत के 66** छात्र शामिल थे, जो सीखने और सहयोग के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है।

एक उल्लेखनीय आकर्षण 'इफ्फिएस्टा' था, जो कि इफ्फी के साथ-साथ **जोमैटो** के साथ साझेदारी में आयोजित एक मनोरंजन कार्यक्रम था, जिसमें **6,000 छात्रों** सहित **18,795 आगंतुक** आए, जिससे महोत्सव में एक जीवंत, उत्सवपूर्ण आयाम जुड़ गया।

18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ)

डॉक्यूमेंट्री, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) का 18वां संस्करण राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 15 से 21 जून, 2024 तक मुंबई में आयोजित किया गया। पहली बार, महोत्सव के दौरान दिल्ली (सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम), चेन्नई (टैगोर फिल्म सेंटर), पुणे (एनएफएआई ऑडिटोरियम) और कोलकाता (एसआरएफटीआई ऑडिटोरियम) में भी फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया।

18वें एमआईएफएफ 2024 **समारोह का उद्घाटन** 15 जून, 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार की उपस्थिति में राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र (एनसीपीए), मुंबई में किया। उद्घाटन समारोह में भारत के सामाजिक नवप्रवर्तकों की कहानी बताने के लिए नेटफ्लिक्स द्वारा बनाई गई सार्वजनिक सेवा जागरुकता फिल्म *'आज़ादी की अमृत कहानियां'* का ट्रेलर जारी किया गया।

फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म निर्माताओं को अपनी परियोजनाओं के लिए खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी खोजने के लिए एक मंच प्रदान करके फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए पहली बार महोत्सव के साथ-साथ एक **वृत्तचित्र फिल्म बाज़ार** का आयोजन किया गया। वार्नर ब्रदर्स के एक वरिष्ठ एनिमेटर के नेतृत्व में **'एनिमेशन और वीएफएक्स पाइपलाइन पर एक कार्यशाला'** ने अत्याधुनिक तकनीकों को गहराई से समझने में मदद करके प्रतिभागियों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

प्रतिष्ठित 'वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार' प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता श्री सुब्बैया नल्लामुथु को प्रदान किया गया। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित भारतीय फिल्म 'द गोल्डन थ्रेड' को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, अन्य पुरस्कारों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में सिल्वर कोंच पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

समापन समारोह में महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्य भाषण दिया।

पुस्तक विमोचन

राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन पर पुस्तकों का विमोचनः 18 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के साथ

प्रकाशन विभाग (डीपीडी) द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित उल्लेखनीय पुस्तकों का विमोचन किया:

विंग्स टू आवर होप्स-वॉल्यूम I (अंग्रेजी) और ***'आशाओं की उड़ान-खंड-I'*** (हिंदी) जिसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के राष्ट्रपति पद के प्रथम वर्ष के कार्यकाल में विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषण शामिल हैं।

'राष्ट्रपति भवनः हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट' जिसमें राष्ट्रपति भवन के इतिहास, विरासत और वास्तुशिल्प वैभव की प्रभावशाली और रोचक जानकारी दी गई है और

'कहानी राष्ट्रपति भवन की' जिसमें बच्चों के लिए राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन से संबंधित जानकारी है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने 22 जून, 2024 को राजभवन, मुंबई में प्रकाशन विभाग (डीपीडी) द्वारा प्रकाशित पुस्तक **'गेटवेज़ टू द सीः हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन'** का विमोचन किया। इस पुस्तक में प्रसिद्ध लेखकों के 18 लेख शामिल हैं, जिन्हें मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित किया गया है।

आम चुनाव 2024 और 'मेरा पहला वोट देश के लिए' अभियान

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा शुरू किए गए "मेरा पहला वोट देश के लिए" अभियान का उद्देश्य युवाओं, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बहुभाषी गान का विमोचनः अभियान का बहुभाषी गान 'मेरा पहला वोट देश के लिए' अप्रैल, 2024 में जारी किया गया था, ताकि युवाओं, खासकर पहली बार मतदान करने वालों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने और चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 'मेरा पहला वोट देश के लिए' **अभियान गान** व्यापक रूप से प्रतिध्वनित हुआ, जिसने देशभर के छात्रों, गायकों और संगीतकारों का उत्साह बढ़ाया। मूल रूप से हिंदी में रचित इस गान का देश की **11 अनुसूचित भाषाओं के साथ-साथ 'आदि' और 'खासी' में भी अनुवाद किया गया।**

आउटरीच पहलः डीडी न्यूज़ ने 2024 के आम चुनावों से पहले **'राज्य नीति', 'क्या बोले भारत', '24 की चुनौती', 'चुनावी चकल्लस', 'संग्राम के सेनापति'** और **'जनवाणी'** जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें विशेषज्ञ चर्चाओं और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से राज्यों में राजनीतिक परिदृश्य की जानकारी दी गई। आम चुनावों की मतगणना के दिन यानी 4 जून, 2024 को डीडी न्यूज़ द्वारा दिन भर एक व्यापक विशेष कार्यक्रम **'जनादेश'** चलाया गया, जिसमें संवर्द्धित ग्राफ़िक्स, विशेषज्ञ इनपुट, प्रतिक्रिया बाइट्स और ग्राउंड से रिपोर्टिंग शामिल थी। इसके अतिरिक्त, डीडी इंडिया पर **'द ग्रेट इंडियन इलेक्शन 2024'** और **'इंडिया डिसाइड्स 2024' जैसे विशेष कार्यक्रम** प्रसारित किए गए और समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी), आकाशवाणी द्वारा विशेष चर्चाएं प्रसारित की गईं। भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के अपना रेडियो 96.9 एफएम ने **"चुनाव पर्व, देश का गर्व"** पर कार्यक्रमों की एक शृंखला प्रसारित की।

पत्र सूचना कार्यालय की पहलः पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने आम चुनाव 2024 पर व्यापक जानकारी के लिए एक **मीडिया सुविधा पोर्टल** शुरू किया। इसके अतिरिक्त, पत्र सूचना कार्यालय ने एक **समर्पित माइक्रोसाइट** लॉन्च की, जिसने आम चुनाव 2024 को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए वन-स्टॉप सुविधा पोर्टल के रूप में काम किया। माइक्रोसाइट में कई विशेषताएं थीं, जिनका उद्देश्य चुनाव अवधि के दौरान पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए रिपोर्टिंग अनुभव को बेहतर बनाना था। पत्र सूचना कार्यालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा के बारे में व्यापक जागरुकता भी पैदा की। पत्र सूचना कार्यालय की शोध इकाई ने 'लोकतंत्र का सटीक स्वरूप - एक बार में एक वोट' पर एक व्याख्या प्रकाशित की।

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा पहलः केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने अपने फील्ड कार्यालयों (एफओ) और क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) के माध्यम से मतदाता जागरुकता पर केंद्रित एकीकृत **संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी),**

प्रदर्शनियां और **फील्ड कार्यक्रम** आयोजित करके मतदाता जागरुकता गतिविधियों का आयोजन किया। **न्यू इंडिया समाचार (एनआईएस)** के जून, 2024 के पाक्षिक संस्करण में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल पर **'संकल्पों की त्रिवेणी'** पर कवर स्टोरी प्रकाशित हुई। 13 भाषाओं में प्रकाशित **न्यू इंडिया समाचार** को सीबीसी द्वारा देश भर में वितरित किया गया।

'मन की बात' पुस्तिका : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की 'मन की बात' पुस्तिका का जून, 2024 का संस्करण तैयार किया है, जिसमें ***'लोकतंत्र का महापर्व'*** को कवर स्टोरी के रूप में शामिल किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा विशेष उल्लेख के साथ कहानियां और प्रशंसात्मक कथन शामिल हैं, साथ ही मीडिया की प्रतिक्रियाएं भी हैं। ई-संपर्क के माध्यम से इसका ई-संस्करण 6 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंचा और यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, माईगॉव, पीएम इंडिया आदि की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। मुद्रित प्रतियां सभी सांसदों और विधायकों, भारत सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को वितरित की गईं।

तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरुकता

भारत में तीन नए आपराधिक कानून, **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)** और **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)** 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए। बीएनएस ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह ली, बीएनएसएस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह ली और बीएसए ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह ली। नए कानूनों को कानूनी प्रणाली को अधिक कुशल और न्यायसंगत बनाने और वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने के लिए लागू किया गया है।

डीडी न्यूज, डीडी इंडिया और उनकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) ने सभी प्रासंगिक समाचारों और अपडेट्स को व्यापक रूप से कवर किया। इसके अलावा **विषय विशेषज्ञों** के साथ **विशेष गहन चर्चाओं का प्रसारण, नए आपराधिक कानूनों पर व्याख्यात्मक वीडियो,** बीपीआरएंडडी से प्राप्त प्रचार सामग्री और सोशल मीडिया पर इन नए क़ानूनों के बारे में जानकारियों को प्रचारित किया गया। समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी और इसके क्षेत्रीय समाचार कार्यालयों ने **समाचार बुलेटिन, समाचार कार्यक्रम/चर्चा, वार्ता तथा चर्चाओं** और सोशल मीडिया आउटरीच के माध्यम से नए आपराधिक कानून पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों को कवर किया।

गृह मंत्रालय के समन्वय से, केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर प्रचार और जागरुकता अभियान के लिए **वीडियो** और **इन्फोग्राफिक्स** तैयार किए।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने देश भर में **'वार्तालाप'** (क्षेत्रीय मीडिया पर केंद्रित मीडिया कार्यशालाएं) आयोजित कीं, जिनमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में कई क्लिपिंग प्रकाशित की गईं। 'वार्तालाप' ने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण प्रावधानों और लाभों के बारे में मीडिया के बीच जागरुकता पैदा की।

'न्यू इंडिया समाचार' (एनआईएस) के जुलाई, 2024 के पाक्षिक संस्करण की थीम **'नए भारत के नए कानून'** थी। 13 भाषाओं में प्रकाशित, एनआईएस को केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा देश भर में मुद्रित और वितरित किया गया था।

पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का जश्न

भारत सरकार ने चंद्रयान-3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' के रूप में घोषित किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 23 से 25 अगस्त, 2024 तक नई दिल्ली और गुवाहाटी में तीन दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इन प्रदर्शनियों ने आगंतुकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान किया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र भी शामिल थे।

23 अगस्त, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया पर किया गया। डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया पर विशेष वृत्तचित्र 'चंद्रयान सफलता के एक साल' और 'भारत की अंतरिक्ष गाथा' का भी प्रसारण किया गया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 पर 114 समाचारों और 22 चर्चाओं/वार्ताओं तथा इसरो अध्यक्ष के साथ एक विशेष साक्षात्कार को कवर किया।

प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' पर रोज़गार समाचार में लेख प्रकाशित किए। इसने अंतरिक्ष विज्ञान पर बच्चों की हिंदी पुस्तक 'आकाशगंगाओं का बंजारा' को सोशल मीडिया पर भी प्रचारित किया। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) और भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) ने संयुक्त रूप से 23 अगस्त, 2024 को *'टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून : इंडियाज़ स्पेस सागा'* विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया और 'सेलिब्रेटिंग सिक्स डेकेट्स ऑफ इंडियाज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी' नामक वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग की, जिसमें 100 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री की 'मन की बात' पुस्तिका के अगस्त, 2024 संस्करण में कवर स्टोरी के रूप में **'इंडियाज़ स्पेस सेक्टर : न्यू फ्रंटियर'** को शामिल किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा विशेष उल्लेख के साथ-साथ मीडिया की प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ कहानियां और प्रशंसात्मक कथन शामिल हैं।

10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

21 जून, 2024 को 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोदी गार्डन, नई दिल्ली में समारोह का नेतृत्व किया और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने तमिलनाडु के नीलगिरि संसदीय क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों/संगठनों ने 21 जून, 2024 को सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार **योग कार्यशालाएं/प्रदर्शन/सत्र** आयोजित किए, जिसमें मंत्रालय के अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में एक योग सत्र भी शामिल था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ***योग को जन आंदोलन*** के रूप में मनाने के लिए कई पहल की गईं।

मंत्रालय ने 19 जून, 2024 को सभी **निजी एफएम प्रसारकों** को एक परामर्श जारी किया, जिसमें उनसे विभिन्न लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रमों में 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' और योग के लाभों का उल्लेख करते हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 के बारे में जागरुकता पैदा करने का अनुरोध किया गया।

देश भर में दूरदर्शन केंद्रों और आकाशवाणी केंद्रों ने विभिन्न प्रारूपों में अंग्रेजी/हिंदी/क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं में योग पर कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। डीडी न्यूज ने विशेष पैकेज, विभिन्न योग आसन, विशेषज्ञों के साथ विशेष चर्चा, योग गीत प्रसारित किए और प्रमुख बुलेटिनों में योग का एक विशेष खंड शामिल किया। आकाशवाणी की विदेश सेवा (एक्सटर्नल सर्विसेस) ने 'अ पावरफूल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड' पर चर्चा और टिप्पणियां प्रसारित कीं।

आयुष मंत्रालय के परामर्श से केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने सोशल और मुख्यधारा के मीडिया में प्रसारित करने के लिए **90 सेकंड का एक वीडियो** तैयार किया। 20 जून, 2024 को **एक चौथाई पृष्ठ का प्रिंट विज्ञापन** प्रकाशित किया गया।

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा संचालित **सामुदायिक रेडियो** अपना रेडियो 96.9 एफएम ने 10 अप्रैल से 21 जून, 2024 तक **योग पर कार्यक्रमों की एक शृंखला** प्रसारित की।

प्रकाशन विभाग (डीपीडी) द्वारा प्रकाशित **इम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार** के 15 से 17 जून, 2024 का **अंक योग विशेषांक** था जिसमें विशेष लेख शामिल थे।

भारतीय संविधान के 75 वर्ष

देश ने 26 नवंबर, 2024 को एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में मनाया, जो भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने संविधान दिवस पर अधिकतम पहुंच और जागरुकता सुनिश्चित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाचार-पत्र में लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सक्रिय रूप से सूचना प्रसारित की। दूरदर्शन समाचार ने 26 नवंबर, 2024 को संसद भवन और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान दिवस समारोह को व्यापक कवरेज प्रदान किया। आकाशवाणी की विदेश सेवाओं ने भारत के संविधान के 75वें वर्ष पर चर्चा और टिप्पणियां प्रसारित कीं।

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा **न्यू इंडिया समाचार** के 16 से 30 नवंबर, 2024 के अंक में कवर स्टोरी **'संविधान दिवस बना राष्ट्रीय उत्सव'** प्रकाशित की गई।

प्रकाशन विभाग (डीपीडी) द्वारा प्रकाशित **'योजना'** पत्रिका के **नवंबर, 2024** के अंक में भारत की संवैधानिक यात्रा और कानूनी सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें 'भारतीय संविधान के 75 वर्षः गरिमापूर्ण यात्रा', 'भारतीय संविधान का विकासः संवैधानिक संशोधन', 'सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका' जैसे लेख शामिल हैं।

हीट वेव और गर्मी को मात देने के लिए जागरुकता

वर्ष 2024 की गर्मियों के दौरान देश में रिकॉर्ड उच्च तापमान और हीट वेव देखी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने **हीट वेव** पर प्रासंगिक नागरिक-केंद्रित जानकारी प्रसारित की और जन कल्याण और भलाई के लिए पूरे देश में भीषण गर्मी से निपटने पर एक अभियान **'बीट द हीट'** चलाया गया।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश दोनों स्तरों पर अलग-अलग भाषाओं में **हीट वेव पर प्रेस विज्ञप्तियों** द्वारा सक्रिय रूप से प्रचार किया। पत्र सूचना कार्यालय ने हीट वेव पर नागरिक-केंद्रित सूचना अभियान के लिए **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ वास्तविक समय समन्वय स्थापित किया।**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा विकसित 'हीट वेव' नामक एक सार्वजनिक सेवा घोषणा (पीएसए) फिल्म 19 अप्रैल, 2024 से 2 मई, 2024 तक देश भर के **सिनेमाघरों में दिखाई** गई।

दूरदर्शन केंद्रों ने अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में 'हीट वेव' और संबंधित विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए। डीडी न्यूज की सभी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) ने **हीट स्ट्रोक जागरुकता अभियान** को प्रमुखता से कवर किया था। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने समाचार बुलेटिन, चर्चा कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी/अंग्रेजी में सूचना प्रसारित की।

इस मंत्रालय के न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर **'बीट द हीट'** अभियान के तहत व्यापक सोशल मीडिया आउटरीच का आयोजन किया।

पेरिस ओलंपिक और पैरालिंपिक 2024

भारतीय एथलीटों और पैरा-एथलीटों ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 में भाग लिया। भारत के पैरा-एथलीटों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदक अर्जित किए और पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल किया।

डीडी न्यूज़ और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में लाइव कवरेज, समाचार बुलेटिन, विशेष शो, साक्षात्कार, पैकेज, कहानियों और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के जश्न को व्यापक कवरेज प्रदान की। डीडी न्यूज़ पर विशेष दैनिक कार्यक्रम 'चीयर4 भारत@पेरिस ओलंपिक' और डीडी इंडिया पर **'चीयर4भारत'** 25 जुलाई, 2024 तक प्रसारित किए गए। डीडी न्यूज़ पर एक विशेष शो **'भारत के चैंपियन @ पेरिस ओलंपिक 2024'**

में भारतीय दल के प्रदर्शन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। डीडी न्यूज़ ने पेरिस पैरालंपिक पर **'चीयर4भारत@पेरिस पैरालंपिक'** शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किया। आकाशवाणी की विदेश सेवा ने 'पेरिस ओलंपिक खेल 2024' पर चर्चा/टिप्पणियां भी प्रसारित कीं।

डीडी इंडिया ने स्वर्ण पदक विजेता पैरा-शटलर नितेश कुमार, भारतीय पैरा शटलर नित्या श्री सिवन, भारतीय ट्रैप शूटर राजेश्वरी कुमारी, पैरा-बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना, रजत पदक विजेता प्रणव सोरमा, बधिर शूटर महित संधू, पैरा-बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा और सुमा शिरूर आदि के साथ **विशेष साक्षात्कार** प्रसारित किए हैं।

पत्र सूचना कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, सोशल मीडिया और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से पेरिस ओलंपिक को कवर किया। न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर व्यापक पहुंच बनाई।

'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस) 2024 और 'स्वच्छ भारत मिशन' (एसबीएम) के 10 वर्ष

स्वच्छ भारत मिशन योजना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर, 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 'स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता' थीम पर 'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस) का आयोजन किया गया। यह अभियान निम्नलिखित तीन स्तंभों पर आधारित है:-

(i) **स्वच्छता की भागीदारी** - स्वच्छ भारत के लिए जन भागीदारी, जागरुकता और समर्थक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना

(ii) संपूर्ण स्वच्छता - बड़े पैमाने पर सफाई अभियान आयोजित करना और स्वच्छता लक्षित इकाइयों (सीटीयू) के समयबद्ध परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें चुनौतीपूर्ण और उपेक्षित क्षेत्र शामिल हैं

(iii) सफाई मित्र सुरक्षा शिविर - सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच और कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए एकल खिड़की सेवा, सुरक्षा और सम्मान शिविरों की स्थापना।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी मीडिया इकाइयों और फील्ड कार्यालयों के साथ-साथ मुख्य सचिवालय के माध्यम से पूरे देश में 'स्वच्छता ही सेवा 2024' (एसएचएस-2024) अभियान के तहत 2 लाख लोगों की कुल भागीदारी के साथ 4,871 कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए।

विशेष अभियान 4.0

अभियान के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इस अवधि के दौरान मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों में विशेष अभियान भी चलाया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 31 अक्टूबर, 2024 को अभियान के समापन से परे सामूहिक प्रयासों और स्वच्छता में सतत सुधार के माध्यम से सुशासन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पहल में सक्रिय रूप से योगदान किया। इस अवधि (यानी जनवरी-दिसंबर, 2024) के दौरान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी मीडिया इकाइयों और उनके फील्ड संरचनाओं के साथ 2,310 आउटडोर अभियान चलाए, 2,35,025 किलोग्राम स्क्रैप सामग्री का निपटान किया और 2,64,67,956 रुपये का राजस्व उत्पन्न किया, लगभग 1,00,000 कार्यालय स्थान खाली कराया। 1,00,507 वर्ग फीट, 1,078 वाहनों की पहचान निपटान के लिए की गई, जिनमें से 140 का निपटारा किया गया। 1,13,831 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और उनमें से 58,128 को हटा दिया गया। 3,074 ई-फाइलों की समीक्षा की गई और उनमें से 1,897 को इस अवधि के दौरान बंद कर दिया गया। संसद सदस्यों के 84 संदर्भ, 10 राज्य सरकार के संदर्भ, 9 पीएमओ संदर्भों का निपटारा किया गया। 3,218 लोक शिकायतों और 737 जन अपीलों का निपटारा किया गया।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान

5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया वैश्विक वृक्षारोपण अभियान 'एक पेड़ माँ के नाम' भी मंत्रालय में आयोजित किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

श्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), मुख्यालय, नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू की उपस्थिति में पौधे लगाकर और वितरित करके वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया।

इस मंत्रालय ने अगस्त, 2024 के दूसरे सप्ताह से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया और तय किया कि प्रत्येक कर्मचारी (नियमित और संविदा कर्मचारी) अभियान को सफल बनाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाएगा। तदनुसार, इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय सहित सभी मीडिया इकाइयों की कर्मचारी संख्या के अनुसार 24,598 पौधे लगाने का लक्ष्य (मार्च, 2025 तक) तय किया गया था। वृक्षारोपण अभियान, जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल रही है, में विभिन्न मीडिया इकाइयों और क्षेत्रीय संरचनाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसका समापन 30 दिसंबर, 2024 तक लगभग 12,000 पौधों के रोपण के साथ हुआ।

अन्य महत्वपूर्ण समारोह/कवरेज

'कारगिल विजय दिवस' की रजत जयंती : 25वें 'करगिल विजय दिवस' के अवसर पर, 26 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में **'कारगिल विजय दिवसः रजत जयंती'** शीर्षक से छह दिवसीय **फोटो प्रदर्शनी** का उद्घाटन किया गया।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस : विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर, केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा 14 से 17 अगस्त, 2024 तक ललित कला अकादमी, नई दिल्ली में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में व्यक्तिगत अनुभवों, 1947 के विभाजन के दंश और उसके स्थायी प्रभाव को प्रदर्शित किया गया।

सामग्री विनियमन और लाइसेंसिंग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा **ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए** से संबंधित कार्रवाईः

अप्रैल 2024 में, ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने वाले **मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों** को कम्युनिकेशन जारी किए गए थे।

14 मई, 2024 को धारा 79(3)(बी) के तहत सोशल मीडिया (मध्यवर्ती संस्थाएं) को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्मों के **100 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स और सोशल मीडिया पर ऐसे प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने वाले एंडोर्सर्स/प्रभावित** करने वालों के **60 से अधिक अकाउंट्स** तक पहुंच को अक्षम करने के लिए कहा गया था।

आतंकवाद विरोधी अभियानों की लाइव कवरेज से परहेज करने की सलाह : 12 जून, 2024 को निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियानों की लाइव कवरेज दिखाने से परहेज करने के लिए एक सलाह जारी की गई थी।

आपदा/विपत्ति/दुर्घटना के प्रसारण पर सलाह : आपदा/प्राकृतिक आपदा/बड़ी दुर्घटना से संबंधित फुटेज के प्रसारण के संबंध में सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को 9 अगस्त, 2024 को एक सलाह जारी की गई थी।

अन्य मुख्य बातें

एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल/एमआईएफए 2024 में भारत की भागीदारी : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल/एमआईएफए 2024 में भाग लिया और **भारत के एनिमेशन और वीएफएक्स क्षेत्र** पर प्रकाश डाला।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना : राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने 11 से 16 मई, 2024 तक आयोजित **'बेलारूस और एनएफडीसी फिल्म फेस्टिवल'**, 27 मई से 1 जून, 2024 तक आयोजित **'अर्जेंटीना और एनएफडीसी फिल्म फेस्टिवल'**, 1 से 6 जुलाई, 2024 तक आयोजित **'इंडोनेशिया और एनएफडीसी फिल्म फेस्टिवल'** 12

से 15 सितंबर, 2024 तक आयोजित **'थाईलैंड और एनएफडीसी फिल्म फेस्टिवल'** का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और भारतीय सिनेमा और संबंधित देशों की सिनेमाई विरासत के लिए वैश्विक समर्थन को बढ़ाना है।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी : फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) ने अपनी सेवाओं और विदेशी उत्पादन और आधिकारिक सह-निर्माण के लिए मंत्रालय की प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 2024 में **मलेशियाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह** में भाग लिया। एफएफओ ने प्रोत्साहन नीति को बढ़ावा देने, सह-निर्माण पर सहयोग करने और आईएफएफआई और फिल्म बाजार में भागीदारी को आमंत्रित करने के लक्ष्य के साथ 23 से 28 अगस्त, 2024 तक **पहले मास्को फिल्म सप्ताह** में भी भाग लिया।

भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवसः भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय ने 18 मई, 2024 को कई आकर्षक कार्यक्रमों के साथ 'अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस' मनाया।

पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023: पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 को 5 अगस्त, 2024 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में 15 पत्रकारों को प्रदान किया गया।

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) का 60वां स्थापना दिवस : भारतीय जन संचार संस्थान ने 16 अगस्त, 2024 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री अनंत विजय द्वारा एक विशेष व्याख्यान दिया गया।

भारतीय जन संचार संस्थान पहले स्थान पर : भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) को 'द वीक' के नवीनतम अंक में 'द वीक - हंसा रिसर्च सर्वे 2024' द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ मास कम्युनिकेशन कॉलेजों में नंबर 1 संस्थान का दर्जा दिया गया है और इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ कॉलेज सर्वेक्षण' के तहत इसे 2024 में भारत के शीर्ष 10 मास कम्युनिकेशन कॉलेजों में स्थान दिया गया है।

■■■

केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक श्री योगेश कुमार बावेजा ने 26 जुलाई, 2024 को दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 'कारगिल विजय दिवस' की रजत जयंती पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

4 सूचना क्षेत्र

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहल और उपलब्धियों पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित करने वाली भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह सरकार और मीडिया के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और मीडिया में परिलक्षित आम जन की प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराता है। यह मीडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त संचार रणनीतियों पर सरकार को सलाह भी देता है।

पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, फीचर लेख, पृष्ठभूमि, प्रेस ब्रीफिंग, साक्षात्कार, संवाददाता सम्मेलन, प्रेस टूर आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रसारित करता है। पत्र सूचना कार्यालय सूचना प्रसारित करने के लिए X, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का भी उपयोग करता है। सूचना अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू के साथ-साथ 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जाती है जो पूरे देश में समाचार पत्रों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है।

पत्र सूचना कार्यालय मीडियाकर्मियों को मान्यता भी प्रदान करता है ताकि सरकारी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो सके।

पत्र सूचना कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका नेतृत्व प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) करते हैं। पत्र सूचना कार्यालय के पांच जोन हैं, जिनमें 19 क्षेत्रीय कार्यालय और 15 शाखा कार्यालय शामिल हैं, जिनमें एक सूचना केंद्र भी है, जो क्षेत्रीय मीडिया की सूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करता है।

I. पत्र सूचना कार्यालय की सूचना प्रसार संबंधी गतिविधियां

क. मंत्रालयों/विभागों के अनुसार सूचना प्रसार

पत्र सूचना कार्यालय अधिकारी किसी मंत्रालय/विभाग से जुड़े होते हैं और उसके अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। वे मंत्रालय/विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हैं, सूचना प्रसारित करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण या प्रतिवाद प्रस्तुत करते हैं। पत्र सूचना कार्यालय अधिकारी मीडिया में संपादकीय, लेख और टिप्पणियों में परिलक्षित सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं और मंत्रालय/विभाग को जनता की राय से अवगत कराते हैं और मंत्रालय/विभाग को उसकी मीडिया और सूचना, शिक्षा और संचार रणनीति पर सलाह देते हैं।

ख. क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा सूचना प्रसार संबंधी गतिविधियां

क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में पत्र सूचना कार्यालय अधिकारी मुख्यालय से दी जाने वाली सूचना के प्रसार के अलावा, अपने-अपने क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित किसी भी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम का कवरेज भी सुनिश्चित करते हैं। ये कार्यालय केन्द्र सरकार के उन निर्णयों को भी लेते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए विशेष महत्त्व के हो सकते हैं, ताकि निरंतर सूचना प्रसार के आधार पर केंद्रित प्रचार किया जा सके। पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के किसी क्षेत्र/राज्य के आधिकारिक दौरे के दौरान मीडिया कवरेज को सुगम बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

ग. सूचना प्रसार के लिए अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय द्वारा निम्नलिखित संचार रणनीतियों का उपयोग किया जाता है :

i) संचार के पारम्परिक रूप जैसे- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस (वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित)।

ii) महत्त्वपूर्ण घटनाओं और घोषणाओं की प्रेस विज्ञप्ति और तस्वीरें जारी करना। इसके बाद मीडियाकर्मियों को एसएमएस अलर्ट, ट्वीट X और टेलीफोन कॉल द्वारा सूचित करना।

iii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर साक्षात्कार, विशेष चर्चा आदि की व्यवस्था करना।

iv) वेबसाइटों पर नियमित अपडेट के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे- X, यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का उपयोग करना।

v) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा सूचना प्रसार विभिन्न माध्यमों से हमेशा उपलब्ध है। ऐप के माध्यम से पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्मों पर पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा पत्र सूचना कार्यालय ऐप डाउनलोड और उपयोग किया जा रहा है। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर ऐप को पांच लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है।

vi) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू के अलावा प्रमुख भारतीय भाषाओं जैसे- मलयालम, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मणिपुरी, असमिया और बांग्ला जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से अखिल भारतीय कवरेज सुनिश्चित करना।

vii) स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आम बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और स्वच्छ भारत सप्ताह आदि जैसे महत्त्वपूर्ण आयोजनों के लिए मीडिया कवरेज की विशेष व्यवस्था की जाती है।

viii) हिन्दी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री कार्यालय को दैनिक मीडिया रिपोर्ट के रूप में मीडिया से फीडबैक, प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके मंत्रालय से दैनिक मीडिया फीडबैक महत्त्वपूर्ण अवसरों पर विशेष फीडबैक।

ix) पत्र सूचना कार्यालय आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूरदराज के क्षेत्रों में मीडिया आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम मील तक पहुंचता है।

मीडिया उत्पाद / सेवा / वाहन	संख्या (01 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024)
कुल 19 भाषाओं में प्रेस विज्ञप्तियां	82335
फोटो रिलीज	25048
एसएमएस	मीडिया को बल्क एसएमएस
वीडियो रिलीज	112
मीडिया आमंत्रण रिपोर्ट	405
पत्रकारों को जारी किए गए कुल कार्ड	2272
वार्तालाप आयोजित किए गए	63
प्रेस टूर आयोजित किए गए	12
राष्ट्रव्यापी मीडिया फीडबैक	दैनिक
विशिष्ट मुद्दों पर विश्लेषणात्मक मीडिया रिपोर्ट	दैनिक/साप्ताहिक

II. प्रधानमंत्री की प्रचार और संदर्भ इकाई

पत्र सूचना कार्यालय के पास प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रचार और मीडिया सहायता के लिए एक समर्पित इकाई है। यह इकाई पूरे वर्ष काम करती है। यह इकाई भारत के माननीय राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (पीएमईएसी) के प्रचार से भी संबंधित है।

कार्य आउटपुट आंकड़ों में :

- सुबह की मीडिया रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिंदी): 730
- प्रधानमंत्री की विज्ञप्तियां: 1801
- प्रधानमंत्री की फोटो विज्ञप्तियां: 7708
- कैबिनेट विज्ञप्तियां: 99
- सीसीईए विज्ञप्तियां: 22
- नीति आयोग विज्ञप्तियां: 55
- प्रधानमंत्री की ईएसी विज्ञप्तियां: 6
- ट्वीट्स: 1500 (लगभग)

- प्रेस क्लिपिंगः पीएमओ को 365 दिन
- एएसएल बैठकेंः 55
- राष्ट्रपति की विज्ञप्तियांः 294

प्रधानमंत्री इकाई द्वारा विदेश यात्रा कवरेज की सूचीः

1. प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा (21-22 दिसंबर, 2024)
2. प्रधानमंत्री की नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना यात्रा (16-21 नवंबर, 2024)
3. प्रधानमंत्री की रूस यात्रा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (22-23 अक्टूबर, 2024)
4. प्रधानमंत्री की वियनतियाने, लाओ पीडीआर की यात्रा (10-11 अक्टूबर, 2024)
5. प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा (21-23 सितंबर, 2024)
6. प्रधानमंत्री की ब्रुनेई दारुस्सलाम और सिंगापुर यात्रा (03-05 सितंबर 2024)
7. प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा (21-22 अगस्त, 2024)
8. प्रधानमंत्री की रूसी संघ और ऑस्ट्रिया गणराज्य की यात्रा (08-10 जुलाई, 2024)
9. जी7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की इटली यात्रा (13-14 जून, 2024)
10. प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा (22-23 मार्च, 2024)
11. प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा (13-14 फरवरी, 2024)

III. सोशल मीडिया

सरकारी संचार के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, पत्र सूचना कार्यालय ने पिछले पांच वर्षों में भारतीय और वैश्विक दोनों क्षेत्रों में लगातार बढ़ते ऑनलाइन नागरिकों से जुड़ने और उनसे संपर्क के लिए सोशल मीडिया को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम और आम जनता पर पत्र सूचना कार्यालय के प्रभावशाली सोशल मीडिया प्रभाव को मीडिया में पत्रकारों और जनता के द्वारा सकारात्मक रूप से देखा गया है।

- सरकार की आधिकारिक तस्वीरें, वीडियो और प्रेस विज्ञप्तियां समयोचित तरीके से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जाती हैं।
- इसके अलावा, महत्त्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग को फेसबुक, X और पत्र सूचना कार्यालय के यूट्यूब चैनल पर लाइव पोस्ट और लाइव स्ट्रीम किया जाता है, जिससे सरकार के बारे में तत्काल समाचार अपडेट मिलते हैं।
- समाचार साझा करने के अलावा, पत्र सूचना कार्यालय विशेष रूप से तैयार किए गए हैशटैग का उपयोग कर लोगों में जागरुकता पैदा करता है। सरकारी नीतियों और कार्यों के साथ नागरिक से सम्पर्क बढ़ाकर सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यह इससे सोशल मीडिया जागरुकता और सूचना प्रसार अभियान चलाती है।

सोशल मीडिया आउटरीच

पीआईबी इंडिया X (पूर्व में ट्विटर): पत्र सूचना कार्यालय अंग्रेजी एक्स हैंडल @PIB_India के **2.9 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स** हैं, जिनमें हर महीने औसतन **10 हजार फॉलोअर्स** की वृद्धि हो रही है। पत्र सूचना कार्यालय नागरिकों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री और प्रस्तुति को अपना रहा है, जैसे ट्विटर वीडियो, जीआईएफ, पोल, X मोमेंट्स, जिसके परिणामस्वरूप प्रति माह औसतन 10 मिलियन इम्प्रेशन होते हैं। देश भर में अधिकांश पत्रकार और मीडिया घराने, टीवी चैनल और ऑनलाइन समाचार पत्र, पत्र सूचना कार्यालय के एक्स हैंडल को फॉलो करते हैं।

पीआईबी हिंदी X : @PIBHindi हैंडल के **471.4 हजार से अधिक फॉलोअर्स** हैं, जिनमें हर महीने औसतन **3 हजार फॉलोअर्स** की वृद्धि हो रही है, और यह केंद्र सरकार के कुछ विशेष हिंदी X अकाउंट में से एक है।

फेसबुक : फेसबुक पर पत्र सूचना कार्यालय के करीब **722 हजार फॉलोअर्स** हैं। इससे संचार और जुड़ाव के रचनात्मक साधनों को अपनाने से मदद मिली है।

यूट्यूब : पत्र सूचना कार्यालय यूट्यूब चैनल पर करीब **8.1 हजार वीडियो** और **1.74 मिलियन सब्सक्राइबर** हैं, जिन्हें **262.5 मिलियन** बार देखा गया है। पीआईबी, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों के अलावा, दिल्ली के बाहर के चुनिंदा कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, विशेष सरकारी कार्यक्रम आदि का भी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है।

इंस्टाग्राम : पत्र सूचना कार्यालय के इंस्टाग्राम पर आकर्षक ऑफ-बीट आधिकारिक फ़ोटो, लघु वीडियो, जीआईएफ और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ प्रकाशित की जाती हैं। पत्र सूचना कार्यालय के इंस्टाग्राम अकाउंट पर **1 मिलियन** से ज्यादा फ़ॉलोअर्स हैं।

पब्लिक ऐप : पब्लिक ऐप पर पत्र सूचना कार्यालय के हैंडल @pibindia के करीब **476 हजार फ़ॉलोअर्स** हैं।

सोशल मीडिया मार्गदर्शन और सहायता

अपनी स्वयं के आउटरीच के अलावा, पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को बेहतर तरीके से अपनी सोशल मीडिया में उपस्थिति कायम करने और बेहतर प्रबंधन करने में सहायता कर रहा है।

इस वर्ष की गई कुछ नई पहल इस प्रकार हैं:

- इन-हाउस प्रोडक्शन: विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न आयोजनों से विशेष वीडियो, जीआईएफ और छवियां।
- पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के आगामी आयोजनों की तैयारी में इवेंट प्रोमो पोस्ट करना।

पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक यूनिट

फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समाचार, मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विभिन्न माध्यमों पर तथ्यात्मक रूप से गलत/भ्रामक ख़बरों और सूचनाओं के प्रसार तथा उसकी निगरानी और रोकथाम के लिए की गई थी, जो अक्सर विभिन्न मुद्दों पर लोगों को गुमराह करते हैं। पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक यूनिट का कार्य विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही किसी भी ख़बर का आधिकारिक/प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध कराना है, ताकि तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जा सके।

दिसंबर 2019 से, पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक अपने मिशन में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कुल **1,56,035 प्रश्न** प्राप्त हुए, जिनमें से **50,416** कार्रवाई योग्य प्रश्न थे और उनका जवाब दिया गया। कुल **2,230 फर्जी ख़बरें और ग़लत सूचनाएं** पकड़ी गई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया। इनमें से प्रत्येक तथ्य जांच प्राप्त हुए अनेक प्रश्नों का परिणाम है। यह प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड सत्य और सटीकता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसका प्रभाव संख्याओं से परे है। X, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक की सशक्त उपस्थिति ने मीडिया आउटलेट्स और जनता दोनों से सकारात्मक मान्यता प्राप्त की है।

31 दिसंबर, 2024 तक के मीट्रिक्स पर एक संक्षिप्त नज़र :

- **X (पूर्व में Twitter)** : अंग्रेज़ी X हैंडल, @PIBFactCheck के 319.5 हजार फ़ॉलोअर्स हैं, जिनमें हर महीने औसतन लगभग 5 हज़ार फ़ॉलोअर्स की बढ़ोत्तरी होती है। पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चैक नागरिकों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए नए तरह के कंटेंट और प्रेजेंटेशन अपना रहा है, जैसे जीआईएफ, पोल्स ट्विटर फ्लीट, जागरुकता पोस्ट, मोमेंट मार्केटिंग और अभियान, जिसके परिणामस्वरूप हर महीने औसतन 2.5 मिलियन इम्प्रेशन मिलते हैं। अधिकांश मीडिया घराने, टीवी चैनल और ऑनलाइन समाचार-पत्र एफसीयू द्वारा किए गए फैक्ट चेक को कवर करते हैं।
- **फेसबुक** : पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक के फेसबुक पर **62.5 हजार फ़ॉलोअर्स** हैं।
- **इंस्टाग्राम** : इस प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने के लिए क्रॉस-प्रमोशन के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक इंस्टाग्राम पर सामग्री प्रकाशित की जाती हैं। 31 दिसंबर, 2024 तक पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक इंस्टाग्राम के **95.8 हजार** से ज्यादा फ़ॉलोअर्स हैं।

कुछ नई पहल इस प्रकार हैं

- **व्हाट्सएप चैनल** : फैक्ट चेक यूनिट ने व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और वास्तविक समय में तथ्य-जांच में संलग्न होने के लिए एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया। यह उन समूहों तक

पहुंच प्रदान करता है, जहां अक्सर गलत सूचनाएं फैलती हैं, और यह जनता के साथ विश्वास स्थापित करने में मदद करता है।

- **थ्रेड्स** : फैक्ट चेक यूनिट की नवीनतम पहल में इंस्टाग्राम थ्रेड्स पर हमारी उपस्थिति कायम करना शामिल है। एफसीयू ने अपने दर्शकों से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने और हमारे तथ्य-जांच प्रयासों को साझा करने के लिए इस स्थान पर एक आधिकारिक खाता बनाया है।

- फैक्ट चेक यूनिट ने **नकली यू-ट्यूब चैनलों** से निपटने के लिए सक्रिय रूप से उन्हें उजागर करके और उनका खंडन करके एक स्व-प्रेरणा पहल की है। इस प्रयास का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली जानकारी की विश्वसनीयता की रक्षा करना और जनता को भ्रामक सामग्री से बचाना है।

- **वीओ-आधारित और एंकर-आधारित वीडियो** : हमारे तथ्य-जांच प्रयासों की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के प्रयास में, फैक्ट चेक यूनिट ने वॉयस-ओवर (वीओ) और एंकर-आधारित वीडियो शुरू की गई है। इन वीडियो प्रारूपों का उद्देश्य तथ्यात्मक जानकारी को अधिक आकर्षक और सुलभ तरीके से प्रस्तुत करना है। पत्र सूचना कार्यालय तथ्य-जांच साधनों में मल्टीमीडिया सामग्री को शामिल कर, फैक्ट चेक यूनिट द्वारा व्यापक दर्शकों तक पहुंचने हेतु उत्कृष्ट ढंग से सुसज्जित है।

- दर्शकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए, पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक ने **'ट्रेंडिंग रील'** बनाकर एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस अभिनव सामग्री प्रारूप ने हमारे दर्शकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त की है, जो प्रभावी रूप से जागरुकता और सटीक जानकारी को बढ़ावा देता है।

- **मोमेंट मार्केटिंग** : फैक्ट चेक यूनिट ने ट्रेंडिंग मीम्स के निर्माण के माध्यम से मोमेंट मार्केटिंग की क्षमता का दोहन किया है। इस पहल में हमारे दर्शकों को सक्रिय रूप से जोड़ने और गलत सूचनाओं को प्रभावी ढंग से निपटाने और उनका खंडन करने के लिए समय पर, लोकप्रिय मीम्स तैयार करना और साझा करना शामिल है।

- **प्रचार पोस्ट** : जनता को लगातार तथ्य-जांच के महत्त्व के बारे में याद दिलाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए, साप्ताहिक प्रचार पोस्ट साझा किए जाते हैं।

IV. मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष आयोजनों के लिए मीडिया कवरेज

विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)

मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष आयोजनों के लिए प्रचार मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना डीसीआईडी के तहत एक उप-योजना है। इसे विकास कार्यक्रम के संभावित लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से सूचित और सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वे इन योजनाओं में भाग ले सकें और इनका लाभ उठा सकें। यह क्षेत्रीय मीडिया तक पहुंचता है जो लक्षित आबादी के साथ अधिक सीधे संपर्क में है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

क. वार्तालाप

देश भर में जिला/तालुका स्तर पर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों के साथ मीडिया सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, ताकि पत्र सूचना कार्यालय के नवीनतम सूचना प्रसार माध्यमों और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा पहल के बारे में जागरुकता पैदा की जा सके। वार्तालाप का उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर सूचना का प्रसार करना है और ग्रामीण मीडिया पत्र सूचना कार्यालय के आउटरीच प्रयासों में एक बड़ा गुणक है। इन वार्तालाप/मीडिया इंटरएक्टिव सत्रों के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं से संबंधित साहित्य/पैम्पलेट आदि मीडियाकर्मियों को वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक वार्तालाप के लिए औसत व्यय लगभग 2.00 लाख रुपये है। **01 जनवरी, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच 63 वार्तालाप आयोजित किए गए हैं।**

वार्तालाप के माध्यम से पत्र सूचना कार्यालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों में से एक नए आपराधिक कानूनों के बारे में संवेदनशीलता उत्पन्न करता है, जो 1 जुलाई, 2024 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। पूरे देश में नए आपराधिक कानूनों पर लगभग 35 वार्तालाप आयोजित किए गए।

वार्ता (मिनी वार्ता) का परिचय :

वार्ता की तर्ज पर, विशेष आयोजनों के लिए मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और प्रचार के घटकों में से एक के रूप में वार्ता नामक एक नए घटक को मंजूरी दी गई है। वार्ता का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट मुद्दों पर जिला और राज्य स्तर पर मीडिया को शामिल करना है।

ख. प्रेस दौरे

पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य के पत्रकारों के लिए प्रेस दौरे आयोजित किए जाते हैं, ताकि वे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें। पत्रकारों का समूह विभिन्न योजनाओं, प्रमुख कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर सकता है। पत्र सूचना कार्यालय संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता है। इस प्रकार प्रेस दौरे सरकार की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की सफलता की कहानियों के बारे में मीडिया को जागरूक करते हैं और प्रयासों को उनके मूल राज्य के मीडिया में और अधिक उजागर किया जाता हैं। **01 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक, 12 प्रेस दौरे आयोजित किए गए।**

V. फीडबैक यूनिट और न्यूज रूम

पत्र सूचना कार्यालय में एक समाचार कक्ष/नियंत्रण कक्ष है जो किसी भी आकस्मिक स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे वर्ष काम करता है। देश भर में पत्र सूचना कार्यालय केंद्रों के माध्यम से कम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और एक साथ देशभर के पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से एक वेबकास्ट करने की व्यवस्था है। यह किसी भी आकस्मिक घटना और अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखी जाती है। आपात स्थिति और संकट के समय में कंट्रोल रूम 24x7 आधार पर काम करता है। महत्त्वपूर्ण समाचार चैनलों पर नज़र रखी जाती है और वरिष्ठ कर्मियों को समय पर मीडिया हस्तक्षेप के लिए नवीनतम घटनाक्रम, तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग आदि से सूचित कराया जाता है।

एक समर्पित मीडिया निगरानी इकाई सरकार को अपनी नीतियों, पहलों और कार्यक्रमों के बारे में जनता की धारणा के बारे में दैनिक जानकारी प्रदान करती है। इसमें विशेष आयोजनों पर मीडिया डाइजेस्ट और दैनिक अंतरराष्ट्रीय मीडिया डाइजेस्ट जैसी प्रतिक्रिया रिपोर्ट शामिल हैं। 1 अप्रैल, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच 18 से अधिक विशेष डाइजेस्ट तैयार किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग 25 अंतरराष्ट्रीय मीडिया स्रोतों की रिपोर्टों की समीक्षा करके दैनिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्रतिक्रिया रिपोर्ट तैयार की जाती है।

VI. प्रेस सुविधा

क. मान्यता प्रणाली

पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली के मुख्यालय में विदेशी मीडिया के सदस्यों सहित मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस मान्यता प्रदान की जाती है। प्रेस मान्यता की एक ऑनलाइन प्रणाली वर्ष 2010 में आरंभ की गई थी, जिसे मान्यता के लिए अनुरोधों की बढ़ती संख्या के साथ लगातार अपडेट किया जाता है। वर्ष 2024 की अवधि के लिए कुल 2466 कार्ड जारी किए गए और 01 जनवरी, 2025 से 11 फरवरी, 2025 तक दिल्ली/एनसीआर में रहने वाले पत्रकारों को कुल 2,180 कार्ड जारी किए गए।

ख. पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस)

पत्रकार की गंभीर बीमारियों और मृत्यु के कारण विकट वित्तीय कठिनाई का सामना करने वाले पत्रकारों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक योजना लागू की जा रही है, जो तत्काल आधार पर एकमुश्त अनुग्रह राहत प्रदान करती है। मृतक पत्रकार के परिवारों को या उनके स्थायी विकलांगता के मामले में 5.00 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। पत्रकारों को कैंसर, गुर्दे का काम न करना, हृदय रोग आदि जैसी गंभीर बीमारियों के मामले में 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है और अस्पताल में भर्ती होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों को पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रोसेस किया जाता है और पत्रकार कल्याण योजना समिति के समक्ष उनके विचार के लिए रखा जाता है। 01 जनवरी, 2024 से 11 फरवरी, 2025 की अवधि के दौरान, 24 पत्रकारों/परिवारों को 93,32,703 रुपये की राशि वितरित की गई है।

VII. पत्र सूचना कार्यालय द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां

क. भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

पत्र सूचना कार्यालय भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) टीम का हिस्सा था, जिसने गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी)-2024 के आयोजन स्थल पर मीडिया सेंटर में मीडिया मान्यता, सुविधा और प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित कामकाज को सम्भाला।

प्री इवेंट : इवेंट की तैयारियों का प्रारंभिक चरण मई 2024 में पीआईबी, एनएफडीसी, ईएसजी और पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की बैठकों की एक शृंखला के साथ शुरू हुआ। इन बैठकों में महोत्सव के प्रमुख पहलुओं की योजना बनाने और समन्वय करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मीडिया मान्यता : महोत्सव को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों के लिए एक पूरी तरह से ऑनलाइन मान्यता प्रणाली लागू की गई और महानिदेशक (पश्चिम क्षेत्र), पत्र सूचना कार्यालय, मुंबई द्वारा कुल 717 मान्यताएं प्रदान की गईं।

मीडिया सुविधा : मीडिया प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए एक पूर्ण इफ्फी मीडिया केंद्र के साथ-साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, एक-एक साक्षात्कार के लिए स्टूडियो इफ्फी वुड रिकॉर्डिंग रूम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, अनुभव के लिए एक स्टूडियो (इफ्फी)। वीआईपी रूम और आकाशवाणी पणजी के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉर्नर भी स्थापित किया गया था।

प्रेस टूर : पत्र सूचना कार्यालय ने उद्घाटन समारोह और महोत्सव के अन्य पहलुओं को कवर करने में उनकी सुविधा के लिए देश भर के 41 वरिष्ठ फिल्म और मनोरंजन पत्रकारों के साथ एक प्रेस टूर का आयोजन किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस : एनएफडीसी और ईएसजी के साथ निकट समन्वय में काम करते हुए, पत्र सूचना कार्यालय ने इस संस्करण में 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में समय पर अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मीडियाकर्मियों के साथ साझा किए गए।

सार्वजनिक संचार : इफ्फी-2024 के लिए अकेले अंग्रेजी में 136 मल्टीमीडिया रिलीज़ जारी की गई हैं। पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी क्षेत्रीय भाषाओं में रिलीज़ जारी की हैं।

मीडिया फीडबैक: महोत्सव अवधि के दौरान फीडबैक टीम द्वारा प्रिंट मीडिया में इफ्फी पर कुल 1071 क्लिपिंग एकत्रित और संकलित किए गए हैं।

प्रमुख गतिविधियां

क्र. सं.	वस्तु	संख्या
1	मीडिया पंजीकरण	932
2	अनुमोदित मीडिया प्रतिनिधि	717
3	प्रेस टूर प्रतिभागी	41
4	आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस	50
5	जारी की गई अंग्रेज़ी मल्टीमीडिया रिलीज़	136
6	जिन भाषाओं में रिलीज़ का अनुवाद किया गया उनकी संख्या	16
7	वास्तविक समय में साझा की गई तस्वीरों की संख्या	<1,000
8	लाइव स्ट्रीम	58
9	यू-ट्यूब वीडियो	135
10	PIB_India द्वारा X पोस्ट	621
11	PIB_India पोस्ट पर X इंप्रेशन	2.9 मिलियन
12	PIB_India द्वारा Facebook पोस्ट	552
13	PIB_India द्वारा Instagram पोस्ट	237
14	क्षेत्रीय भाषा सोशल मीडिया पोस्ट	<2,500
15	विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट	293
16	प्रिंट मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट	1071

ख. 78वां स्वतंत्रता दिवस

प्रधानमंत्री के संबोधन को क्षेत्रीय भाषाओं में लिप्यांतरित और अनुवादित किया गया। इसे पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। विशेष ग्रॉफिक्स बनाए गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग पत्र सूचना कार्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक और यू-ट्यूब) पर की गई, इसके अलावा पूर्व प्रचार के लिए प्रोमो वीडियो, तस्वीरों और वीडियो बाइट्स के लाइव ट्वीट्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के वीडियो बाइट्स भी प्रसारित किया गया।

ग. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) और इसके क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर "स्वयं और समाज के लिए योग" के केंद्रीय विषय के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने में सबसे आगे रहे। आयुष अधिकारियों के साथ पत्र सूचना कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को श्रीनगर का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। पत्र सूचना कार्यालय के कवरेज में युवा लड़के और लड़कियों के साथ बातचीत सहित जीवंत सभा को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर प्रकाश डाला गया।

पत्र सूचना कार्यालय मुख्यालय और पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के साथ-साथ माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का त्वरित अनुवाद पत्र सूचना कार्यालय अधिकारियों के सर्वोत्कृष्ट कार्य को दर्शाता है। पत्र सूचना कार्यालय के सोशल मीडिया सेल द्वारा हैशटैग #InternationalDayofYoga2024, #YogaForSelfAndSociety, #YogaWithFamily, and #IDY2024 का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 को व्यापक दृश्यता प्रदान करते हुए प्रभावी संदेश के साथ इसे आवश्यक गति प्रदान की गई।

घ. बजट आवंटन एवं उपयोग

पत्र सूचना कार्यालय के संबंध में स्थापना व्यय एवं केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत बीई/आरई/एफजी 2023-24 में निधियों के आवंटन एवं 31 दिसम्बर, 2024 तक किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	व्यय की श्रेणी	बजट अनुमान 2024-25	संशोधित अनुमान 2024-25	समाप्ति तिथि 31.12.2024 तक
1.	स्थापना व्यय (श्रेणी I)	121.99 करोड़ रुपये	12.57 करोड़ रुपये	85.22 करोड़ रुपये
2.	केंद्रीय क्षेत्र योजना (श्रेणी II) उप-योजना: 'विकास संचार और सूचना का प्रसार (डीसीआईडी) योजना के तहत विशेष आयोजनों के लिए मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और प्रचार-प्रसार	8.00 करोड़ रुपये	अभी तक प्राप्त नहीं	5.08 करोड़ रुपये

ङ. हिन्दी और उर्दू इकाइयों की गतिविधियां

हिन्दी और उर्दू इकाइयों की मुख्य गतिविधियों में दैनिक प्रेस राउंडअप तैयार करना शामिल है, जिसमें हिन्दी/उर्दू दैनिकों के हेडलाइंस और संपादकीय का अंग्रेजी अनुवाद; प्रेस विज्ञप्तियों, फीचर, पृष्ठभूमि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों का हिन्दी/उर्दू अनुवाद और मैनुअल तथा पुस्तिकाओं आदि का अनुवाद और पुनरीक्षण शामिल है। हिन्दी और उर्दू दोनों इकाइयों ने 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान क्रमशः 13,054 और 12,446 प्रेस विज्ञप्तियों के साथ-साथ 31,587 और 24,578 फोटो कैप्शन का अनुवाद किया है।

VII अनुसंधान इकाई

पत्र सूचना कार्यालय की अनुसंधान इकाई (आरयू) राष्ट्रीय महत्त्व के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक रूप से किए गए शोध के दस्तावेज़ों की शृंखला का प्रसार करके मीडिया और नागरिकों तक प्रभावी संचार और नागरिकों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। पृष्ठभूमि व्याख्याकार, तथ्यपत्रक और फीचर के रूप में ये दस्तावेज़ संबंधित विषय क्षेत्र के बारे में क्षेत्र-विशेष और साथ ही समग्र अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन दस्तावेज़ों को पत्र सूचना कार्यालय के विभिन्न प्रसार चैनलों के माध्यम से मीडिया और नागरिकों के साथ साझा किया जाता है। वर्ष 2024 में जिन विषयों पर दस्तावेज तैयार किए गए उनमें **विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई), संविधान दिवस, अयोध्या कार्यक्रम, मोदी 3.0 के 100 दिन, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक सदस्यता, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, महाकुंभ, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) आदि शामिल हैं।**

तैयार किए गए दस्तावेज़ों की संख्या (1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024) इस प्रकार है :

क्र. सं.	दस्तावेज़ का प्रकार	दस्तावेज़ों की संख्या
1	व्याख्याकार	295
2	विशेषताएं	99
3	तथ्यपत्र/एफएक्यू	23
4	हिंदी दस्तावेज़	270
	कुल	687

- इकाई ने निम्नलिखित विषयों पर सक्रिय रूप से **ई-पुस्तकें** बनाई हैं –

1. भारतीय संविधान 75 वर्ष – 75 तथ्य
2. चुनाव ई-बुक
3. राष्ट्रपति का शपथ समारोह
4. गांधी के साथ चलना – एक फोटोग्रॉफिक श्रद्धांजलि
5. भारत के प्रधानमंत्रियों का शपथ ग्रहण
6. भारत के लौह पुरुष – सरदार पटेल को श्रद्धांजलि
7. गणतंत्र दिवस
8. दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह

- इकाई ने थीम-विशिष्ट शृंखला दस्तावेज भी विकसित किए हैं, जिनमें **बजट शृंखला, विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) शृंखला, महाकुंभ शृंखला, सुशासन दिवस शृंखला, मोदी 3.0 के 100 दिनः शृंखला, स्वच्छ भारत मिशन शृंखला, पेरिस ओलंपिक शृंखला, पेरिस पैरालिंपिक शृंखला** शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को विभिन्न सरकारी पहलों और आयोजनों में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। वीबीएसवाई शृंखला का लिंकः https://pib.gov.in/VBSY_Explainer.aspx
- इकाई एक **दैनिक धारणा रिपोर्ट** भी संकलित करती है, जिसमें वे मुद्दे और विषय शामिल होते हैं जो प्रिंट और डिजिटल मीडिया, टीवी समाचार चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं।
- अनुसंधान इकाई द्वारा मंत्रालय को आवश्यकतानुसार संक्षिप्त सारांश/संक्षेप, विश्लेषण/अंतर्दृष्टि, महत्वपूर्ण भाषणों का सार, मुख्य अंश/मुख्य बातें, लेखों के लिए इनपुट, व्यापक प्रस्तुतियां (नीति पीपीटी) भी प्रदान की जाती हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए डेटा की जांच और सत्यापन भी इकाई द्वारा किया गया है, जैसे कि विभिन्न मंत्रालयों की 100 पहलों पर डेटा संकलन।

1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए संभावित योजना

शोध इकाई ने **महाकुंभ** शृंखला को जारी रखने और इस अवधि में **आर्थिक सर्वेक्षण** और **बजट 2025** पर दस्तावेज़ों की शृंखला तैयार करने की योजना बनाई है। इकाई **विश्व ब्रेल दिवस, विश्व वेटलैंड्स दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व कैंसर दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, गणतंत्र दिवस** आदि जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवसों पर दस्तावेज भी तैयार करेगी। शोध इकाई ने विभिन्न योजनाओं जैसे- **उजाला, स्टार्ट अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम- सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पोषण अभियान, डीएवाई-एनआरएलएम** आदि की वर्षगांठ के अवसर पर दस्तावेज तैयार करने की भी योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए दस्तावेजों का मसौदा तैयार किया जाएगा।

IX. फोटो प्रभाग

पत्र सूचना कार्यालय के फोटो प्रभाग को भारत सरकार की विभिन्न गतिविधियों के फोटो कवरेज के माध्यम से दृश्य सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। अक्टूबर, 1959 में स्थापित, यह शायद देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके पास स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आज तक के डिजिटल प्रारूप में संरक्षित लगभग 10.00 लाख निगेटिव/ट्रांसपेरेंसी का समृद्ध भंडार है।

उत्पादन के आंकड़े : कवर किए गए असाइनमेंट, प्राप्त छवियों, अपलोड किए गए प्रिंट, तैयार किए गए एल्बमों की संख्या निम्नानुसार हैः

क्र.सं	उत्पादन	आंकड़े
1.	कवर किए गए समाचार और फीचर असाइनमेंट	2,518
2.	पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर भेजी गई/अपलोड की गई तस्वीरें	35,455
3.	फोटो डिवीजन की वेबसाइट पर अपलोड की गई तस्वीरें	10,699
4.	इन-हाउस अधिगृहित डिजिटल तस्वीरें	4,61,967
5.	डिजिटल प्रिंट बनाए गए/आपूर्ति की गई	435
6.	तैयार किए गए वीवीआईपी फोटो एल्बम	22
7.	डिजिटल एल्बम/फ्लिपबुक बनाया गया	12

अन्य मीडिया इकाइयों के साथ तालमेल

फोटो प्रभाग ने बदलते समय के साथ सहयोगी मीडिया इकाइयों की डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को विकसित किया है। प्रभाग का समाचार फोटो नेटवर्क प्रेस इंफॉरमेशन ब्यूरो और संबंधित हितधारकों को तस्वीरें भेजने में होने वाली देरी से बचने के लिए पूरी तरह डिजिटल मोड पर काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वीवीआईपी के कार्यक्रमों की कवरेज के लिए कार्यक्रम स्थल से ही डिजिटल रूप से छवियों को प्रसारित करने के लिए लैपटॉप और वी-डेटा कार्ड के साथ डिजिटल कैमरा उपकरण का उपयोग किया गया है। प्रभाग सीबीसी द्वारा लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों के लिए वास्तविक आकार की डिजिटल इंकजेट छवियों की आवश्यकता को पूरा करता है और प्रकाशन प्रभाग को दृश्य सहायता भी प्रदान करता है।

न्यू मीडिया विंग

1. न्यू मीडिया विंग का अवलोकन

वर्ष 1945 में स्थापित, अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग (आरआरटीडी), जिसका नाम बदलकर **2013** में **न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू)** कर दिया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सोशल मीडिया आउटरीच शाखा है।

एनएमडब्ल्यू के संचालन के तीन प्राथमिक क्षेत्र शामिल हैं:

क. **सोशल/डिजिटल मीडिया आउटरीच** सामान्य रूप से भारत सरकार और विशेष रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जन-जन तक पहुंच रहा है।

ख. भारत सरकार की नीतियों, निर्णयों, घटनाओं, घोषणाओं आदि के बारे में मीडिया के विचारों और बातचीत का संवाद (SAMVAD) एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से फीडबैक और विश्लेषण।

ग. **नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत ('नवीगेट भारत')**, एक केंद्रीय संग्रह और एकीकृत पोर्टल है जो भारत सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों आदि पर वीडियो होस्ट करता है।

एनएमडब्ल्यू द्वारा की जाने वाली गतिविधियां

सोशल मीडिया नेटिजन्स के बीच विविध बातचीत का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। अपनी संवादात्मक प्रकृति के कारण, नागरिकों को सूचना प्रदान करने और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सरकार का जुड़ाव विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुशल बना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) सरकार और आम जनता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करके इन संवादों को सक्षम बना रहा है।

मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल से संबंधित आंकड़े (31 दिसंबर, 2024 तक)

न्यू मीडिया विंग विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल का प्रबंधन और संचालन करता है, जिसमें शामिल हैं:

- X (ट्विटर)
- फेसबुक
- इंस्टाग्राम
- यूट्यूब
- पब्लिक ऐप
- व्हाट्सएप
- टेलीग्राम
- लिंक्डइन

मंत्रालय के X (ट्विटर) हैंडल **@MIB_India** ने **प्रति माह औसतन 3.1 मिलियन** इंप्रेशन उत्पन्न किए, जबकि एक्स (ट्विटर हैंडल) **@MIB_Hindi** ने **प्रति माह औसतन 1.9 मिलियन** इंप्रेशन उत्पन्न किए।

मंत्रालय के हाल ही में खोले गए **लिंक्डइन** पेज पर प्रतिमाह **17 हजार से अधिक इंप्रेशन** प्राप्त हुए। **यूट्यूब** चैनल **@inbministry** पर **प्रति माह 337.5 हजार** से अधिक लोगों ने देखा।

फेसबुक पेज **@inbministry** पर पोस्ट की गई सामग्री पर **प्रति माह 2.7 मिलियन** से अधिक इंप्रेशन प्राप्त हुए।

मंत्रालय के **पब्लिक ऐप** अकाउंट **@MIB_india** पर **प्रति माह लगभग 923 मिलियन** व्यूज दर्ज किए गए। मंत्रालय के व्हाट्सएप चैनल पर **प्रति माह लगभग 8.5 हजार** प्रतिक्रियाएं और मंत्रालय के टेलीग्राम चैनल पर **प्रति माह 90 हजार व्यूज** दर्ज किए गए।

क्र. सं	प्लेटफॉर्म	अकाउंट	सब्सक्राइबर/ फ़ॉलोअर्स
1.	**X (अंग्रेजी)**	@MIB_India	1.99M
2.	**X (हिंदी)**	@MIB_Hindi	148K
3.	**फेसबुक**	@inbministry	1.6M
4.	**इंस्टाग्राम**	@MIB_India	430K
5.	**यूट्यूब**	@inbministry	229K
6.	**पब्लिक ऐप**	@MIB_India	2.4M
7.	**लिंक्डइन**	Ministry of Information & Broadcasting	1401
8.	**व्हाट्सएप**	Ministry of I&B, Govt. of India	716K
9.	**टेलीग्राम**	@MIB_India	15.2K

1 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 के दौरान एनएमडब्ल्यू द्वारा कवर किए गए प्रमुख अभियान

क्रमांक	अभियान का नाम	पोस्ट की संख्या	इंप्रेशन
1.	बीट द हीट	41	1.5 मिलियन+
2.	एमआईएफएफ 2024	41	2.1 मिलियन+
3.	नए आपराधिक कानून	390	60.1 मिलियन+
4.	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस	689	194.3 मिलियन+
5.	कान फिल्म महोत्सव	242	65.5 मिलियन+
6.	पोषण माह	140	82.4 मिलियन+
7.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	380	30 मिलियन+
8.	बुजुर्गों के लिए पहल	28	2.8 मिलियन
9.	मन की बात के 10 साल	151	8.5 मिलियन+
10.	केंद्रीय बजट	387	38 मिलियन+
11.	वेव्स समिट	99	12 मिलियन+
12.	पेरिस ओलंपिक	89	68.8 मिलियन+
13.	हर घर तिरंगा	191	85 मिलियन+
14.	राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस	399	73.8 मिलियन+
15.	स्वच्छता ही सेवा	343	66 मिलियन+
16.	पद्म पुरस्कार	267	85 मिलियन+
17.	मेक इन इंडिया के 10 साल	66	8.13 मिलियन+
18.	55वां इफ्फी (आईएफएफआई)	1,953	191.9 मिलियन+

एनएमडब्ल्यू द्वारा नई पहल:

- **महत्वपूर्ण दिवस और मीम-आधारित ग्रॉफिक्स** का उपयोग बढ़ा।
- इंस्टाग्राम रील्स जैसी आकर्षक दृश्य सामग्री
- टियर-3 और टियर-4 शहरों और छोटे कस्बों में नागरिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए **पब्लिक ऐप** सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर पोस्ट की गई **हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं** में सामग्री का उपयोग बढ़ाया गया

संवाद एकीकृत डैशबोर्ड - सोशल मीडिया फीडबैक टूल

निर्णय लेने के लिए मीडिया के विचारों का व्यवस्थित समावेश (संवाद) एकीकृत डैशबोर्ड संस्करण 3.0 वर्ष 2024-25 के दौरान चालू है। मीडिया में प्रकाशित विचारों/रायों को एकीकृत डैशबोर्ड पर अपलोड किया जा रहा है और साथ ही संबंधित हितधारकों को फ्लैश अलर्ट (डैशबोर्ड, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से) और दैनिक/ऑन-डिमांड रिपोर्ट के रूप में भेजा जा रहा है।

'नवीगेट भारत' परियोजना का अवलोकन

- नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत ('नवीगेट भारत') एक वन-स्टॉप रिपोजिटरी और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए गए वीडियो के लिए एक एकीकृत पोर्टल है।
- 'नवीगेट भारत' पर होस्ट किए गए वीडियो सरकार के अभियानों, योजनाओं, उपलब्धियों आदि पर प्रकाश डालते हैं।
- यह पोर्टल 22 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें विभिन्न क्षेत्रों और मंत्रालयों में सरकार के विकास संबंधी और नागरिक कल्याण-उन्मुख प्रयासों पर 2,900 से अधिक वीडियो हैं।

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी)

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) जिसे पहले लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) के नाम से जाना जाता था, का गठन 2017 में तत्कालीन विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) तथा गीत और नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) के एकीकरण द्वारा किया गया था। सीबीसी का उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/स्वायत्त निकायों को 360 डिग्री संचार समाधान प्रदान करना है। 23 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और 148 फील्ड कार्यालयों (एफओ) के साथ, सीबीसी ग्रामीण और शहरी लोगों को भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और स्वायत निकायों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करने में लगा हुआ है ताकि विकासात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। यह ब्यूरो द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल, प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार, आउटडोर, न्यू मीडिया आदि का उपयोग करके सुनिश्चित किया जाता है।

सीबीसी के विभिन्न विंग/वर्टिकल के माध्यम से लोक संचार प्रभाग संगीत, नृत्य-नाटक, कठपुतली, लोक और पारम्परिक गायन तथा अन्य स्थानीय लोक और पारंपरिक रूपों जैसे प्रदर्शन कलाओं की विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करके लाइव मीडिया के माध्यम से पारस्परिक संचार करता है। यह एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रमों के रूप में अपने फील्ड कार्यालयों के माध्यम से ज़मीनी सक्रियता और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसका मुख्य कार्य जागरुकता पैदा करना और लाइव प्रदर्शनों और अन्य साधनों का उपयोग करके ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव सुनिश्चित करना है।

सीबीसी ने स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सतत विकास, पोषण,

महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, मतदाता भागीदारी आदि जैसे कई क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरुकता पैदा करने और व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महत्वपूर्ण गतिविधियां

सरकार के 100 दिन पर अभियान:

- सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, सीबीसी ने 'सरकार के 100 दिन' अभियान के तहत देश भर के हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रमुख समाचार पत्रों में विभिन्न विषयों/उपलब्धियों/निर्णयों पर 11 स्ट्रिप विज्ञापनों की एक श्रृंखला जारी की।
- 'सरकार के 100 दिन' विषय पर 10 दिनों के लिए यूट्यूब, टेलीविजन और जीडीएन (7000 से अधिक वेबसाइट) पर भी अभियान चलाए गए।

राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर प्रिंट मीडिया अभियान:

स्वतंत्रता दिवस: सीबीसी ने 15 अगस्त, 2024 को देश भर के 1800 से अधिक समाचार-पत्रों में स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर प्रिंट विज्ञापन जारी किया।

महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती: सीबीसी ने 2 अक्टूबर, 2024 को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर प्रिंट मीडिया विज्ञापन जारी किया जिसमें देश भर के 600 से अधिक समाचार-पत्र शामिल हैं।

एफएम के तीसरे बैच में ई-नीलामी: सीबीसी ने एफएम चरण 3 के तीसरे बैच में ई-नीलामी पर 120 से अधिक समाचार-पत्रों में प्रिंट विज्ञापन जारी किए, जिसमें एफएम रेडियो के माध्यम से 230 से अधिक शहरों को शामिल किया गया।

गणतंत्र दिवस: सीबीसी ने गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर देश भर के 750 से अधिक समाचार-पत्रों में आधे पृष्ठ का प्रिंट विज्ञापन जारी किया।

डिजाइनिंग और प्रिंटिंग

बुकलेट "एनडीए 3.0": सीबीसी ने डिजाइन और सामग्री को अंतिम रूप दिया और माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में संसद में दिए गए भाषणों से माननीय प्रधानमंत्री और अन्य एनडीए नेताओं के उद्धरणों को सूचीबद्ध करते हुए बुकलेट "एनडीए 3.0" मुद्रित की।

बुकलेट "सरकार के 100 दिन": सीबीसी ने डिजाइन और सामग्री को अंतिम रूप दिया और सरकार के पहले 100 दिनों में लिए गए प्रमुख उपलब्धियों और निर्णयों को सूचीबद्ध करते हुए 'सरकार के 100 दिन' विषय पर बुकलेट मुद्रित की।

8 अलग-अलग थीम पर .फ्लायर्स (प्रचार-पत्र): सीबीसी ने डिजाइन और सामग्री को अंतिम रूप दिया और 8 अलग-अलग थीम जैसे युवा, नारी शक्ति, बुनियादी ढांचा, किसान आदि पर फ़्लायर्स मुद्रित किए, जिससे सरकार के पहले 100 दिनों में लिए गए प्रमुख उपलब्धियों और निर्णयों को सूचीबद्ध किया गया।

भारत सरकार का कैलेंडर 2025

भारत सरकार का 'कैलेंडर 2025' 7 जनवरी, 2025 को लॉन्च किया गया। कैलेंडर का विषय है 'जनभागीदारी से जनकल्याण' यानी जनभागीदारी के माध्यम से लोक कल्याण, परिवर्तनकारी शासन का मंत्र। चित्रों के माध्यम से कैलेंडर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकास की ओर भारत की यात्रा की दिशा निर्धारित करता है।

- 2025 के प्रत्येक महीने की एक अलग थीम होगी, जिसे संस्कृत श्लोकों के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा, जो भारत की प्रगति के लिए प्रत्येक नागरिक के साझा प्रयास का जश्न मनाएगा। यह पिछले दस वर्षों में उठाए गए प्रमुख सरकारी पहलों पर प्रकाश डालता है, जो सफल रहे हैं।
- केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने सुनिश्चित किया है कि कैलेंडर न केवल तारीखों के लिए एक मार्गदर्शक हो, बल्कि सूचना और प्रेरणा का माध्यम भी हो। इसे हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में छापा गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो

सके कि शासन और विकास का संदेश सभी क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचे, चाहे उनकी भाषा या क्षेत्र कुछ भी हो। कैलेंडर सभी सरकारी कार्यालयों, पंचायती राज संस्थानों, नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों, जिलों में बीडीओ और डीएम के कार्यालयों में वितरित किया जा रहा है।

पुस्तिका "भारत के संविधान के 75 वर्ष": संसद में "भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा – 'हमारा संविधान भारत की एकता की नींव है' शीर्षक से 121 पृष्ठों की पुस्तिका तैयार कर प्रकाशित की गई। इस पुस्तिका में 14 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के अंश हैं। इसमें अन्य नेताओं के भाषण भी शामिल हैं।

सीबीसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनियां/कार्यक्रम:

- सीबीसी मुख्यालय ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियों के माध्यम से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों/दिवसों/सप्ताहों को मनाते हुए अपनी नियमित गतिविधियों में सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता पैदा की और संदेश प्रसारित किया। कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

मतदाता जागरुकता कार्यक्रम (एसवीईईपी):-

- सीबीसी के क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों ने अप्रैल और मई, 2024 के महीने में मतदाता जागरुकता कार्यक्रम (एसवीईईपी) आयोजित किए।
- सीबीसी के क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों ने एसवीईईपी विषय पर 19 प्रदर्शनी दिवसों और 33 विशेष आउटरीच कार्यक्रमों और (एसवीईईपी) विषय पर 185 फील्ड कार्यक्रमों के साथ 30 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) आयोजित किए।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई):-

- केंद्रीय संचार ब्यूरो, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) तथा फील्ड कार्यालयों ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 मनाया तथा इस अवसर पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया।
- सीबीसी के फील्ड कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विषय पर 10 प्रदर्शनी दिवस, 07 विशेष आउटरीच कार्यक्रम तथा 48 फील्ड कार्यक्रमों के साथ 127 एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) आयोजित किए।

सीबीसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों की सूची
1 अप्रैल से दिसंबर-2024 तक

एस.एन.	स्थान	अवसर
1	सूचना भवन	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
2	संसद अनुलग्नक	नव निर्वाचित सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम
3	सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम	कारगिल विजय दिवस
4	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	स्वतंत्रता दिवस
5	राष्ट्रीय रेल संग्रहालय	राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस
6	चंदौसी	श्री गणेश मेला
7	लोकसभा सचिवालय	10वां कॉमनवेल्थ क्षेत्रीय संघ सम्मेलन प्रदर्शनी
8	अंबेडकर इंटरनेशनल केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली	पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिवस
9	न्यू मीडिया विंग, नई दिल्ली	2025 कैलेंडर विमोचन समारोह

फील्ड कार्यक्रम/आउटडोर गतिविधियां (1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2024 तक)

i) एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी)

वित्त वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2024) के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और फील्ड कार्यालयों (एफओ) ने 461 प्रदर्शनी दिवस, 61 विशेष आउटरीच कार्यक्रम, 591 फील्ड कार्यक्रमों के साथ **554 एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) आयोजित किए** और स्थानीय भाषाओं में पारस्परिक संचार, लोक परंपराओं का उपयोग करते हुए संचार और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित की, ताकि लोगों में खासकर ग्रामीण/शहरी झुग्गी-झोपड़ियों वाले क्षेत्रों में जागरुकता पैदा की जा सके।

आईसीओपी के घटक थे : सार्वजनिक बैठकें, सार्वजनिक घोषणाएं, सार्वजनिक रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम (नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले और लोक नृत्य आदि), प्रदर्शनियां, खेल/चित्रकला/कविता/रंगोली/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, वाद-विवाद/सेमिनार/संगोष्ठी और पैम्फलेट का वितरण आदि। उपर्युक्त सभी कार्यक्रम/गतिविधियां ज़मीनी स्तर पर आयोजित की गईं ताकि बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी आम जनता तक पहुंच सके।

आईसीओपी और अन्य कार्यक्रमों के दौरान सोशल मीडिया गतिविधियों की सामग्री के तहत भारत सरकार की प्रत्येक कल्याणकारी योजनाओं/नीतियों के बारे में जागरुकता पैदा करने की पहल की गई।

ii) मोबाइल वैन अभियान

नवंबर, 2024 के महीने में, क्षेत्रीय कार्यालय, सीबीसी, पुणे ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय, महाराष्ट्र के कार्यालय के सहयोग से एक मोबाइल वैन अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य मोबाइल प्रदर्शनियों और स्वीकृत आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (एसवीईईपी) कार्यक्रम आयोजित करना था। जिसका विषय महाराष्ट्र के कम मतदाता और वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में "कोई मतदाता पीछे न छूटे"। नागरिकों के मताधिकार मतदान के महत्व और राष्ट्र निर्माण के बारे में जागरुकता बढ़ाना।

अभियान के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, सीबीसी, पुणे ने **8 से 20 नवंबर, 2024** तक महाराष्ट्र के 15-20 जिलों में सांस्कृतिक दलों के साथ 15 मोबाइल प्रदर्शनी वैन तैनात किए। यह अभियान चुनाव प्रक्रिया के बारे में जागरुकता पैदा करने और लोगों से लोकतंत्र के लिए मतदान करने की अपील करने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें मतदान के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया, ताकि अधिक से अधिक मतदान का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यह अभियान बहुत सफल रहा।

iii) विकसित भारत@2047

विकसित भारत@2047 भारत सरकार का विज़न है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जो कि इसकी स्वतंत्रता का 100वां वर्ष होगा। इस विज़न में विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन शामिल हैं।

सीबीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और फील्ड कार्यालयों (एफओ) ने आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/नीतियों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए देश भर में विकसित भारत@2047 थीम पर 50 प्रदर्शनी दिवसों के साथ 26 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) आयोजित किए।

iv) तीन नए आपराधिक कानून

क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों ने इस विषय पर **23 प्रदर्शनी दिवसों, 04 विशेष आउटरीच कार्यक्रमों और 10 फील्ड कार्यक्रमों के साथ 19 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी)** आयोजित किए।

v) मिशन लाइफ

मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है, जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देता है। जीवन का मंत्र है 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली'। यह इस धरती की सुरक्षा के लिए लोगों की शक्ति को जोड़ता है और उन्हें इसका बेहतर तरीके से उपयोग करना सिखाता है।

क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों ने मिशन लाइफ थीम पर 19 प्रदर्शनी दिवसों और 10 क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ 16 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) आयोजित किए।

vi) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों/दिवसों/सप्ताहों का अवलोकनः-

क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले फील्ड कार्यालयों ने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों/दिवसों/सप्ताहों का अवलोकन करते हुए अपनी नियमित गतिविधियों में सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला।

सीबीसी के क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों ने 98 प्रदर्शनी दिवसों, 12 विशेष आउटरीच कार्यक्रमों और भारत सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं पर 166 फील्ड कार्यक्रमों के साथ 95 एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) आयोजित किए हैं।

मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस/सप्ताह थेः **आतंकवाद विरोधी दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन, पोषण माह, सद्भावना दिवस/सप्ताह, गांधी जयंती, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस** आदि।

vii) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियांः

अप्रैल से दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान सीबीसी के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात **भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रांची, रायपुर, तिरुअनंतपुरम और विजयवाड़ा** के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्राधिकार में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/नीतियों के बारे में जागरुकता अभियान चलाया है, ताकि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जनता के बीच भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता पैदा की जा सके।

इस अवधि के दौरान, आरओ और एफओ ने भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों पर **33 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी)** और **57 फील्ड कार्यक्रम** आयोजित किए।

सीबीसी के अंतर्गत सभी आरओ/एफओ ने भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के बारे में संदेश फैलाने के लिए फेसबुक, X, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया घटकों का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया।

5. सांख्यिकीय डेटा (अप्रैल से दिसंबर, 2024 तक की उपलब्धियां)

1.	आईसीओपी की कुल संख्या	554
2.	विशेष आउटरीच कार्यक्रमों की कुल संख्या	61
3.	प्रदर्शनी दिवसों की कुल संख्या	461
4.	फील्ड कार्यक्रमों की कुल संख्या	591

20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-2024 के दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो (एस एंड डीडी) का विशेष सांस्कृतिक प्रदर्शन।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो ने 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इफ्फी-2024 में 20 से 28 नवंबर, 2024 तक विभिन्न स्थानों पर कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके अपनी प्रभावशाली और उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराई।

प्रस्तुतियों में भारत के विभिन्न राज्यों जैसे- असम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कुछ अनूठे लोक-पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य शामिल थे। सीबीसी के लगभग 110 लोक और शास्त्रीय कलाकारों ने एक छत्र के नीचे जीवंत भारत के रंगों को प्रदर्शित करते हुए अपनी प्रस्तुतियां दी।

मास मेलिंग विंग की गतिविधियां : सीबीसी की मास मेलिंग विंग मुख्य रूप से देश भर के सभी हितधारकों को मुद्रित प्रचार सामग्री भेजने/वितरित करने का काम करती है। विंग ने विभिन्न प्रचार सामग्री वितरित की है, जैसे कि न्यू इंडिया समाचार (पाक्षिक) पत्रिका जिसका प्रसार लगभग 4 लाख है, मन की बातः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन पुस्तिका (मासिक), मोदी 3.0 के 100 दिन विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पुस्तिका 55वें इफ्फी पुस्तिकाएं आदि (1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2024 तक)।

भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई)

(पूर्व में भारत के समाचारपत्रों का रजिस्ट्रार)

वर्ष 2024 में प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 के अधिनियमन और पुराने प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 को निरस्त करने के साथ संगठन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। 1 मार्च, 2024 से लागू होने वाले नए अधिनियम के अनुसार, कार्यालय का नाम बदलकर भारत के प्रेस महापंजीयक - पीआरजीआई (पूर्व में भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय) कर दिया गया है।

हाल तक यह कार्य भारत के समाचारपत्र पंजीयक (आरएनआई) द्वारा किया जाता था, जिसकी स्थापना 1 जुलाई, 1956 को प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर 1953 में तथा प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 में संशोधन करके की गई थी। 1956 तक भारत में पत्रिकाओं के पंजीयन के लिए कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं था। पंजीयन अभिलेख संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने कार्यालयों में बनाए रखे जाते थे। 1956 में संगठन की स्थापना के बाद से भारत में मुद्रित समाचारपत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण रिकॉर्ड का रखरखाव भारत के समाचारपत्र रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा किया जाता रहा है।

वर्ष 2023-24 में, पीआरजीआई के कामकाज की समीक्षा सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा जनवरी, 2024 में गोवा में आयोजित बैठक में की गई। समिति ने नए पीआरपी अधिनियम, 2023 के अनुसार नए ढांचे में परिवर्तन और संक्रमण तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रयासों की समीक्षा की।

प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 में भारत में पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए नई प्रक्रियाएं और प्रक्रियाओं के प्रावधान हैं। तदनुसार, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म - **प्रेस सेवा पोर्टल** (https://presssewa.prgi.gov.in/) विकसित किया गया है। नई वेबसाइट के साथ नए पोर्टल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा 22 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया गया। प्रेस सेवा पोर्टल को आवेदकों हेतु पारदर्शिता और वास्तविक समय की स्थिति अपडेट सुनिश्चित करते हुए शीर्षक सत्यापन, पंजीकरण, आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर का उपयोग करके वार्षिक विवरण दाखिल करने जैसी सेवाओं की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्वचालन और डिजिटलीकरण परियोजना भी सभी के लिए 'व्यापार करने में आसानी' सुनिश्चित करने में सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

पीआरजीआई का प्राथमिक कार्य पीआरपी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार देश में पत्रिकाओं (प्रिंट) के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्रतिष्ठान के रूप में, यह कार्यालय डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से विनियामक कार्यों को सुव्यवस्थित करने और सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

वैधानिक आवश्यकता के क्रम में पीआरजीआई भारत में

टीम पीआरजीआई

नई दिल्ली स्थित भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई) द्वारा 21 जून, 2024 को आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह की झलक

प्रकाशित पत्रिकाओं (प्रिंट) के विवरण के साथ रिकॉर्डों का एक रजिस्टर (पीआरपी अधिनियम 2023 के अधिनियम के साथ एक डिजिटल डेटाबेस) रखता है; उपलब्धता और शीर्षक सत्यापन दिशा-निर्देशों के आधार पर पत्रिकाओं को शीर्षक आवंटित करता है; उन्हें पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करता है; इन पत्रिकाओं के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है; देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं की स्थिति के विवरण के साथ 'प्रेस इन इंडिया' शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। पीआरजीआई के साथ पंजीकृत पत्रिकाओं को अख़बारी कागज़ के आयात के लिए यह स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र भी प्रमाणित करता है। कार्यालय प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोधों या विशिष्ट शिकायतों और अपीलों के आधार पर पंजीकृत पत्रिकाओं की प्रसार संख्या का सत्यापन भी करता है।

पत्रिकाओं का पंजीकरण

31 दिसंबर, 2024 तक 1,54,362 पत्रिकाएं पीआरजीआई में पंजीकृत हैं। 2024-25 के दौरान नए और संशोधित पंजीकरण सहित 4,499 पत्रिकाएं पंजीकृत की गईं। इस संबंध में प्रविष्टियां पीआरजीआई के अभिलेखों के रजिस्टर में भी की जाती हैं।

वार्षिक विवरण

पीआरपी अधिनियम, 2023 की धारा 12(1) के अनुसार, पंजीकृत पत्रिकाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम दिन या उससे पहले प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, पीआरपी अधिनियम, 2023 की धारा 12(2) के अनुसार, यदि प्रकाशक अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण समय पर वार्षिक विवरण प्रदान करने में असमर्थ है, तो वे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल से पूर्व अनुमोदन के साथ, इसे अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन कैलेंडर वर्ष की 31 दिसंबर से बाद में नहीं। 2023-24 के लिए 36,369 पत्रिकाओं ने वार्षिक विवरण दाखिल किए हैं।

बंद हो चुकी पत्रिकाएं

पीआरजीआई ने 1,02,092 निष्क्रिय पत्रिकाओं की पहचान की है, जिनके प्रकाशक पिछले 5 वर्षों से लगातार वार्षिक विवरण दाखिल नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकारों में निर्दिष्ट प्राधिकारियों (एसए) को मामले की जांच करने के लिए आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न जिलों के निर्दिष्ट प्राधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर अब तक लगभग 205

प्रकाशनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और 2,296 प्रकाशनों को फिर से सक्रिय किया गया है।

'प्रेस इन इंडिया' रिपोर्ट

प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 की धारा 13 के अनुसार, प्रेस महापंजीयक को हर साल देश में प्रिंट मीडिया क्षेत्र की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट - 'प्रेस इन इंडिया' प्रकाशित करनी होती है। पीआरजीआई प्रकाशकों द्वारा दायर वार्षिक विवरणों के आधार पर प्रिंट मीडिया में रुझानों का विश्लेषण और संकलन करके 'प्रेस इन इंडिया' प्रकाशित करता है। 2013-14 से, प्रेस इन इंडिया को डिजिटल प्रारूप में भी लाया जा रहा है और यह पीआरजीआई की वेबसाइट https://prgi.gov.in पर उपलब्ध है।

डेस्क ऑडिट के माध्यम से प्रसार सत्यापन

प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 के अधिनियमन के साथ, डेस्क ऑडिट के माध्यम से पत्रिकाओं का प्रसार सत्यापन पीआरजीआई का एक वैधानिक कार्य बन गया है। प्रेस महापंजीयक, पत्रिकाओं के निम्नलिखित वर्गों और श्रेणियों के संबंध में प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण नियम, 2024 के तहत निर्धारित तरीके से पत्रिकाओं के प्रसार के आंकड़ों का सत्यापन करता है:

- एक दैनिक समाचार पत्र, जिसकी प्रतिदिन औसतन 25 हजार प्रतियाँ या उससे अधिक प्रसारित होती है, (जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है) पिछले दो वित्तीय वर्षों में समाचार-पत्र द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण में रिपोर्ट की गई है, और जो केंद्र सरकार के विज्ञापन प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ सूचीबद्ध है;
- एक दैनिक समाचार-पत्र, जिसकी प्रतिदिन औसतन 25 हजार प्रतियां या उससे अधिक का प्रसार है, जैसा कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में समाचार-पत्र द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण में रिपोर्ट की गई है और जो केंद्र सरकार के विज्ञापन प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ सूचीबद्ध होने का इरादा रखता है; और
- कोई अन्य पत्रिका जिसके बारे में प्रेस महापंजीयक की राय में और उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उस पत्रिका के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना, संदर्भ या शिकायत के आधार पर ऐसे सत्यापन की आवश्यकता है।

किसी पत्रिका के प्रसार को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, प्रेस महापंजीयक या उसके द्वारा अधिकृत केंद्र सरकार का कोई अधिकारी, नवीनतम वार्षिक विवरण में प्रकाशक द्वारा दी गई सूचना का डेस्क ऑडिट करता है और प्रसार के आंकड़ों का निर्धारण करता है। प्रेस महापंजीयक प्रकाशक और प्रिंटिंग प्रेस के व्यावसायिक परिसर में दस्तावेजों और अन्य सूचनाओं और अभिलेखों के भौतिक निरीक्षण के माध्यम से पत्रिका के प्रसार का सत्यापन कर सकता है।

प्रकाशकों की सुविधा के लिए और निर्बाध और मानक प्रचलन सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के तहत 13 दिसंबर, 2024 को इसके लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी।

न्यूजप्रिंट आयात

पीआरजीआई और पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के क्षेत्रीय कार्यालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आयात-निर्यात नीति के अनुसार न्यूजप्रिंट के आयात के उद्देश्य से पीआरजीआई के साथ पंजीकृत पत्रिकाओं के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणा को प्रमाणित करते हैं।

संक्षेप में कार्य का परिणाम: 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक की अवधि के लिए।

क्रमांक	विवरण	कुल संख्या
1	शीर्षक सत्यापित	1,886
2	पत्रिकाएं पंजीकृत	4,499
3	डी-ब्लॉक किए गए शीर्षक	13
4	पीजी पोर्टल शिकायतों का समाधान दिया गया	378
5	आरटीआई/आरटीआई प्रथम अपीपील	1,043
6	पत्रिकाएं बंद हो गईं	205

पीआरजीआई का आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल

पहली बार, पीआरजीआई ने अपने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल के साथ सोशल मीडिया स्पेस में कदम रखा है, जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण सलाह और दिशा-निर्देश अपने हितधारकों के साथ तुरंत साझा किए जाते हैं। आज की तारीख में, इसके 13 हजार से अधिक फ़ॉलोअर्स हैं।

पीआरजीआई के लिए नया आधिकारिक लोगो

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्वीकृति से पीआरजीआई ने अपना नया लोगो डिज़ाइन किया है, जो पीआरबी अधिनियम 1867 से पीआरपी अधिनियम, 2023 में बदलाव को दर्शाता है और कार्यालय के नाम में बदलाव के अनुरूप भी है। नए लोगो में सीएमवाईके प्रिंटिंग कलर मॉडल में दो महत्वपूर्ण रंगों, सियान और पीले रंग के साथ तिरंगे को जोड़ने का प्रयास किया गया है।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग (डीपीडी), **राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करने वाली पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का खज़ाना है।** इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। यह भारत सरकार के एक प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह के रूप में कार्य कर रहा है जो देश की प्राचीन विरासत को संरक्षित करने और भारत भूमि तथा उसके निवासियों के बारे में गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान भंडार को समृद्ध करता है। देश के गौरवशाली स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी महान विभूतियों की जीवनियों पर **'आधुनिक भारत के निर्माता'** पुस्तकों की दुर्लभ शृंखला है जिसके ज़रिए प्रकाशन विभाग की पुस्तकों में राष्ट्र के गौरवपूर्ण स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को सुंदर शब्दों में उकेरा गया है। संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति, वनस्पति तथा जीव-जंतुओं से संबद्ध विषयों पर आधारित पुस्तकें प्रकाशन विभाग के प्रकाशित शीर्षकों में से हैं।

प्रकाशन विभाग की जिम्मेदारियों में सबसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों को प्रकाशित करके समकालीनों का इतिहास लिखना है। समकालीन विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करना, भारतीय समाज और पाठकों पर ध्यान केंद्रित करना तथा बच्चों के लिए कथात्मक और गैर-कथात्मक साहित्य प्रकाशित करना भी इसके कार्यक्षेत्र में शामिल है।

प्रकाशन विभाग गांधीवादी साहित्य का एक प्रमुख प्रकाशक है। इसने गांधीवादी विचारों पर कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें अंग्रेजी में **100 खंडों में महात्मा गांधी संपूर्ण वाङ्मय (सीडब्ल्यूएमजी)** शामिल हैं। इस संग्रह को गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। गुजरात विद्यापीठ के सहयोग से और गांधीवादी विद्वानों की देखरेख में प्रकाशन विभाग ने महात्मा गांधी संपूर्ण वाङ्मय (ई-सीडब्ल्यूएमजी) का ई-संस्करण भी तैयार किया है, जो अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए डीवीडी के सेट के रूप में शोधपरक मास्टर कॉपी है जिसे गांधी हेरिटेज पोर्टल पर भी डाला गया है। प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से एक व्यापक ई-संकलन 'गांधी फॉर डिजिटल एरा' पूरा किया है।

प्रकाशन विभाग चार मासिक पत्रिकाएं- *योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती* और *आजकल* प्रकाशित करता है। ये पत्रिकाएं समसामयिक मुद्दों जैसे आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, साहित्य, संस्कृति, बाल साहित्य आदि को कवर करती हैं। इसके अलावा, विभाग द्वारा नौकरियों और करियर के अवसरों पर एक साप्ताहिक समाचार पत्र रोज़गार समाचार भी प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाशन विभाग मुख्यालय सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में है और इसका नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और तिरुअनंतपुरम में स्थित अपने बिक्री केंद्रों और बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में बिक्री काउंटरों के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। 'योजना' के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जालंधर, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम और बेंगलुरु में स्थित हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू तथा प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक श्रीमती शेफाली शरण के साथ मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को पुस्तक 'विंग्स टू आवर होप्स': राष्ट्रपति पद के प्रथम वर्ष के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के चयनित भाषण खंड-I की प्रथम प्रति भेंट की गई।

मुख्य विशेषताएं और उपलब्धियां

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 जुलाई, 2024 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और सचिव (सूचना एवं प्रसारण) श्री संजय जाजू की उपस्थिति में चार पुस्तकों का विमोचन किया, जिनके नाम हैं 'विंग्स टू आवर होप्सः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के राष्ट्रपति बनने के प्रथम वर्ष के दौरान चयनित भाषण खंड-I'; 'आशाओं की उड़ानः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रमुख भाषण खंड-I'; 'राष्ट्रपति भवनः विरासत का वर्तमान से मिलन' और 'कहानी राष्ट्रपति भवन की'।

प्रमुख गतिविधियां

पुस्तकों का प्रकाशन

अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक प्रकाशन विभाग ने हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में (एक लाख तिरपन हजार से अधिक प्रतियों की है।) 1,53,000 से अधिक प्रतियों के कुल प्रिंट ऑर्डर (प्रतियों की संख्या) के साथ 95 पुस्तकें प्रकाशित कीं। इनमें से 36 हिंदी में, 30 अंग्रेजी में और 29 अन्य भारतीय भाषाओं में हैं। प्रकाशन विभाग ने जून 2022 से मई 2023 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए चुनिंदा भाषणों और संबोधनों का चौथा खंड 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' प्रकाशित किया।

इन भाषणों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आम नागरिकों को सुशासन, महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भर भारत आदि जैसे विषयों संबोधन शामिल है।

अन्य प्रमुख शीर्षकों में 'राष्ट्रपति भवन की गाथा', 'भारत का प्रदर्शनः हेरिटेज वॉक की कला' 'एआईः माइंड्स एंड मशीन्स - योजना कलेक्टिबल्स' 'हिंदी में योजना क्लासिक्स', 'भारत 2025' - अंग्रेजी और हिंदी में एक संदर्भ वार्षिक आदि शामिल हैं।

भारत 2025 (अंग्रेजी और हिंदी)

भारत 2025, देश और इसकी सर्वांगीण प्रगति से संबंधित एक व्यापक और प्रामाणिक संदर्भ वार्षिक है। अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित, यह संदर्भ वार्षिक में प्रामाणिक, अद्यतन डेटा और सरकारी नीतियों और योजनाओं का विवरण शामिल है। यह ग्रामीण और शहरी, उद्योग, बुनियादी ढांचा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा और जन संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समग्र प्रगति को दर्शाता है। सामान्य ज्ञान के समसामयिक विषयों, खेल और महत्वपूर्ण घटनाओं पर विस्तृत जानकारी के साथ, यह विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए समान रूप से अवश्य पढ़ने योग्य है।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

विभाग कुल 18 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी और 11 अन्य भारतीय भाषाओं में 'योजना', 'कुरुक्षेत्र' (अंग्रेजी और हिंदी में), 'आजकल' (हिंदी और उर्दू में) और 'बाल भारती' (हिंदी में) के अलावा पूरे वर्ष अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में साप्ताहिक इम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार शामिल हैं।

क) *इम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार (अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू)*

1976 में 'इम्प्लॉयमेंट न्यूज़' आरंभ किया गया, 'रोजगार समाचार', विभाग की प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि देश भर के उम्मीदवारों की नौकरी के अवसरों के बारे में व्यापक प्रामाणिक जानकारी तक पहुंच हो। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित, यह केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों में नौकरियों के लिए सूचना की एकल-खिड़की के रूप में कार्य करता है।

यह पत्रिका व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचनाएं, परीक्षा सूचनाएं और यूपीएससी, एसएससी और अन्य भर्ती निकायों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम भी प्रकाशित करती है। अवसर और प्रतिभा के बीच की खाई को पाटने के अपने उद्देश्य में, रोज़गार समाचार देशभर में उम्मीदवारों को सशक्त बनाना जारी रखा है यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सपना अधूरा न रह जाए। इसके लिए, यह पत्रिका उभरते और तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में करियर बनाने पर व्यावहारिक लेख प्रस्तुत करती है, पाठकों को नए क्षितिज तलाशने के लिए ज्ञान से लैस करती है। इसमें एक क्यूरेटेड न्यूज़ डाइजेस्ट भी शामिल है, जो महत्वपूर्ण विकासों पर संक्षिप्त अपडेट प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पाठक प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं के बारे में अद्यतन रहें। इसके अतिरिक्त, रोज़गार समाचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को समर्पित पृष्ठ है और स्टार्टअप की सफलता की कहानियों का जश्न मनाता है, उद्यमशीलता को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में नवाचार को बढ़ावा देता है।

ख) *योजना (अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में)*

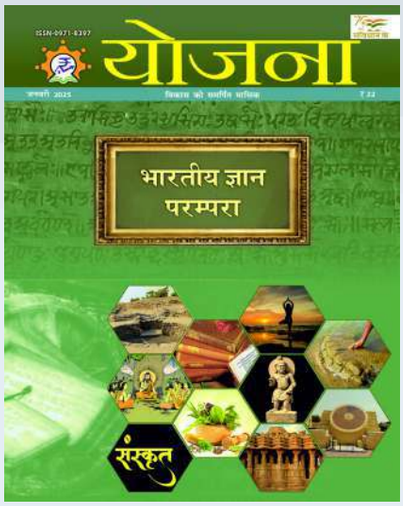

1957 से प्रकाशित होने वाली 'योजना' आर्थिक विकास के विषय पर समर्पित पत्रिका है। यह 13 भाषाओं में प्रकाशित होती है- अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। योजना के विभिन्न अंकों में भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत पर ध्यान केंद्रित करना, केंद्रीय बजट 2024-25, 'डिजिटल युग में कला और संस्कृति', 'स्वतंत्रता की सुबह' जैसे विषयों को शामिल किया गया है। इस वर्ष, एक विशेष पुस्तक 'एआईः माइंड्स एंड मशीन्स - योजना कलेक्टिबल्स' का विमोचन किया गया, जिसे पाठकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

ग) *कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिंदी)*

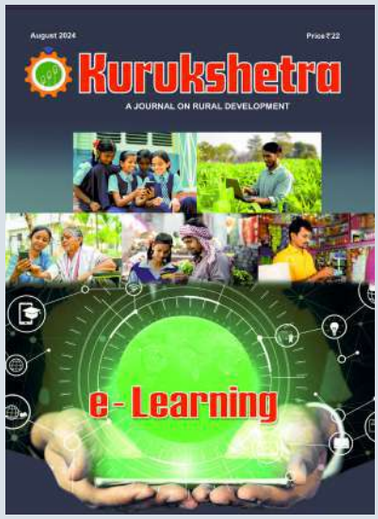

1952 से प्रकाशित होने वाला कुरुक्षेत्र प्रकाशन विभाग द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित किया जाता है। यह मासिक पत्रिका ग्रामीण विकास के संदेश को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाती है। अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के दौरान कुरुक्षेत्र ने 'हरित प्रौद्योगिकी', 'स्वास्थ्य और पोषण', 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण', 'कौशल विकास और उद्यमिता', 'बागवानी', 'आदिवासी कला' और 'संस्कृति और पर्यटन' जैसे विविध विषयों को समाहित किया।

घ) *आजकल (हिंदी और उर्दू)*

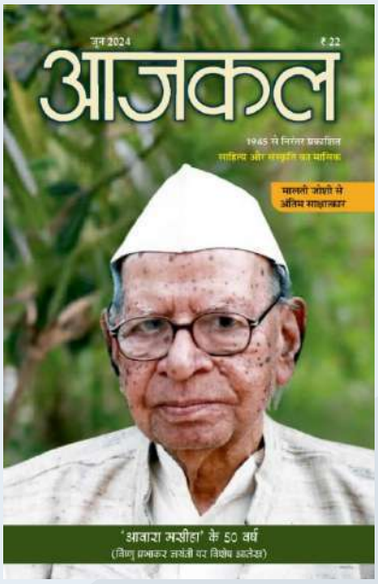

प्रकाशन विभाग के लगभग अस्सी साल पुराने प्रतिष्ठित साहित्यिक प्रकाशनों - आजकल (हिंदी- पहली बार 1945 में प्रकाशित) और आजकल (उर्दू- 1941 से स्थापित) को नवंबर 2023 में नया रूप दिया गया, जिसे पाठकों ने खूब सराहा। साहित्य, कला और संस्कृति को समर्पित दोनों मासिक पत्रिकाएं अब सुविधाजनक आकार में रंगीन प्रकाशित हो रही हैं। आजकल (हिंदी) के ये अंक साहित्यिक और सांस्कृतिक हस्तियों जैसे रामदरश मिश्र - जीवित हिंदी पुरस्कार विजेता की 100वीं जयंती पर केंद्रित थे। अन्य हिंदी साहित्यिक और सांस्कृतिक हस्तियां जैसे विष्णु प्रभाकर, मालती जोशी, गोपाल दास नीरज और फिल्म और सांस्कृतिक हस्तियां तबला वादक उस्ताद ज़ाकिर हुसैन, दादा साहब पुरस्कार विजेता मिथुन चक्रवर्ती पर केंद्रित रहा। युवाओं में साहित्यिक लेखन को बढ़ावा देने और पढ़ने की अच्छी आदतें विकसित करने के लिए कई नए कॉलम शुरू किए गए।

आजकल (उर्दू) पत्रिका लघु कथा, कविताओं या ग़ज़लों के अलावा सुरुचिपूर्ण लेख भी प्रकाशित करती रहती है। फरवरी 2024 का अंक क्लासिक उर्दू शायर ग़ालिब की पुण्यतिथि पर केंद्रित था।

ङ) *बाल भारती (हिंदी)*

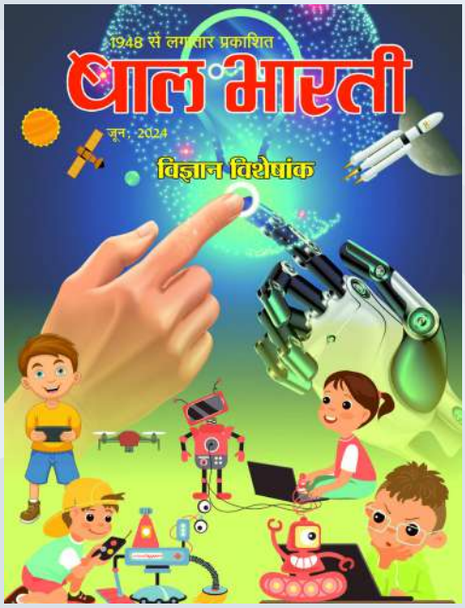

1948 से प्रकाशित होने वाली बच्चों की मासिक पत्रिका 'बाल भारती' ने अपने प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने पर मासिक शृंखला शुरू की। इसने विज्ञान विशेषांक भी प्रकाशित किया, जिसमें क्वांटम प्रौद्योगिकी, हरित क्रांति, अंतरिक्ष मिशन, ड्रोन, स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी आदि को शामिल किया गया। इसके अलावा गणतंत्र दिवस, स्वच्छ भारत मिशन, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस पर लेख प्रकाशित किए गए।

19 सितंबर, 2024 को प्रकाशन विभाग मुख्यालय, नई दिल्ली में 'मन की बात - बच्चों के साथ' पर कार्यशाला आयोजित की गई। स्कूलों के छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। प्रकाशन विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक ने उन्हें 'मन की बात' कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया।

प्रकाशन विभाग ने 44वें फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवार्ड्स 2024 में सात पुरस्कार जीते, जो इस प्रकार हैं:

- संदर्भ पुस्तकों की श्रेणी में 'भारत 2024' (हिंदी) के लिए प्रथम पुरस्कार।

- वैज्ञानिक/तकनीकी/चिकित्सा पुस्तकों की श्रेणी में कंप्यूटर की दुनिया (हिंदी) के लिए प्रथम पुरस्कार।
- पत्रिकाओं और गृह पत्रिकाओं की श्रेणी में बाल भारती (हिंदी) जून 2024 के अंक के लिए प्रथम पुरस्कार।
- कला और कॉफी टेबल पुस्तकों की श्रेणी में इंटरप्रिटिंग ज्योमेट्रीज-II, फ्लोरिंग्स ऑफ राष्ट्रपति भवन के लिए द्वितीय पुरस्कार।
- पत्रिकाओं और गृह पत्रिकाओं की श्रेणी में कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी),

प्रकाशन विभाग ने पुस्तक उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए 44वें फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवाड्र्स 2024 में सात पुरस्कार जीते जिनमें विभिन्न श्रेणियों के तहत तीन प्रथम पुरस्कार, एक द्वितीय और तीन तृतीय पुरस्कार शामिल है।

जून 2024 के अंक के लिए तृतीय पुरस्कार।

- सामान्य और व्यापारिक पुस्तकों की श्रेणी में भारतीय कला सिनेमा की प्रस्थानत्रयी (हिंदी) के लिए तृतीय पुरस्कार।
- पत्रिकाओं और गृह पत्रिकाओं (भारतीय भाषाओं) की श्रेणी में योजना (गुजराती) मार्च 2024 के अंक के लिए तृतीय पुरस्कार।

बिक्री और विपणन

प्रकाशन विभाग द्वारा अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री और विपणन के लिए सभी उपलब्ध आधुनिक रणनीतियों और डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इनमें अमेजॉन किंडल, गूगल बुक्स, भारतकोष पर भारत सरकार का ई-स्टोर, प्रकाशन विभाग के विभिन्न एजेंट और बिक्री आउटलेट, सरकारी संस्थानों/पुस्तकालयों/स्कूलों से थोक ऑर्डर और विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी जैसे विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

ई-कॉमर्स और बिक्री

भारत और दुनिया के डिजिटलीकरण की जरूरतों को ध्यान

में रखते हुए, प्रकाशन विभाग ने ई-बुक्स की दुनिया में कदम रखा है। वर्तमान में, प्रिंट पुस्तकें भारत सरकार के ई-स्टोर के माध्यम से भारतकोष पोर्टल https://bharatkosh.gov.in पर और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in पर ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ई-बुक्स के विपणन और बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (अमेजन किंडल, गूगल प्ले और गूगल बुक्स) भी लगे हुए हैं। योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती अब इन पोर्टलों पर डिजिटल अधिकार प्रबंधन (डीआरएम) सुरक्षा के साथ डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रकाशन विभाग की सभी 18 पत्रिकाएं ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

ई-प्रकाशन के 999 शीर्षक अमेज़न किंडल पर और 1273 ई-प्रकाशन गूगल प्ले पर लाइव हैं। ई-पुस्तकों की 4361 प्रतियां अमेज़न किंडल पर और 2719 प्रतियां गूगल प्ले पर बिक चुकी हैं। इसके अलावा, 42 शीर्षक कोबो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

सरकारी संस्थानों/पुस्तकालयों/स्कूलों से थोक ऑर्डर

2024-25 में, प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा और आंध्र प्रदेश के राज्य परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कार्यालयों से थोक ऑर्डर के कार्य निष्पादित किए। शैक्षिक विभागों के अलावा केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, नेताजी रिसर्च ब्यूरो, हरियाणा पुलिस और अन्य सरकारी संस्थानों से थोक ऑर्डर प्राप्त हुए।

डीपीडी ने जेएनयू परिसर में वेंडिंग मशीन लगाई

प्रकाशन विभाग ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में एक अनूठी पत्रिका वेंडिंग मशीन लगाई है। इसका उद्घाटन प्रकाशन विभाग और जेएनयू के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नवंबर 2024 में जेएनयू के डॉ. बी.आर. अंबेडकर केंद्रीय

जेएनयू, नई दिल्ली में प्रकाशन विभाग पत्रिका वेंडिंग मशीन की स्थापना।

पुस्तकालय में किया गया।

यह मशीन योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती जैसी लोकप्रिय मासिक पत्रिकाओं के साथ-साथ साप्ताहिक रोजगार समाचार तक आसान पहुंच प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति अपनी पसंदीदा पत्रिकाएं खरीदने के लिए 24x7 इस सुविधा का उपयोग कर सकता है, जिससे यह दिल्ली-एनसीआर के किसी विश्वविद्यालय परिसर में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी।

पुस्तक मेलों/कार्यक्रमों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

प्रकाशन विभाग नियमित रूप से अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भारत भर में विरासत कार्यों से लेकर बच्चों के साहित्य तक के अपने प्रतिष्ठित प्रकाशनों को प्रदर्शित करने के लिए मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेता है। बिक्री के अलावा, मेले प्रकाशन विभाग के ब्रांड मूल्य को बढ़ाने का एक अवसर हैं। प्रकाशन विभाग ने इस वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 35 ऐसे मेलों में भाग लिया है और कई मेले चल रहे हैं। निम्नलिखित कुछ उल्लेखनीय पुस्तक मेले हैं जिनमें प्रकाशन विभाग ने 2024 में भाग लिया है।

1. **28वां दिल्ली पुस्तक मेला 2024** : प्रकाशन विभाग ने दिल्ली पुस्तक मेला 2024 में भाग लिया जो कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित आयोजन है। इस वर्ष यह आयोजन 7 अगस्त से 11 अगस्त 2024 तक प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। आगंतुकों ने प्रकाशन विभाग के स्टॉल और प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक की गुणवत्ता की प्रशंसा की। ब्रांडिंग के साथ-साथ बिक्री के दृष्टिकोण से, यह

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 में प्रकाशन विभाग द्वारा आयोजित कहानी-कथन सत्र

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 में प्रकाशन विभाग के स्टॉल का अवलोकन करते आगंतुक

आयोजन प्रकाशन विभाग के लिए एक सफलता थी।

2. **पुस्तकायन** : डीपीडी ने 6 से 15 दिसंबर, 2024 तक आयोजित 'पुस्तकायन' साहित्यिक उत्सव में भाग लिया। पुस्तकायन साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यक्रम है।

3. **जश्न-ए-रेख़्ता** : उर्दू साहित्यिक आयोजनों में से जश्न-ए-रेख़्ता सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक आयोजन है, जिसमें दुनिया भर के पुस्तक प्रेमी, कला प्रेमी और भाषा प्रेमी एकत्रित होते हैं। डीपीडी ने (13 से 15 दिसंबर, 2024 तक आयोजित) इस कार्यक्रम में भाग लिया था।

4. **नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025** : प्रकाशन विभाग ने 1 से 9 फरवरी तक भारत मंडपम में आयोजित 26वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 में भाग लिया। मेले का विषय "रिपब्लिक@75" था। डीपीडी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर अपनी पुस्तकों का संग्रह प्रस्तुत किया। आगंतुकों और पुस्तक प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसमें गांधीवादी साहित्य, भारतीय सिनेमा, कला और संस्कृति, भारतीय इतिहास, प्रख्यात हस्तियों और बाल साहित्य पर आधारित बहुप्रतीक्षित पुस्तकों का भी प्रदर्शन किया गया।

राष्ट्रपति भवन की पुस्तकों, डीपीडी जर्नल्स और पत्रिकाओं के साथ-साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विशेष रूप से प्रकाशित भाषणों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। अभिलेखीय अनुभाग, जिसमें स्वतंत्रता से पहले की डीपीडी की समृद्ध साहित्यिक विरासत को प्रदर्शित किया गया, आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए दो बहुत ही आकर्षक कहानी सुनाने के सत्र भी आयोजित किए गए। इस सत्र को प्रतिभागियों द्वारा बहुत पसंद किया गया।

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया।

आईआईएमसी की स्थापना मीडिया और जन संचार के क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के मूल उद्देश्यों के साथ की गई थी। पिछले 58 वर्षों में, संस्थान ने आधुनिक समय में तेज़ी से विस्तार और बदलते मीडिया उद्योग की विविध और मांग वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई विशेष पाठ्यक्रमों का संचालन करने में प्रगति की है, जो इसके मूल अधिदेश "सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की सूचना और प्रचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने" के अनुरूप है।

आईआईएमसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके पांच क्षेत्रीय परिसर ढेंकनाल (ओडिशा), कोट्टायम (केरल), आइज़ोल (मिज़ोरम), जम्मू (जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) और अमरावती (महाराष्ट्र) में हैं।

आईआईएससी में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम 8-9 अगस्त, 2024 को आयोजित किया गया।

वर्ष 2023 में, आईआईएमसी को एक बार फिर इंडिया टुडे ग्रुप, आउटलुक-आईकेयर, द वीक मैगजीन और द ओपन मैगजीन द्वारा मास कम्युनिकेशन कॉलेजों के क्षेत्र में नंबर-1 संस्थान का दर्जा दिया गया। संस्थान की सोशल मीडिया पर एक जीवंत उपस्थिति है, जिसमें सत्यापित फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज, एक सक्रिय ट्विटर अकाउंट और एक यूट्यूब चैनल है।

मानद विश्वविद्यालय

भारतीय जन संचार संस्थान को 31 जनवरी, 2024 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशिष्ट श्रेणी के तहत एक मानद विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

शासी संरचना

भारतीय जन संचार संस्थान के 50 सदस्यीय सोसायटी द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसका गठन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वर्तमान में, प्रख्यात पत्रकार श्री आर. जगन्नाथन आईआईएमसी सोसायटी के अध्यक्ष हैं। सोसायटी के सदस्यों को सामाजिक सेवा संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि में से चुना जाता है। सोसायटी के मामलों का प्रशासन कार्यकारी परिषद् के पास होता है।

संचालित गतिविधियां

एम.ए. डिग्री कार्यक्रम : भारतीय जन संचार संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से 'मीडिया बिजनेस स्टडीज' और 'स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन' में अपना पहला एम.ए. कार्यक्रम शुरू किया है। मीडिया बिजनेस स्टडीज में एम.ए. गतिशील और तेज़ी से विकसित हो रहे मीडिया उद्योग में भविष्य के नेताओं और प्रबंधकों को विकसित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में एम.ए. वैश्विक रणनीतिक संचार, राष्ट्रों, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और रक्षा के लिए इसकी प्रासंगिकता की व्यापक समझ प्रदान करता है। एम.ए. कार्यक्रमों में प्रवेश सीयूईटी स्कोर और साक्षात्कार के आधार पर दिया गया था। इन कार्यक्रमों में 80 छात्रों की स्वीकृत क्षमता है।

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम

भारतीय जन संचार संस्थान पत्रकारिता (अंग्रेज़ी, हिंदी, ओडिया, उर्दू, मराठी और मलयालम), रेडियो और टेलीविज़न

पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क और डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सभी स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा में कुल 6,780 उम्मीदवार शामिल हुए, जिसे राष्ट्रीय परीक्षण टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा 14 मार्च, 2024 को 285 शहरों में 302 केंद्रों पर एक ऑनलाइन कंप्यूटर-आधारित टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया गया था। काउंसलिंग के बाद 2024-25 सत्र के लिए 621 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया।

आईआईएमसी ने 8-9 अगस्त 2024 को एम.ए. और पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा छात्रों के नए बैचों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2024-25 का आयोजन किया। इस ओरिएंटेशन व्याख्यान में विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। सभी कार्यक्रमों के लिए कक्षाएं 12 अगस्त, 2024 को शुरू हुईं।

भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण

आईआईएमसी भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के प्रशिक्षण अकादमी के रूप में कार्य कर रहा है, जो भारत सरकार की केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है। यह आईआईएस ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रदान करता है, जिन्हें यूपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाता है। यह आईआईएस ग्रुप 'बी' अधिकारियों के लिए फाउंडेशन ट्रेनिंग भी आयोजित करता है, जिन्हें पूर्व पत्रकारिता अनुभव के आधार पर भर्ती किया जाता है।

व्यापक परामर्श के माध्यम से, आईआईएस अधिकारियों जो सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है। साथ ही सरकार के कामकाज और इसकी संचार व्यवस्था का अवलोकन करने के लिए व्यापक आधार दिया गया है ताकि अधिकारियों को भारत में मीडिया उद्योग की व्यापकता से परिचित कराया जा सके और वे सार्वजनिक संचार की बारीकियों को समझ सकें।

आईआईएस ग्रुप 'ए' के लिए दो साल के इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सैंडविच ट्रेनिंग मॉडल का अनुसरण किया जाता है। प्रशिक्षु अधिकारी (ओटी), जो अपने फाउंडेशन कोर्स को पूरा करने के बाद आईआईएमसी में शामिल होते हैं, संस्थान में सार्वजनिक संचार में साढ़े नौ महीने के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस चरण में कक्षा व्याख्यान, प्रैक्टिकल, सिमुलेशन अभ्यास, साइट का दौरा; विभिन्न अटैचमेंट्स

आईआईएस ग्रुप 'ए' (2022 और 2023 बैच) के अधिकारी प्रशिक्षु भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाक़ात करते हुए।

और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और प्रमुख मीडिया पेशेवरों के साथ वार्ता शामिल है।

आईआईएमसी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रशिक्षु अधिकारियों को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के माध्यम से नौकरी का व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया निदेशालयों के साथ जोड़ा जाता है। ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षु अधिकारी आम तौर पर मंत्रालय के प्रमुख मीडिया निदेशालयों जैसे पत्र सूचना कार्यालय, सीबीसी और प्रसार भारती में तीन-तीन महीने बिताते हैं। इसमें एक महीने का क्षेत्रीय अटैचमेंट भी शामिल है। अंत में, प्रशिक्षु अधिकारी एक महीने के चरण-II प्रशिक्षण के लिए आईआईएमसी में वापस आते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 2022 और 2023 बैचों के 8 आईआईएस ग्रुप 'ए' प्रशिक्षु अधिकारियों ने इंडक्शन ट्रेनिंग का अपना चरण-I पूरा कर लिया है और वर्तमान में वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में अपना ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग अवधि के दौरान, महत्त्वपूर्ण गतिविधि थी- असम राइफल्स के साथ रक्षा अटैचमेंट जैसे बाहरी कार्य और तीन सप्ताह का अखिल भारतीय अध्ययन दौरा जिसे भारत दर्शन भी कहा जाता है, जिसमें प्रशिक्षु अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदराज के स्थानों का दौरा किया और सामाजिक संगठनों के सहयोग से स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत की। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) में प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए फिल्म एप्रिसिएशन और स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग में चार सप्ताह का कोर्स भी आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण का एक मुख्य आकर्षण आईआईएम, इंदौर में एक सप्ताह का प्रबंधन मॉड्यूल था। प्रशिक्षणार्थियों ने भारत के माननीय उपराष्ट्रपति से भी मुलाक़ात की।

इस बीच, 2020, 2021 और 2022 बैच के 15 प्रशिक्षु अधिकारियों ने 2024-25 के दौरान अपना चरण-II प्रशिक्षण पूरा कर लिया। इंडक्शन ट्रेनिंग के सफल समापन के बाद इन प्रशिक्षु अधिकारियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उनकी पहली नियमित पोस्टिंग के लिए भेज दिया गया।

आईआईएमसी ने 15 जुलाई से 7 अक्टूबर, 2024 तक आईआईएस ग्रुप 'बी' के जूनियर ग्रेड के प्रोबेशनर्स के लिए तीन महीने का फाउंडेशन कोर्स आयोजित किया। इस कोर्स में मीडिया, प्रशासन और मीडिया इकाइयों के कामकाज की मूल बातें शामिल थीं। इसमें संचार सिद्धांत, सोशल मीडिया, प्रसारण, मीडिया कानून एवं नियामक ढांचे पर ट्रेनिंग शामिल थी। 10 दिवसीय अखिल भारतीय अध्ययन दौरे, क्षेत्रीय भ्रमण और मीडिया इकाइयों में व्यावहारिक अनुभव जैसे अध्ययन दौरों के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया गया, जिससे उनकी भावी भूमिकाओं के लिए व्यापक तैयारी सुनिश्चित हुई।

आईआईएमसी ने विभिन्न वरिष्ठता स्तरों पर आईआईएस ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' अधिकारियों के लिए तीन रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किए। जेएजी स्तर पर 16 अधिकारी, एसटीएस/जेटीएस स्तर पर 14 अधिकारी और आईआईएस ग्रुप 'बी' के 20 अधिकारी रिफ्रेशर कोर्स में शामिल हुए। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न करियर स्तरों पर अधिकारियों की कार्यात्मक दक्षताओं और कौशल को उन्नत करना है जिससे वे सरकारी संचार, सार्वजनिक नीति और विकास में उभरती चुनौतियों और अवसरों का सामना करने में सक्षम हो सकें।

मार्च 2025 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिसंबर 2024 में, 2009, 2023 और 2024 बैच के 13 नए अधिकारी प्रशिक्षुओं के एक नए बैच ने आईआईएमसी में अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू की। प्रारंभिक प्रशिक्षण में संचार सिद्धांत और अनुसंधान, विकास संचार, समाचार लेखन और रिपोर्टिंग, प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूपण तथा सोशल मीडिया का परिचय शामिल है। इसमें मंत्रालय के तहत सभी मीडिया संगठनों का क्षेत्र दौरा भी शामिल है, ताकि उन्हें विभिन्न इकाइयों की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सकें।

आईआईएस ग्रुप 'बी' के सीनियर ग्रेड के 29 प्रोबेशनर्स के लिए छह महीने का फाउंडेशन कोर्स दिसंबर 2024 से आईआईएमसी में शुरू हुआ। अधिकारियों को मंत्रालय के वरिष्ठ और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने हेतु संवाद सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा, उन्हें उन्नत संचार कौशल और अधिकारी जैसे सुलभ गुणों का प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रिंट प्रोडक्शन, फोटोग्राफी और विकास संचार जैसे विषयों पर भी कक्षाएं संचालित की गईं।

वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यकारी शिक्षा केंद्र के भौतिक लक्ष्य

कार्यकारी शिक्षा केंद्र ने एनएचपीसी लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारियों के लिए मीडिया और संचार, सूचना और जनसंपर्क अधिकारियों, (बिहार सरकार), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (रक्षा मंत्रालय), भारतीय सशस्त्र बलों (रक्षा मंत्रालय), मिज़ोरम सूचना सेवा (मिज़ोरम सरकार) के लिए मीडिया और संचार पर 15 (एक, दो और तीन सप्ताह और 3 दिन की अवधि) अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

मीडिया एवं संचार अनुसंधान केंद्र (सीईएमसीओआर)

शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) को 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिए जाने के साथ ही संचार अनुसंधान विभाग (डीईसीओआरई) का नाम बदलकर 2024 में मीडिया एवं संचार अनुसंधान केंद्र (सीईएमसीओआर) कर दिया गया। डॉक्टरेट कार्यक्रमों (जब वे शुरू होते हैं) के लिए पाठ्यक्रम संचालित करने की जिम्मेदारी सीईएमसीओआर को सौंपी गई, साथ ही मौजूदा कर्तव्यों में अनुसंधान परियोजनाएं और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना भी शामिल है। विरासत के रूप में, केंद्र ने पिछले 59 वर्षों में विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक शोध अध्ययनों के साथ संचार में अनुसंधान के लिए एक मानक स्थापित किया है।

जर्नल्स, समाचारों पत्रिकाओं और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संचार

आईआईएमसी का प्रकाशन विभाग सहकर्मी-समीक्षित दो शोध पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जिनके नाम हैं तथा 'कम्युनिकेटर' (अंग्रेजी त्रैमासिक) और 'संचार माध्यम' (हिन्दी छमाही), जो भारत में प्रकाशित होने वाली सबसे पुरानी संचार पत्रिकाएं हैं। ये प्रमुख पत्रिकाएं यूजीसी-सीएआरई सूचीबद्ध पत्रिकाएं हैं, जो संचार पर मूल शोध प्रकाशित करती हैं और विद्वानों, चिकित्सकों और नीति-निर्माताओं के अधिक लाभ के लिए संचार और संबंधित शाखाओं के क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम साहित्य को प्रकाशित करने का प्रयास करती है। विभाग नियमित रूप से राजभाषा विमर्श (हिंदी) पत्रिका भी प्रकाशित कर रहा है, जो राजभाषा हिंदी को समर्पित है।

पत्रकारिता और जन संचार के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए, आईआईएमसी ने हिन्दी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में 'पाठ्य पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम' शुरू किया है। पहले चरण में पत्रकारिता और जन संचार के विभिन्न विषयों पर अच्छी संख्या में हिंदी पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की गईं।

पंडित युगल किशोर शुक्ल पुस्तकालय एवं ज्ञान संस्थान केंद्र

संस्थान में देश का जन संचार के क्षेत्र में सबसे बड़ा विशिष्ट पुस्तकालय है। इसमें जन संचार और संबद्ध विषयों जैसे- प्रिंट

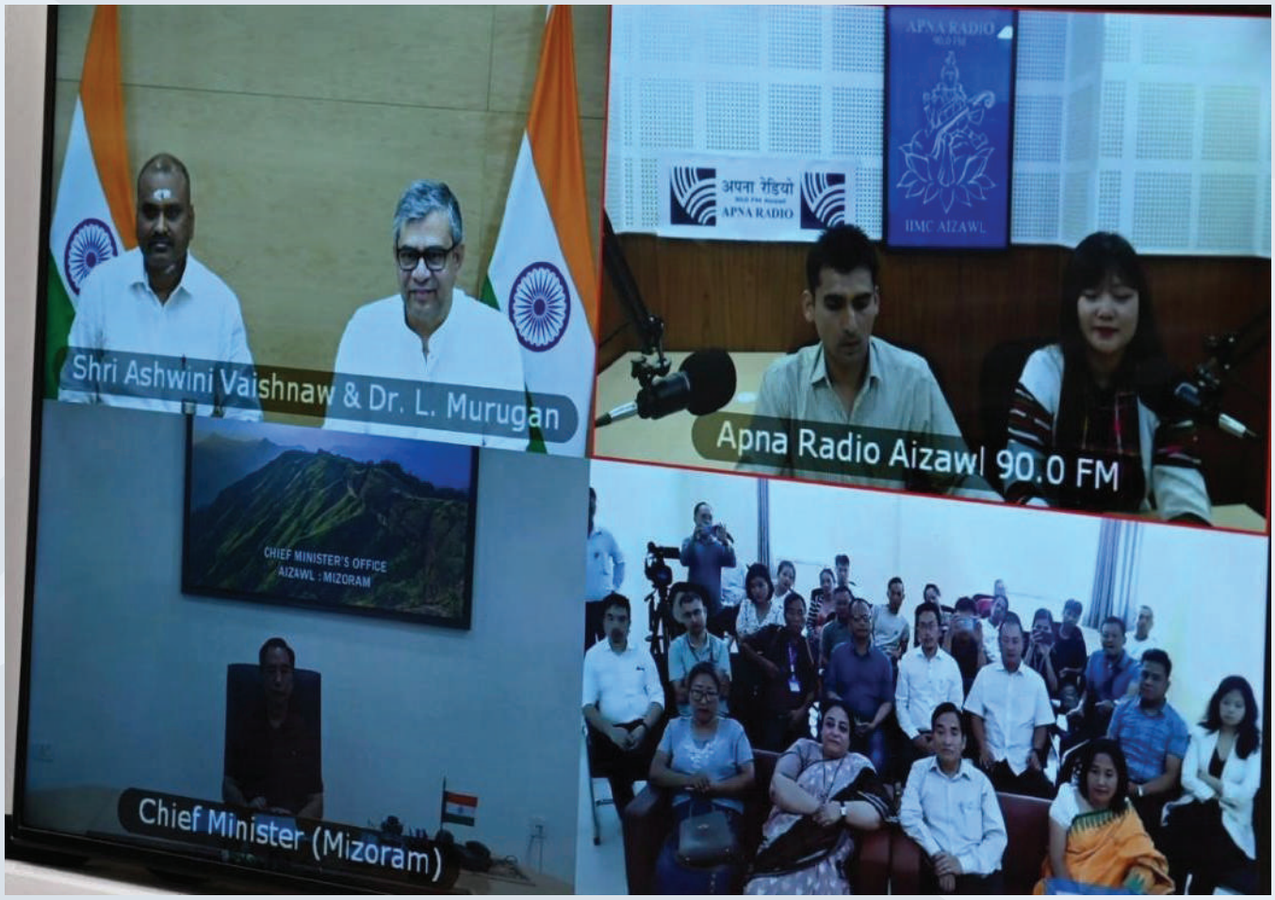

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 25 जुलाई, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईएमसी आइज़ोल परिसर में भारत के 500वें और मिज़ोरम के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन के ऐतिहासिक उद्घाटन के अवसर पर।

मीडिया, प्रसारण, विज्ञापन, संचार, संचार अनुसंधान, जनसंपर्क, रेडियो और टेलीविजन, फिल्म, सूचना प्रौद्योगिकी और पारंपरिक मीडिया के विभिन्न आयामों से संबंधित हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में लगभग 39,657 पुस्तकों और सजिल्द पत्रिकाओं का संकलन है। पुस्तकालय में अंग्रेजी और हिन्दी साहित्य पर पुस्तकों का गुणवत्तापूर्ण संग्रह भी है। पुस्तकालय पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है और इसने लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्लाउड पर लिबसेस 10 (LIBSYS 10) के नवीनतम संस्करण के माध्यम से अपने सेवा संचालन को स्वचालित कर दिया है। छात्रों, संकाय सदस्यों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपीएसी) उपलब्ध है।

पुस्तकालय ने आईआईएस ओटी छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधार्थियों के लिए एक अत्याधुनिक मल्टीमीडिया, संदर्भ और अनुसंधान अनुभाग भी विकसित किया है।

अपना रेडियो 96.9 एफएम

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो 96.9 एफएम वर्ष 2005 में शुरू किया गया था और तब से यह समुदाय के लिए शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान करने की अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। यह सामुदायिक सशक्तीकरण और जमीनी स्तर की आवाज़ों को मंच प्रदान करने के अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। संस्थान के लिए वित्त वर्ष 2024-25 प्रभावशाली परियोजनाओं और सहयोग का वर्ष रहा है, जो महत्वपूर्ण मील के पत्थर और उपलब्धियों से चिह्नित है।

अपना रेडियो प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होता है। इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम और 'अपने आस-पास' नामक एक घंटे का दैनिक लाइव शो शामिल है। इस शो में ऐसे विषय शामिल हैं जो वर्तमान प्रकृति के हैं और समुदाय के लिए रुचिकर हैं। कार्यक्रमों में नियमित रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, किशोरों से जुड़े मुद्दे, सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम, करियर परामर्श, रोज़गार के अवसर, विज्ञान, कला और संस्कृति, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, संगीत, साहित्य, महिलाओं और बच्चों से संबंधित विषयों को शामिल किया जाता है।

भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन तथा मिज़ोरम के पहले सीआरएस का उद्घाटन

अपना रेडियो ने 25 जुलाई, 2024 को आईआईएमसी आइज़ोल परिसर में भारत के 500वें और मिज़ोरम के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन और मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा की उपस्थिति में ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया गया। यह स्टेशन स्थानीय समुदाय से जुड़ने और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करेगा।

क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन (पश्चिम)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) के लिए दो दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, शैक्षिक संस्थानों और नीति-निर्माताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण और सामुदायिक रेडियो की सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा हुई।

परिसरों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन - कंप्यूटर लैब्स, पीसी, नई कक्षाएं, एवी और मोजो उपकरण

संस्थान के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में आईआईएमसी परिसर का निर्माण और दिल्ली में संस्थान के परिसर के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से देश में मीडिया शिक्षा को और बढ़ावा मिलेगा। सभी 6 कैंपस में ऑडियो-विजुअल उपकरणों को उन्नत किया गया है, जबकि सभी परिसरों में मोजो स्टूडियो भी स्थापित किए गए हैं। पुस्तकालयों को नवीनतम पुस्तकों की खरीद से समृद्ध किया गया और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं को उच्चतम गुणवत्ता वाले पीसी दिए गए, साथ ही आवश्यक सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराया गया। एंटी-प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर भी खरीदा गया और नई दिल्ली परिसर में मिनी-ऑडिटोरियम का निर्माण और आधुनिकीकरण भी रिकॉर्ड समय में किया। छह परिसरों में कई अन्य कार्य भी शुरू किए गए।

आईआईएमसी नई दिल्ली और कोट्टायम में इनक्यूबेशन सेंटर

परिसर में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, संस्थान के पहले इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन 29 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली में किया गया, जिसके बाद आईआईएमसी कोट्टायम कैंपस में इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई। इस बीच, 24 दिसंबर, 2024 को आईआईएमसी ने आईडीईएटीएचओएन की घोषणा की, जो आईआईएमसी में अपनी तरह का पहला आयोजन है। इसका उद्देश्य छात्रों द्वारा उद्यमशीलता के विचारों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं को उद्योग विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जाएगी। इस वर्ष संस्थान ने आईआईएमसी - इंडस्ट्री कनेक्ट 2024 कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस अनूठे आयोजन में उद्योग जगत के नेताओं ने मीडिया और संचार

उद्योग की स्थिति और वर्तमान तथा भविष्य में रोज़गार के अवसरों पर छात्रों से बातचीत की।

भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) एक वैधानिक अर्ध-न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसे वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम, अर्थात् प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के तहत पुनः स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है।

यह परिषद् एक निगमित निकाय है, जिसका उत्तराधिकार स्थायी है। इसमें एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, परंपरा के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें एक समिति द्वारा नामित किया जाता है। जिसमें राज्य सभा के अध्यक्ष, लोक सभा के अध्यक्ष और परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से चुने गए व्यक्ति शामिल होते हैं। 28 सदस्यों में से 20 विशेष रूप से पहचाने गए विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 8 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं जो संसद के दोनों सदनों और प्रमुख शैक्षणिक एवं कानूनी संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

संसद के अधिनियम के तहत स्थापित निकाय होने के कारण परिषद् को अपनी निधि का एक हिस्सा संसद द्वारा उचित विनियोग के बाद केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होता है, साथ ही इसे समाचार-पत्रों से एक श्रेणीबद्ध संरचना और अन्य प्राप्तियों पर एकीकृत शुल्क के माध्यम से अपने स्वयं के कोष भी है।

वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए परिषद् के पास कुल स्वीकृत बजट 15,64,12,000 रुपये (पंद्रह करोड़, चौसठ लाख, बारह हजार रुपये मात्र) है।

परिषद् के समक्ष शिकायतें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान **01 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024** तक परिषद् में कुल **940** शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 150 मामलों का निपटारा परिषद् द्वारा न्यायनिर्णयन के माध्यम से किया गया, और **28** मामलों (पिछले वर्ष की अग्रेषित शिकायतों सहित) का निपटारा अध्यक्ष द्वारा पक्षों के बीच समझौता होने पर या जांच करने के लिए पर्याप्त आधारों की कमी या गैर-अनुपालन; मामलों के वापस लेने या न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण किया गया।

स्वतः संज्ञान

परिषद् ने **8** मामलों में मीडियाकर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया। परिषद् ने पत्रकारिता, नैतिकता और सार्वजनिक रुचि के मानकों का उल्लंघन करने के लिए समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के खिलाफ **1** मामलें में स्वतः संज्ञान लिया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2024 कार्यक्रम की एक झलक।

प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड

प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड (पीआरएबी) नए अधिनियमित प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीआरएबी को अधिनियम के तहत पंजीकरण अस्वीकृति या पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को रद्द करने से संबंधित विवादों और अपीलों का निपटारा करने का कार्य सौंपा गया है। बोर्ड एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकरण प्रक्रिया में शिकायतों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए। पीआरएबी और इसके कामकाज को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक प्रावधानों का विवरण पीआरपी अधिनियम, 2023 की **धारा 15** में कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण दिया गया है।

प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 को 1 मार्च, 2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया, जबकि प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 को निरस्त कर दिया गया है। पीआरएबी बोर्ड का गठन और कामकाज पीआरपी अधिनियम, 2023 की धारा 15 द्वारा शासित होता है, जिसमें कहा गया हैः "प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड नामक एक अपीलीय बोर्ड होगा जिसमें भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामित दो सदस्य शामिल होंगे। बशर्ते कि दो सदस्यों में से कम से कम एक प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (डी) या खंड (ई) में निर्दिष्ट व्यक्ति होगा।" प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के संदर्भित खंड (डी) और (ई) में शिक्षा, कानून, विज्ञान, साहित्य या संस्कृति जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति शामिल हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या साहित्य अकादमी जैसी संस्थाओं द्वारा नामित किया जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा अपने सदस्यों में से क्रमशः नामित संसद सदस्य भी शामिल होते।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2024

राष्ट्रीय प्रेस दिवस देश में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में "प्रेस का बदलता हुआ स्वरूप" थीम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूचना एवं प्रसारण, मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्य अतिथि के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया और उद्घाटन भाषण दिया। सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य के राज्य मंत्री ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल रूप से भाग लिया। वरिष्ठ पत्रकार और पद्मभूषण से सम्मानित श्री कुंदन रमनलाल व्यास के मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित हुए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने भी सभा को संबोधित किया। इस समारोह की अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की।

वर्ष 2023 के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण

मीडिया को 'जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता' के सिद्धांत का पालन करते हुए बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारतीय प्रेस परिषद् ने, इस तरह के अधिदेश का आनंद लेने वाले एकमात्र वैधानिक प्राधिकरण के रूप में, 2012 से विभिन्न क्षेत्रों में प्रिंट पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है।

भारतीय प्रेस परिषद् ने 5 अगस्त, 2024 को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 प्रदान किए। इस अवसर पर प्रिंट मीडिया के 15 पत्रकारों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुस्कार वरिष्ठ पत्रकार श्री राम बहादुर राय, मुख्य अतिथि और

श्री अशोक टंडन विशिष्ट अतिथि द्वारा अध्यक्ष (पीसीएल) की उपस्थिति में प्रदत्त किए गए।

15वें कार्यकाल के लिए परिषद् का पुनर्गठन

चूंकि परिषद् का 14वां कार्यकाल 5 अक्टूबर, 2024 को समाप्त हो गया इसलिए परिषद् के 15वें कार्यकाल के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। 28 अक्टूबर, 2024 के राजपत्र अधिसूचना और 2 दिसंबर, 2024 के अतिरिक्त परिशिष्ट अधिसूचना के अनुसार 15वें कार्यकाल के लिए नामों का पैनल प्रस्तुत करने के लिए इक्कीस एसोशिएशन को अधिसूचित किया गया है।

केंद्र सरकार ने 19 दिसंबर, 2024 के अपने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पीसीआई के 15वें कार्यकाल के लिए पांच सदस्यों को अधिसूचित किया।

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(डी) के तहत निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत किया गया है:

1. श्री मनन कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, संसद सदस्य (राज्यसभा) अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मनोनीत)।
2. प्रो. अश्विनी के. महापात्रा, पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, (यूजीसी द्वारा मनोनीत)।
3. डॉ. के. श्रीनिवासराव, सचिव, साहित्य अकादमी (साहित्य अकादमी द्वारा मनोनीत)।

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(ई) के तहत निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत किया गया है:

1. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, संसद सदस्य (राज्य सभा द्वारा मनोनीत)।
2. श्री बृज लाल, संसद सदस्य (राज्य सभा द्वारा मनोनीत)।

इंटर्नशिप कार्यक्रम और छात्र दौरें

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (बी), (सी) और (डी) के तहत परिषद् के कार्यों के निर्वहन में, पत्रकारिता के पेशे से जुड़े सभी लोगों को ज्ञान की सुविधा प्रदान करने, जिम्मेदारी और सार्वजनिक सेवा की भावना के विकास को प्रोत्साहित करने तथा पीसीआई के कामकाज के बारे में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से पत्रकारिता के छात्रों के लिए योग्यता आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम शामिल किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सचिवालय द्वारा 12 फरवरी, 2024 से 12 मार्च, 2024 तक शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 2024 आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से पत्रकारिता के छात्रों को एक महीने के इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए चयन किया गया। प्रशिक्षुओं ने प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और भारत में प्रेस के मानक को बनाए रखने और सुधारने से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में सीखा।

महामना मदनमोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता एवं जन संचार संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने अपने अध्ययन दौरे के तहत दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को परिषद् के सचिवालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष के साथ एक सवांदात्मक सत्र में भाग लिया।

डिजिटल मीडिया प्रभाग

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 25 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। मध्यस्थों से संबंधित नियमों के भाग-II को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा प्रशासित किया जाता है। डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाओं तथा ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों से संबंधित नियमों का भाग-III, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

द्वारा प्रशासित किया जाता है और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाओं के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है। नियमों की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं:

i. डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता।

ii. तीन स्तरीय शिकायत निवारण-तंत्र निम्नानुसार है:

क) स्तर-1- प्रकाशक

ख) स्तर-II- प्रकाशकों का स्व-नियामक निकाय और

ग) स्तर-III- केंद्र सरकार का निरीक्षण तंत्र जिसमें अंतर विभागीय समिति शामिल है।

iii. प्रकाशकों द्वारा सरकार को सूचना प्रदान करना।

2. समाचार और समसामयिक घटनाओं के प्रकाशकों के लिए लागू आचार संहिता के अनुसार (i) भारतीय प्रेस परिषद् के पत्रकारिता आचरण के मानदंड (ii) केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता और (iii) ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए जो वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत निषिद्ध है।

3. ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता के तहत उन्हें निम्नलिखित कार्य करने होंगे :

(i) ऐसी किसी सामग्री को प्रसारित, प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं करना जो वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत निषिद्ध है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है;

(ii) अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करने के लिए सामग्री तय करने में भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कारकों को ध्यान में रखना;

(iii) नियमों में निर्धारित इस उद्देश्य के लिए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सामग्री को पांच आयु-आधारित श्रेणियों में स्व-वर्गीकृत करना;

(iv) उपयोगकर्ता को सामग्री की प्रकृति के बारे में सूचित करने वाले सामग्री विवरणक के साथ इस तरह के वर्गीकरण को प्रदर्शित करना और प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शक को विवेक की सलाह देना ताकि उपयोगकर्ता कार्यक्रम देखने से पहले सोच-समझकर निर्णय ले सके;

(v) उचित अभिगम नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से किसी बच्चे की उच्च आयु वर्ग वाली सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए सभी प्रयास करना; और

(vi) उपर्युक्त अभिगम सेवाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से दिव्यांगजनों को तक ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री की पहुंच में सुधार करने के लिए उचित प्रयास करना।

4. 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की अधिसूचना के बाद नियमों के कार्यान्वयन की दिशा में निम्नलिखित कार्रवाई/विकास हुए हैं:

i) आज तक, 69 ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित 3,637 प्रकाशकों ने नियमों के तहत मंत्रालय को आवश्यक जानकारी प्रदान की है, जिसका विवरण आगे दिया गया है;

ओटीटी प्लेटफॉर्म	69
डिजिटल समाचार प्रकाशक (स्टैंडअलोन) और यू-ट्यूब पर	3100
समाचार पत्रों की डिजिटल शाखाएं	587
टीवी चैनलों की डिजिटल शाखाएं	94
कुल	3850

ii) मंत्रालय ने ग्यारह स्व-नियामक निकाय (एसआरबी) पंजीकृत

किए हैं, जो शिकायत निवारण तंत्र के स्तर-II के रूप में कार्य करते हैं; जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

डिजिटल समाचार

1. भारतीय डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद् (ऑनलाइन मीडिया परिसंघ)।
2. वेब पत्रकार मानक प्राधिकरण (वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया)।
3. व्यावसायिक समाचार प्रसारण प्राधिकरण (एनबीए)।
4. मीडिया9 डिजिटल मीडिया फेडरेशन (एमडीएमएफ)।
5. डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन।
6. वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल।
7. डिजिटल मीडिया प्रकाशकों और समाचार पोर्टल का पंजीकरण भारतीय शिकायत परिषद्।
8. प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन (पीएडीएमए)।
9. पत्रकार और मीडिया एसोसिएशन शिकायत परिषद् (जेएमएजीसी)।

ओटीटी प्लेटफॉर्म

i) डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद् (आईएएमएआई)

ii) डिजिटल मीडिया सामग्री विनियामक परिषद् (डीएमआरसी)

iii) मंत्रालय द्वारा प्राप्त शिकायतों को नियमों के तहत उनके निवारण के लिए प्रकाशकों को भेजा जा रहा है। डिजिटल समाचार प्रकाशकों से संबंधित 859 शिकायतें/परिवेदनाएं और ओटीटी प्लेटफार्मों से संबंधित 1086 शिकायतें/परिवेदनाएं मंत्रालय में सीधे या लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुईं, जिनका या तो सीधे उत्तर दिया गया है या नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए संबंधित प्रकाशकों को भेज दिया गया है।

iv) नियमों के तहत अंतर विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया गया है, जिसमें महिला एवं बाल विकास, कानून एवं न्याय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्यगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि और पीसीआई, सीआईआई और फिक्की के डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं। मंत्रालय में संयुक्त सचिव को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है जो आईडीसी की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

v) 69ए सामग्री पर रोक लगाने के निर्देशः सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत संदर्भित सामग्री को ले जाने के लिए डिजिटल मीडिया पर सामग्री को ब्लॉक करने का प्रावधान किया गया है, "भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या प्रभावी प्रक्रियात्मक, कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के साथ उपर्युक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कृत्य को रोकने के लिए" के तहत संदर्भित सामग्री को डिजिटल मीडिया पर देने पर सामग्री को अवरुद्ध करने का प्रावधान है। दिसंबर, 2021 से मंत्रालय ने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए में संदर्भित सामग्री फैलाने वाले सौ से अधिक ऐसे अकाउंट और चैनलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं।

vi) **ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाईः** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम के प्रथम दृष्टया उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर विभिन्न मध्यस्थों के साथ समन्वय में कार्रवाई की है और अश्लील

और कुछ मामलों में पोर्नोग्रॉफिक सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक कर दिया है।

vii) ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से संबंधित कार्रवाईः

क) मंत्रालय ने 21 मार्च, 2024 को सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने वाले और प्रभावित करने वालों को सलाह जारी की है कि वे किसी भी रूप में ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ के प्लेटफॉर्मों के सरोगेट विज्ञापनों सहित इस तरह की प्रचार सामग्री दिखाने से बचें। सोशल मीडिया बिचौलियों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने उपयोगकर्ताओं के बीच ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से परहेज करने के लिए जागरुकता अभियान चलाएं।

ख) मंत्रालय ने 14 मई, 2024 को सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन विभिन्न खातों तक पहुंच को निष्क्रिय करने के लिए कहा गया है जो विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए या उनके समर्थित उत्पादों को बढ़ावा देते हैं।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू 18 जुलाई, 2024 को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) और नेटफ्लिक्स इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के अवसर पर।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू और फ्रांस में भारत के राजदूत श्री जावेद अशरफ के नेतृत्व में 77वें कान्स फिल्म महोत्सव में भारत पैवेलियन का उद्घाटन किया गया।

5 प्रसारण क्षेत्र

अवलोकन

प्रसारण क्षेत्र को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है– 'कंटेंट' और 'कैरिज सेवाएं'। यह मंत्रालय निजी उपग्रह चैनलों के कंटेंट तथा मल्टीसिस्टम ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी की गई नीतिगत दिशा-निर्देशों के माध्यम से नियंत्रित करता है। प्रसारण कैरिज सेवाओं में मल्टीसिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)/स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ), डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटर, हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता शामिल हैं। यह मंत्रालय डीटीएच/हिट्स ऑपरेटरों को उनके संचालन हेतु लाइसेंस/अनुमति प्रदान करता है।

प्रसारण नीति और विधिक प्रावधान

डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच)

डीटीएच एक एड्रेसेबल उपग्रह-आधारित टीवी कार्यक्रम वितरण प्रणाली है जो पूरे देश को कवर करती है। डीटीएच सेवाओं में, बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनलों को डिजिटल रूप से संपीड़ित, एन्क्रिप्ट किया जाता है और उन्हें केयू बैंड में उपग्रहों से प्रसारित किया जाता है। डीटीएच के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों को भवनों में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे डिश एंटीना लगाकर सीधे घरों में प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 2003 में पहले डीटीएच सेवा प्रदाता ने अपनी सेवाओं का संचालन शुरू किया और वर्ष 2007 तक निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं की संख्या बढ़कर छह हो गई। चूंकि इन छह में से दो डीटीएच सेवा प्रदाताओं का विलय हो चुका है और एक डीटीएच सेवा प्रदाता परिसमापन प्रक्रिया में है, इसलिए वर्तमान में निजी डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या चार है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन भी अपनी डीटीएच सेवाएं फ्री-टू-एयर आधार पर प्रदान कर रहा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 16 सितंबर, 2022 को आदेश जारी कर डीटीएच प्रसारण सेवाओं हेतु संचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें लाइसेंस शुल्क का भुगतान, प्लेटफॉर्म सेवा (पीएस) चैनलों और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे की साझेदारी शामिल है।

लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 8 प्रतिशत होगा, {जहां एजीआर = सकल राजस्व (जीआर) – जीएसटी}, जिसे त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा, न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस शुल्क प्रवेश शुल्क का 10 प्रतिशत होगा। डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे की साझेदारी के लिए प्रावधानों को भी दिशा-निर्देशों में जोड़ा गया है।

पीएस चैनलों के संबंध में, डीटीएच ऑपरेटर को अपने प्लेटफॉर्म की कुल चैनल वहन क्षमता के अधिकतम 5 प्रतिशत तक पीएस चैनल संचालित करने की अनुमति है और प्रति पीएस चैनल 10,000 रुपये की एकमुश्त गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क देनी होगी।

डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा कैलेंडर वर्ष 2024-25 (अर्थात् 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक) के दौरान **658,01,52,112 रुपये (यानी 658.01 करोड़ रुपये)** की राशि भारतकोष के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के रूप में जमा की गई है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क 31 जनवरी, 2025 तक जमा कर दिया गया। अनुमानित मूल्य 150-170 करोड़ रुपये है।

हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स)

हिट्स सेवा उपग्रह और केबल टीवी का मिश्रण है। हिट्स ऑपरेटर टीवी प्रसारण को उपग्रह पर अपलिंक करता है, जिसे एमएसओ/एससीओ द्वारा डाउनलिंक कर उपभोक्ताओं तक केबल नेटवर्क के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इस प्रकार हिट्स ऑपरेटर एमएसओ और एससीओ को सिग्नल उपलब्ध कराता है, जिससे ग्राहकों को केबल टीवी सेवाएं मिलती हैं। हिट्स ऑपरेटर और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) के बीच मुख्य अंतर यह है कि हिट्स चैनलों को इकट्ठा करके उपग्रह के माध्यम से भेजता है जबकि एमएसओ केबल के माध्यम से। हिट्स उपयोगकर्ता को डिजिटल चैनलों की विस्तृत श्रृंखला, बेहतर चित्र गुणवत्ता और मूल्य वर्धित सेवाएं किफायती दरों पर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। मंत्रालय द्वारा केवल दो हिट्स ऑपरेटरों को

लाइसेंस जारी किया गया है, जिनमें से वर्तमान में केवल एक ऑपरेटर कार्यशील है।

इसके अतिरिक्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में एक नए हिट्स ऑपरेटर मेसर्स जीटीपीएल हेथवे लिमिटेड को हिट्स सेवा प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी किया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 6 नवंबर, 2020 को 26 नवंबर, 2009 को जारी 'भारत में हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) प्रसारण सेवा प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देशों' में संशोधन किया है। इन संशोधनों के तहत, हिट्स ऑपरेटर को अपने बुनियादी ढांचे को एमएसओ/हिट्स ऑपरेटर के साथ साझा करने की अनुमति दी गई है।

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (आईपीटीवी)

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (आईपीटीवी) सेवा एक अन्य माध्यम है जिसके द्वारा पात्र दूरसंचार या इंटरनेट सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क के माध्यम से अनुमत सैटेलाइट टीवी चैनलों का वितरण कर सकते हैं, जैसे केबल ऑपरेटर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके करते हैं। आईपीटीवी प्रदाताओं को परिभाषित दूरसंचार और केबल ऑपरेटरों के लिए आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें स्व-घोषणा देना आवश्यक होता है। कैलेंडर वर्ष 2024-25 (01.01.2024 से 31.12.2024) के दौरान **19** आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं ने आईपीटीवी सेवा प्रदान करने के लिए स्व-घोषणा प्रस्तुत की है। वर्तमान में कुल **52** आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं ने स्व-घोषणा प्रस्तुत की है।

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007:

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007 को भारत या विदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को सबसे अधिक श्रोताओं और दर्शकों तक निःशुल्क प्रसारण के आधार पर पहुंचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 2(1)(एस) केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों को कवरेज के लिए अधिसूचित करने का अधिकार देती है। यह मंत्रालय समय-समय पर कुछ खेल आयोजन/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन के रूप में अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी करता है ताकि सबसे अधिक श्रोताओं और दर्शकों को फ्री-टू-एयर प्रसारण के आधार पर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों तक पहुंच प्रदान की जा सके।

नई प्रमुख गतिविधियां

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 2005 (1995 का 7) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय ने दिनांक 19 जनवरी, 2024 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 283 के माध्यम से अनिवार्य चैनल 'डीडी पोधिगई' का नाम बदलकर **'डीडी तमिल'** कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, एक अन्य राजपत्र अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में है, जिसमें 4 एचडी डीडी चैनलों और एक एचडी संसद टीवी चैनल को उन चैनलों की सूची में शामिल किया जाएगा जिन्हें सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) द्वारा अनिवार्य रूप से प्रसारित किया जाना है। यह अधिसूचना भी केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की जाएगी।

भारत में निजी उपग्रह टीवी चैनल

भारत में पहले निजी उपग्रह टीवी चैनल को वर्ष 2000 में भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई थी। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास के साथ, भारत से टीवी चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की मांग कई गुना बढ़ गई, जिससे अपलिंकिंग हेतु 2002 में और डाउनलिंकिंग हेतु 2005 में नीति दिशा-निर्देश तैयार करना आवश्यक हो गया। इन दिशा-निर्देशों में दिसंबर, 2011 में संशोधन किया गया था और अंतिम संशोधन नवंबर, 2022 में किया गया। ये दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध हैं।

टेलीविजन चैनलों का विकास

1. पहले निजी उपग्रह (सैटेलाइट) टीवी चैनल 'आजतक' को वर्ष 2000 में अनुमति दी गई थी। तब से भारत में निजी उपग्रह टीवी चैनलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मंत्रालय ने **31 दिसंबर, 2024 तक भारत में 921 चैनलों** को अनुमति दी है।
2. मंत्रालय द्वारा केवल दो श्रेणियों के टीवी चैनलों को संचालित करने की अनुमति दी गई है – 'समाचार एवं सामयिकी टीवी

मंत्रालय द्वारा अनुमत टेलीविज़न चैनलों की संख्या

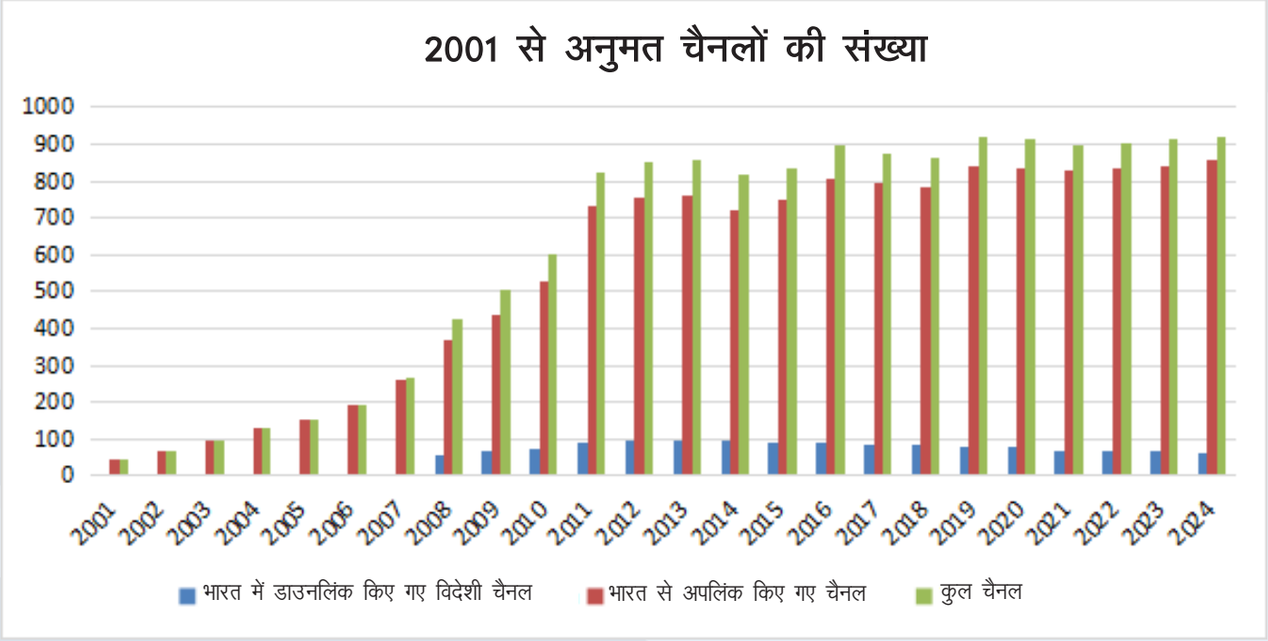

चैनल' और 'गैर-समाचार एवं सामयिकी टीवी चैनल'। उपरोक्त कुल चैनलों में से **समाचार चैनलों की संख्या 400 है और गैर-समाचार चैनलों की संख्या 521** है।

श्रेणीवार अनुमत चैनल

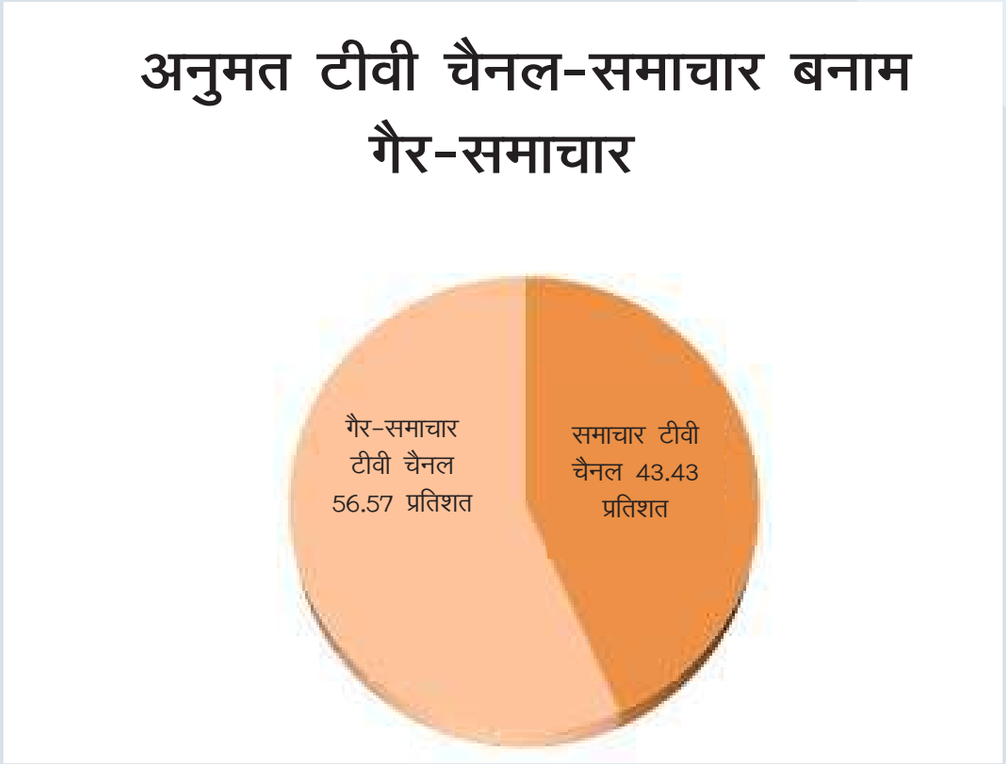

ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल

ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल की शुरुआत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के तहत 'प्रसारण विंग के स्वचालन योजना' में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रसारण लाइसेंसों/अनुमतियों/पंजीकरण आदि के आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए एक समेकित ऑनलाइन पोर्टल समाधान विकसित करना था, जो एक कम्प्यूटरीकृत वेब आधारित प्रणाली के रूप में कार्य करे। इस योजना का मुख्य फोकस यह था कि आवेदकों को 'व्यापार करने में सुगमता' के लिए एक एकल-बिंदु समाधान प्रदान किया जाए। इस पोर्टल के अंतर्गत निम्न सेवाएं शामिल की गई थीः

- निजी उपग्रह टीवी चैनल
- टेलीपोर्ट ऑपरेटर
- मल्टी-सर्विस ऑपरेटर (केबल ऑपरेटर)
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस)
- निजी एफएम चैनल।

अब, ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल को मंत्रालय द्वारा पुनः डिज़ाइन किया गया है, जिसमें और अधिक विशेषताएं जोड़ी गई हैं, ताकि प्रसारकों द्वारा दायर आवेदनों की प्रोसेसिंग में शामिल विभिन्न एजेंसियों के साथ संपूर्ण रूप से एकीकृत इंटरफ़ेस सुनिश्चित हो सके और मंत्रालय में इन आवेदनों की कुशल प्रोसेसिंग भी संभव हो सके। ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः

i. नए अनुमतियों, नवीनीकरण, नाम/लोगो/टेलीपोर्ट/सैटेलाइट में बदलाव आदि के लिए एंड-टू-एंड आवेदन प्रक्रिया सक्षम बनाना।

ii. भुगतान प्रणाली (भारतकोष), ई-ऑफिस, तथा अन्य मंत्रालयों के पोर्टलों के साथ एकीकरण।

iii. विश्लेषण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की सुविधा।

iv. एकीकृत हेल्पडेस्क, डेटा सेंटर।

v. डीटीएच ऑपरेटरों, स्थानीय केबल ऑपरेटरों और डिजिटल मीडिया तक सेवाओं का विस्तार।

vi. यूज़र रजिस्ट्रेशन एवं अपडेटेशन।

vii. शुल्क गणना एवं भुगतान, आवेदन प्रपत्र और स्थिति ट्रैकिंग पत्रों/आदेशों की डाउनलोडिंग, हितधारकों को अलर्ट (एसएमएस/ई-मेल)।

आवेदक कंपनियां (जैसे प्रसारक/टेलीपोर्ट ऑपरेटर) अब वेब पोर्टल https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/ पर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति और लाइव ट्रैकिंग देख सकते हैं।

टीवी चैनलों की सामग्री का विनियमन

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार, निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके तहत बनाए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करना आवश्यक है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत शिकायत निवारण संरचना

17 जून, 2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन कर उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 बना दिया गया है। इस संशोधन के माध्यम से निजी उपग्रह टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की परिवेदनाओं/शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र उपलब्ध कराया गया है, जो कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप है।

इन नियमों के तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने और उससे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तीन-

स्तरीय शिकायत निवारण संरचना होगी:

i. स्तर I – प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन;

ii. स्तर II – प्रसारकों के स्व-विनियामक निकायों द्वारा स्व-विनियमन;

iii. स्तर III – केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के अनुपालन में, मंत्रालय ने दिनांक 14 जुलाई, 2021 के आदेश के तहत एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया। यह समिति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में कार्य करती है और इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा, दिनांक 5 जनवरी, 2023 के मंत्रालय आदेश के अनुसार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), फिक्की और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रतिनिधियों को भी आईडीसी के सदस्य के रूप में नामित किया गया। इसके अलावा, मंत्रालय के दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 को जारी आदेश के अनुसार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रतिनिधि को आईडीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

वर्ष 2024 में 6 फरवरी, 2024 तथा 29 अगस्त, 2024 को दो आईडीसी बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में कुल 9 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें अनुशंसाएं दी गईं और उपयुक्त कार्रवाई की गई, जैसा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के अनुसार अपेक्षित है।

01 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान टीवी चैनलों को जारी सामान्य सलाह निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	विषय-वस्तु	सलाह जारी करने की तिथि
1	सलाहः दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु राष्ट्रपति के संबोधन और गणतंत्र दिवस परेड की कमेंट्री का सांकेतिक भाषा में प्रसारण करने हेतु।	25.01.2024
2	सलाहः सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की लाइव कवरेज न दिखाने हेतु।	12.06.2024
3	सलाहः सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को अपने प्रसारण के दौरान शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जन-जागरुकता स्क्रॉल चलाने हेतु।	14.06.2024
4	सलाहः उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7.5.2024 के आदेश (डब्ल्यूपीसी संख्या 645/2022 – आईएमए एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) का अनुपालन करने संबंधी।	03.07.2024
5	सलाहः सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को आपदा/प्राकृतिक आपदा/बड़ी दुर्घटना से संबंधित फुटेज के प्रसारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु।	09.08.2024
6	सलाहः दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्वतंत्रता दिवस की कमेंट्री को सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित करने हेतु।	14.08.2024
7	सलाहः उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 20.8.2024 डब्ल्यूपी(सी) डायरी संख्या 37158/2024 – किन्नोरी घोष एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) के संबंध में।	13.09.2024

भ्रामक विज्ञापनों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन

भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक याचिका (सी) संख्या 645/2022 दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किए गए भ्रामक विज्ञापनों के उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसमें एलोपैथी का अपमान किया गया था और अपने उत्पादों को उपचार के रूप प्रचारित किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 7 मई, 2024 को भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

i. किसी विज्ञापन को छापने/प्रसारित करने/प्रदर्शित करने से पहले, विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी, जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम 1994 के नियम 7 में वर्णित शर्तों के अनुसार होगी।

ii. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह निर्देश दिया गया कि वे ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल पर विज्ञापनदाताओं द्वारा उनके विज्ञापन के प्रसारण से पहले स्व-घोषणा पत्र अपलोड करने के लिए प्रावधान करें और इसी तरह का पोर्टल प्रिंट मीडिया/इंटरनेट विज्ञापनों के लिए भी तैयार करें।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, 4 जून, 2024 को मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल (https://new.broadcastseva.gov.in) पर एक नया फीचर लॉन्च किया, ताकि टीवी/रेडियो विज्ञापनों के लिए विज्ञापनदाता स्व-घोषणा पत्र (एसडीसी) अपलोड कर सकें। साथ ही, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट (https://presscouncil.nic.in) पर भी प्रिंट और इंटरनेट मीडिया के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके बाद, कई हितधारकों से सुझाव और चिंताएं प्राप्त हुईं, जिन पर बाद की बैठकों में चर्चा की गई।

मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत, जहां प्रशासनिक रूप से संभव था, हितधारकों द्वारा उठाई गई कई चिंताओं का समाधान किया। इसके परिणामस्वरूप 3 जुलाई, 2024 को एक संशोधित सलाह जारी की गई, जिसमें पूर्व सलाहों को हटाया गया। विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों को 'खाद्य और स्वास्थ्य क्षेत्र' से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापनों के लिए एक वार्षिक स्व-घोषणा-पत्र अपलोड करने की सलाह दी गई है, जो सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत 2008 में स्थापित मीडिया इकाई है, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के संभावित उल्लंघन के लिए देश में प्रसारित टीवी समाचार चैनलों की निगरानी करती है।

संगठन को यह जनादेश राज्य के उस महत्वपूर्ण कर्तव्य से मिला है, जिसके तहत अनुचित सामग्री के प्रसारण से नागरिकों को बचाना है। संगठन की स्थापना के पीछे स्पष्ट उद्देश्य 'केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन की जांच करने के लिए भारत में समाचार चैनलों की सामग्री की निगरानी करना' और 'समय-समय पर सरकार द्वारा सौंपे गए प्रसारण क्षेत्र की सामग्री की निगरानी से संबंधित कोई अन्य कार्य करना' था। इसे समाचार चैनलों की शिकायत-आधारित निगरानी करने का भी अधिकार है।

ईएमएमसी के पास वर्तमान में 900 टीवी चैनलों की सामग्री को वास्तविक समय के आधार पर प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने, संग्रहीत करने और पुनः प्राप्त करने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचा है और यह कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री की निगरानी करता है।

कार्यालय मुख्य रूप से समाचार चैनलों द्वारा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच करता है, और मासिक आधार पर जांच समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जांच समिति फिर उल्लंघन की जांच करती है और अपने निष्कर्षों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अंतर-विभागीय समिति को भेजती है। इस उद्देश्य के लिए, वर्तमान में संचालित समाचार चैनलों की 90 दिनों की प्रसारण सामग्री को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर सेट-अप में रिकॉर्ड किया जा रहा है।

जांच समिति में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सीबीएफसी, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि जैसे विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हैं।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने ईएमएमसी को चुनाव के दौरान मीडिया निगरानी का काम भी सौंपा। ईएमएमसी ईसीआई

के निर्देशों के अनुसार सामग्री की निगरानी करता है और उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वर्ष 2024 के दिसंबर महीने तक, ईएमएमसी ने लोकसभा चुनाव 2024 और हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र तथा जम्मू और कश्मीर के 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनावों के साथ-साथ उपचुनावों के दौरान चुनाव संबंधी समाचारों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज की निगरानी की। व्हाट्सएप अलर्ट के साथ-साथ मतदान के दिन और मतदान से पहले की घटनाओं पर विशेष रिपोर्ट भी ईसीआई को भेजी गईं।

कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन पर निगरानी रखने और रिपोर्ट भेजने के अनिवार्य कार्य के अलावा, ईएमएमसी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत निर्वाचन आयोग आदि में वरिष्ठ अधिकारियों को निम्नलिखित डेटा भी भेजता है:

- व्हाट्सएप पर समाचार फ्लैश/ब्रेकिंग न्यूज़/प्रति घंटा राउंडअप अलर्ट
- दिन के संभावित मुद्दे और घटनाएं
- प्रधानमंत्री की लाइव कवरेज रिपोर्ट ग्राफिकल निरूपण के साथ
- गृह मंत्रालय की लाइव कवरेज रिपोर्ट ग्राफिकल निरूपण के साथ
- संसद अपडेट (सत्र के दौरान)
- श्रवण बाधित कार्यक्रम रिपोर्ट
- प्राइम टाइम पर चैनलों का दृष्टिकोण
- दिन की बहस और महत्वपूर्ण घटनाएं
- समाचारों का परिप्रेक्ष्य विश्लेषण
- महत्वपूर्ण घटनाओं पर मल्टीमीडिया क्लिप्स
- टीवी चैनलों की संचालन स्थिति।

सामुदायिक रेडियो

सामुदायिक रेडियो (सीआर) रेडियो प्रसारण में एक महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है, जो सार्वजनिक सेवा रेडियो प्रसारण और वाणिज्यिक रेडियो से अलग है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। दिसंबर, 2002 में भारत सरकार ने सुस्थापित शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो की स्थापना के लिए लाइसेंस देने की नीति को मंजूरी दी। नीति दिशा-निर्देशों में 2006 में संशोधन किया गया था, तथा 2017, 2018, 2022 और 2024 में और संशोधन किया गया, जिससे समुदाय आधारित संगठनों जैसे कि नागरिक समाज संगठन, स्वैच्छिक संगठन, पंजीकृत समितियां, सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, गैर-लाभकारी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, स्वायत्त निकायों आदि द्वारा स्थापित गैर-लाभकारी संगठनों को सीआरएस का स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति मिल गई; ताकि विकास और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर अधिक भागीदारी हो सके। भारत में सीआरएस की स्थापना के लिए नीति दिशा-निर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in से देखे जा सकते हैं।

सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी सामग्री को प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। चूंकि सामुदायिक रेडियो का प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, इसलिए लोग इससे तुरंत जुड़ पाते हैं। सामुदायिक रेडियो में अपने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की भी क्षमता है। भारत जैसे देश में, जहां हर राज्य की अपनी भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, सामुदायिक रेडियो स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का भंडार भी हैं। कई सामुदायिक रेडियो स्थानीय गीतों को रिकॉर्ड करके उन्हें भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करते हैं और स्थानीय कलाकारों को समुदाय के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच देते हैं। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सामुदायिक रेडियो की अनूठी स्थिति इसे सामुदायिक सशक्तीकरण के लिए एक आदर्श माध्यम बनाती है।

पिछले कुछ वर्षों में, यह क्षेत्र भारत में धीरे-धीरे लेकिन प्रभावी रूप से बढ़ रहा है। अब तक, सीआरएस के लिए अनुमति देने के लिए कुल 716 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं, जिनमें से 625 संगठनों ने अनुमति देने के समझौते (जीओपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं और 528 सीआरएस संचालित हैं (6-01-2025 तक)। वर्तमान में कार्यरत सीआरएस की सूची सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वेबसाइट www.mib.gov.in पर देखी जा सकती है।

भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थिति:

श्रेणी	सीआरएस की संख्या
एनजीओ	303
शैक्षणिक संस्थान	205
कृषि विज्ञान केंद्र	20
कुल	**528**

मंत्रालय की भूमिका और कार्य:

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सामुदायिक रेडियो क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित भूमिका और कार्य करता है:

i. सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करने के लिए, 50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि यानी 2021-2026 के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम है "भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करना"। योजना के दिशा-निर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in से देखे जा सकते हैं।

ii. मंत्रालय योजना के तहत नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस); मौजूदा सीआरएस के उपकरणों के नवीनीकरण/ प्रतिस्थापन के लिए अनुदान सहायता देता है और सीआरएस के लिए आपातकालीन अनुदान देता है।

iii. संचालित सीआरएस और एलओआई धारकों की क्षमता-निर्माण के लिए पूरे भारत में सामुदायिक रेडियो की जागरुकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

iv. राष्ट्रीय सम्मेलन और क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जहां सामुदायिक रेडियो चलाने वाले संगठन सहकर्मी शिक्षा प्राप्त करते हैं और अनुभवों को साझा करने के लिए एकत्र होते हैं।

v. स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने, सबसे अभिनव सामुदायिक जुड़ाव और सामुदायिक रेडियो के लिए स्थिरता मॉडल स्थापित करने में अच्छा काम करने वाले सामुदायिक रेडियो को राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

मंत्रालय की नई पहल:

- सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को स्थानीय भाषाओं और बोलियों में समुदाय के लिए तात्कालिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- सामुदायिक रेडियो के लिए एक कंटेंट-शेयरिंग पोर्टल मंत्रालय के मौजूदा नेविगेट पोर्टल पर ऑन-बोर्ड किया गया है। यह पोर्टल गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का संग्रहण स्थल के रूप में

संचालित सीआरएस की वृद्धि का एक ग्राफिकल निरूपण नीचे दिया गया है:

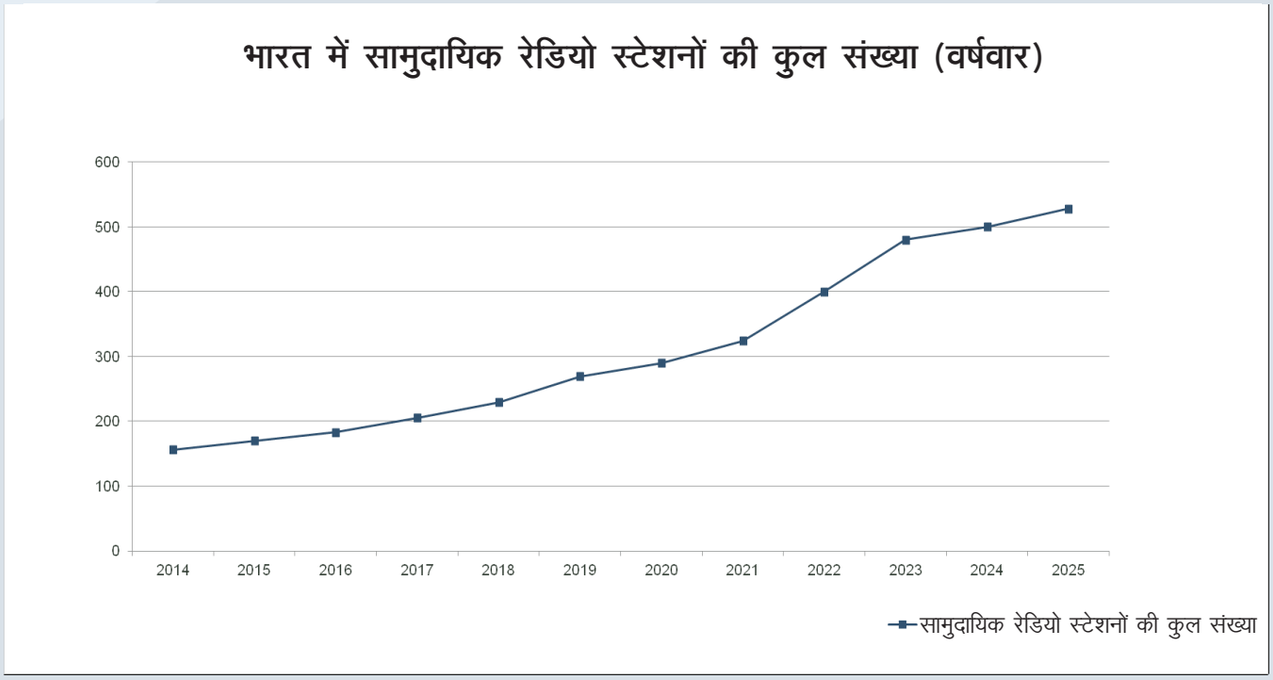

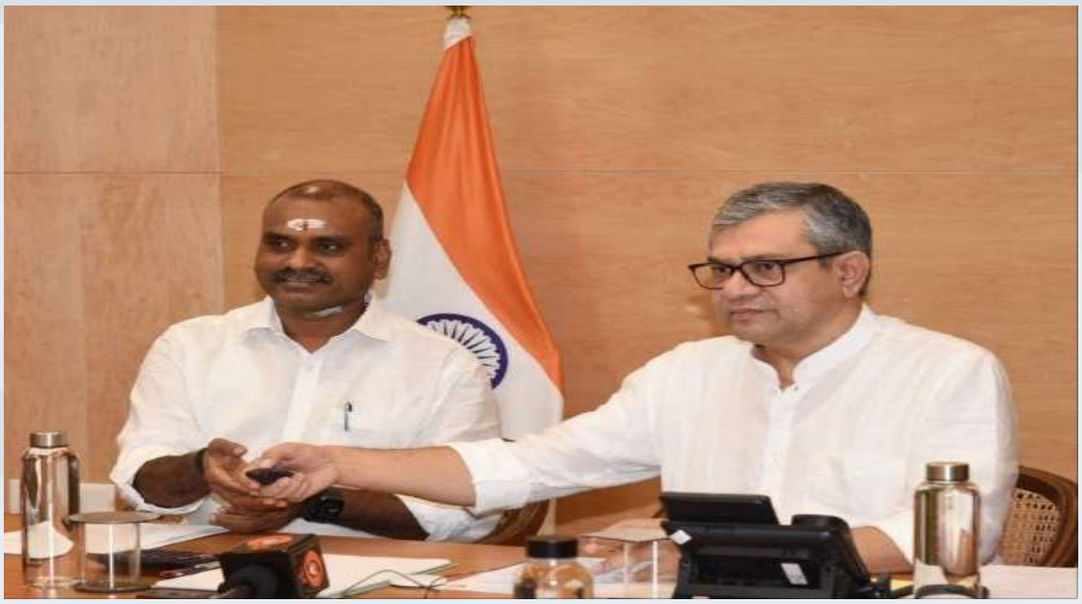

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आईआईएमसी, आइज़ॉल, मिज़ोरम में भारत के 500वे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया।

काम करेगा। सामुदायिक रेडियो इसे डाउनलोड करके आगे प्रसारण या पुनः प्रसारण कर सकते हैं। यह व्यवस्था एक रोचक 'गुडि पॉइंट्स सिस्टम' पर काम करता है।

- क्षेत्र में 'व्यापार करने में सुगमता' और आवेदकों को लाइसेंस प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल को सरल संचार पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

मंत्रालय द्वारा की गई गतिविधियां:

i. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईएमसी आइज़ॉल, मिज़ोरम में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन-अपना रेडियो 90.0 एफएम का उद्घाटन किया और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और मिज़ोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा की उपस्थिति में 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा भी की।

ii. जयपुर, राजस्थान में क्षेत्रीय सम्मेलन (पश्चिम) का आयोजन किया गया।

iii. पूरे देश और विशेष रूप से सामुदायिक रेडियो के वंचित क्षेत्रों को कवर करते हुए पूरे भारत में चार जागरुकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

iv. "भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन" योजना को संशोधित किया गया। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई और हरित ऊर्जा के उपयोग और महिलाओं के नेतृत्व वाले सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए विशेष व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता शामिल की गई।

एफएम क्षेत्र

एफएम रेडियो पूरे देश में युवाओं और वयस्कों के बीच मनोरंजन के पसंदीदा साधनों में से एक है। स्थानीय भाषाओं में विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा पेश की जाने वाली विविधता का जनता द्वारा स्वागत किया जाता है, जैसा कि हाल के वर्षों में चैनलों की संख्या में वृद्धि और एफएम चरण-III के तहत आयोजित ई-नीलामी के दो बैचों में नए एफएम रेडियो चैनलों को प्राप्त करने के लिए निजी एफएम प्रसारकों द्वारा दिखाए गए उत्साह से स्पष्ट है। यह स्थानीय व्यवसायों के लिए रेडियो विज्ञापनों के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए एक संभावित माध्यम के रूप में भी विकसित हुआ है।

जयपुर, राजस्थान में 24-25 अक्टूबर, 2025 तक क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन (पश्चिम) का आयोजन किया गया।

मंत्रालय का एफएम प्रकोष्ठ 7 जुलाई, 2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार पर नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत में निजी एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित सभी मामलों को देखता है, जो नवीनतम अपडेट के साथ मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध है।

जुलाई, 1999 में सरकार ने 12 शहरों में 21 निजी एफएम रेडियो चैनलों के साथ एफएम रेडियो क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया, जो मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों में हैं। 2005 में शुरू की गई एफएम चरण-II योजना में 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में विस्तार का प्रावधान किया गया था। चरण-II के तहत, 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 86 शहरों में 245 निजी एफएम चैनल संचालित हुए, जिनमें चरण-I से स्थानांतरित 21 चैनल शामिल हैं।

एफएम रेडियो की पहुंच को और बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 25 जुलाई, 2011 को एफएम चरण-III नीति दिशा-निर्देशों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा एक लाख से कम आबादी वाले द्वीपीय क्षेत्रों के 11 सीमावर्ती शहरों के अलावा एक लाख और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरों में निजी एफएम रेडियो का विस्तार करना है। एफएम रेडियो चरण-III के तहत ई-नीलामी के 2 बैच पूरे होने के बाद, मंत्रालय ने देश भर में 162 और चैनल जोड़े हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और करगिल तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के भद्रवाह, कठुआ और पुंछ में निजी एफएम रेडियो चैनल चालू हो चुके हैं।

31 दिसंबर, 2024 तक, देश भर के 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 113 शहरों में 388 एफएम रेडियो चैनल चालू हैं।

28 अगस्त, 2024 को अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 234 कवर किए गए शहरों में 730 निजी एफएम रेडियो चैनलों की ई-नीलामी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी एफएम रेडियो चैनलों के तीसरे बैच के चरण-III की ई-नीलामी के लिए 14 अक्टूबर, 2024 को आवेदन आमंत्रण नोटिस जारी किया था। ई-नीलामी जल्द ही शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी को छोड़कर सकल राजस्व के 4% की दर से एएलएफ चार्ज करने को भी मंजूरी दे दी है।

पारदर्शिता उपाय एवं पर्यवेक्षण

कंपनियों को एफएम रेडियो चैनलों के लिए अनुमति आरोही ई-नीलामी के आधार पर दी जाती है। निजी प्रसारकों से तिमाही लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व भारतकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एकत्र किया जाता है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, विभिन्न अनिवार्य दस्तावेजों के संग्रहण और प्रसारकों से लाइसेंस शुल्क और अन्य वित्तीय दस्तावेजों के संग्रहण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल 'ब्रॉडकास्टसेवा' के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से प्रसारण सेवाओं का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है।

एफएम चरण-III नीति दिशा-निर्देशों और निजी प्रसारकों द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति समझौते (जीओपीए) में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय के एफएम प्रकोष्ठ के अधिकारी रेडियो स्टेशनों और कॉमन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीटीआई) सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं।

सरकार को राजस्व प्राप्ति

सरकार निजी प्रसारकों से गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क, गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवासन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, टावर किराया और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करती है।

वर्ष 2000 में निजी एफएम रेडियो प्रसारण की शुरुआत के बाद से देश में निजी एफएम रेडियो प्रसारण से गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क, गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवासन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, टावर किराया और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व 6828.77 करोड़ रुपये (लगभग) है।

डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम

i) एमएसओ पंजीकरण

वर्ष 2024 के दौरान 24 एमएसओ का पंजीकरण किया गया। दिसंबर, 2024 तक 55 कुल पंजीकरण किए गए। साथ ही, वर्ष के दौरान 180 एमएसओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। एमएसओ की संख्या में तीव्र गिरावट निष्क्रिय और गैर-अनुपालन एमएसओ पर व्यवस्थित कार्रवाई के कारण है। इन एमएसओ ने अपने सिस्टम का ऑडिट नहीं कराया है, जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा संचालित नेटवर्क की अखंडता पर संदेह हुआ है। ऐसे एमएसओ सिग्नल की चोरी और सब्सक्राइबर बेस के दमन के लिए अधिक प्रवृत थे।

ii) प्लेटफॉर्म सेवा चैनल पंजीकरण

ट्राई की सिफारिशों के अनुसार, 30 नवंबर, 2022 को 'मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए दिशा-निर्देश' जारी किए गए, जो 01 दिसंबर, 2023 से लागू हुए। जबकि दिशा-निर्देश केबल ऑपरेटरों द्वारा अपने नेटवर्क पर प्रसारित स्थानीय सामग्री को विनियमित करने का प्रयास करते हैं, वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि केबल ऑपरेटरों की नेटवर्क क्षमता का प्राथमिक उपयोग पंजीकृत टीवी चैनलों के वितरण के लिए किया जाए। इसके अतिरिक्त, एमएसओ के लिए अपने ग्राहकों द्वारा स्थानीय सामग्री की मांग को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देशों में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। प्लेटफॉर्म सेवा (पीएस) दिशा-निर्देश पीएस चैनलों पर सामग्री के संबंध में कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन करने, 90 दिनों तक रिकॉर्डिंग रखने आदि को अनिवार्य करते हैं, और पायरेसी के खतरे से निपटने में मदद करेंगे। 31 दिसंबर, 2024 तक 1,159 पीएस चैनलों को पंजीकरण प्रदान किया गया।

iii) एलसीओ ऑनलाइन मॉड्यूल का विकास

कैलेंडर वर्ष 2024 में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल (ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल के विस्तार के रूप में) विकसित करने के प्रयास किए। इससे पहले, एलसीओ पंजीकरण एलसीओ के एओपी (संचालन क्षेत्र) के प्रधान डाकघर द्वारा प्रदान किए जाते थे, जो एक ऑफ़लाइन और क्षेत्र प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया थी। एलसीओ के लिए अनुपालन में आसानी और एलसीओ के लिए एक केंद्रीकृत

भंडार सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय स्तर पर एक नीतिगत निर्णय लिया गया था कि बॉडकास्टसेवा पोर्टल पर एक समर्पित एलसीओ मॉड्यूल के माध्यम से एलसीओ को ऑनलाइन पंजीकरण प्रदान किया जाए, जिसमें मंत्रालय द्वारा आधार और पैन का एकीकरण किया जाएगा। चालू ऑनलाइन पोर्टल के साथ, आवेदकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए विवरण स्वचालित रूप से सत्यापित किए जाएंगे और एक ऑटो जनरेटेड पंजीकरण जारी किया जाएगा। यह ऑनलाइन मॉड्यूल मानव हस्तक्षेप को कम करेगा और केबल टीवी क्षेत्र में 'व्यापार करने में आसानी' को बढ़ावा देगा। इसके लिए विधायी परिवर्तन यानी केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) नियम, 1994 में संशोधन की आवश्यकता थी। सीटीएन अधिनियम, 1995 के तहत स्थानीय केबल ऑपरेटरों के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण करने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 3075 (ई) दिनांक 02.08.2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।

प्रसार भारती

प्रसार भारती का गठन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के तहत 23 नवंबर, 1997 से एक वैधानिक निगम के रूप में किया गया था। प्रसार भारती, आकाशवाणी (पूर्ववर्ती ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन के साथ अपने दो घटकों के रूप में जनता को सूचित करने, शिक्षित करने तथा मनोरंजन प्रदान करने और रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने हेतु लोक प्रसारण सेवा को व्यवस्थित और संचालित करने के लिए अधिकृत है।

बदलते समय के साथ प्रसार भारती ने डिजिटल रूप से उन्मुख प्लेटफॉर्म के 'मीडिया कन्वर्जेंस' की प्रगतिशील और परिवर्तनकारी मेगा वेव को भी पार कर लिया है। तेजी से आगे बढ़ रहे मोबाइल और डिजिटल समझ रखने वाले लोगों के लिए, प्रसार भारती वैश्विक स्तर पर दर्शकों के लिए ओटीटी, यूट्यूब और मोबाइल ऐप 'न्यूजऑनएआईआर' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी विविध सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। प्रसार भारती अपनी सामग्री और घटनाओं तथा समाचारों संबंधी अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में अद्यतन जानकारी प्रसारित करने के लिए फेसबुक, X (पूर्व में ट्विटर) आदि जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करता है।

प्रसार भारती जैसे लोक सेवा प्रसारक की आवश्यकता और भी अधिक है, क्योंकि 800 से अधिक चैनल मुख्य रूप से वाणिज्यिक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए, एक लोक सेवा प्रसारक के रूप में, प्रसार भारती को प्रसार भारती अधिनियम में निर्धारित अपने अधिदेश को वैधानिक रूप से अनुपालन करते हुए पूरा करने और निजी प्रसारकों के साथ प्रतिस्पर्धी दुनिया में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बने रहने की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन दोहरी चुनौतियों को संतुलित करना प्रसार भारती की नीतियों और पहल का केंद्र बिंदु रहा है।

प्रसार भारती वर्तमान में अपने रेडियो नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश के क्षेत्रफल के हिसाब से 90% और जनसंख्या के हिसाब से 98% तक पहुंचता है और टीवी नेटवर्क के सैटेलाइट मोड के माध्यम से लगभग 100% तक पहुंचता है। प्रसार भारती के पास वर्तमान में 591 आकाशवाणी प्रसारण इंस्टॉलेशन्स और 66 दूरदर्शन केंद्र हैं जो देश भर में विभिन्न आकाशवाणी और डीडी सेवाएं प्रदान करते हैं।

उद्देश्य

उपधारा (2) के अनुसार, प्रसार भारती को दिया गया अधिदेश संगठन को अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्देश्यों के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है:

i. देश की एकता, अखंडता और संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखना।

ii. राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना।

iii. जनहित के सभी मामलों पर नागरिकों को सूचित किए जाने के अधिकार की रक्षा करना और सूचना का निष्पक्ष और संतुलित प्रवाह प्रस्तुत करना।

iv. शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।

v. महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरुकता पैदा करना और बच्चों, वृद्धों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।

vi. विविध संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।

vii. सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, श्रमिक वर्गों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।

viii. अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करना तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी में विकास करना।

प्रसार भारती बोर्ड

प्रसार भारती का संचालन प्रसार भारती बोर्ड द्वारा शीर्ष स्तर पर किया जाता है, जिसे निगम के मामलों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन के लिए शक्तियां दी गई हैं। प्रसार भारती बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के महानिदेशक इसके पदेन सदस्य हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 70 वर्ष की आयु सीमा, जो भी पहले हो, के अधीन तीन वर्ष का होता है। कार्यकारी सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, जो कि 65 वर्ष की आयु सीमा, जो भी पहले हो, के अधीन होता है। सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल छह वर्ष का होता है, जो कि 62 वर्ष की आयु सीमा, जो भी पहले हो, के अधीन होता है। प्रसार भारती बोर्ड की बैठकें आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार होती हैं। सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन को छोड़कर, जिसमें शक्तियों का प्रत्यायोजन अलग से निर्धारित है, बोर्ड को पूर्ण वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं।

संगठनात्मक संरचना

- **आकाशवाणी की संगठनात्मक संरचनाः**

आकाशवाणी का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जिन्हें कार्यक्रम, प्रशासन और वित्त विंग में अपर महानिदेशक (एडीजी) और इंजीनियरिंग विंग में एक इंजीनियर-इन-चीफ सहायता प्रदान करते हैं। समाचार विंग का नेतृत्व प्रधान महानिदेशक (समाचार) करते हैं।

महानिदेशालय, आकाशवाणी नीति-निर्माण, योजना और विकास, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी उन्नयन, बजटीय योजना और नियंत्रण, मानव संसाधन प्रबंधन; देश भर में स्थापित सभी आकाशवाणी के संचालन और रखरखाव गतिविधियों की देखरेख आदि के लिए जिम्मेदार है।

आकाशवाणी को कार्यक्रमों के भौगोलिक कवरेज के आधार पर 5 प्रोगामिंग जोन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये क्षेत्र उत्तर क्षेत्र (मुख्यालय दिल्ली), दक्षिण क्षेत्र (मुख्यालय चेन्नई), पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय कोलकाता), पश्चिम क्षेत्र (मुख्यालय मुंबई) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (मुख्यालय गुवाहाटी) हैं। इसके अलावा, दूरदर्शन और आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनलों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जोन भी बनाया गया है। एडीजी/डीडीजी इनमें से प्रत्येक जोन में जोनल हेड (कंटेंट संचालन), जोनल हेड (ब्रॉडकास्ट संचालन) और जोनल हेड (एडमिन) के रूप में कार्य करते हैं।

दूरदर्शन का संगठनात्मक ढांचाः

दूरदर्शन का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जिनकी सहायता कार्यक्रम, प्रशासन और वित्त विंग में अपर महानिदेशक करते हैं; और इंजीनियरिंग विंग में एक इंजीनियर-इन-चीफ होते हैं। समाचार विंग का नेतृत्व प्रधान महानिदेशक (समाचार) करते हैं।

दूरदर्शन के महानिदेशक, देश भर में स्थापित सभी दूरदर्शन के नीति-निर्माण, योजना और विकास, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी उन्नयन, बजटीय योजना और नियंत्रण, मानव संसाधन प्रबंधन, संचालन और रखरखाव गतिविधियों की देखरेख आदि के लिए जिम्मेदार हैं।

दूरदर्शन के भौगोलिक कवरेज के आधार पर पांच प्रोग्रामिंग जोन दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र), मुंबई (पश्चिम क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र), कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र) और गुवाहाटी (उत्तर-पूर्व क्षेत्र) में हैं और राष्ट्रीय प्रोग्रामिंग जोन महानिदेशक को रिपोर्ट करते हैं। समानांतर रूप से, भौगोलिक कवरेज और राष्ट्रीय इंजीनियरिंग जोन के आधार पर पांच इंजीनियरिंग जोन परियोजना और रखरखाव के लिए हैं।

2024 में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की महत्वपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियां

आकाशवाणी

राष्ट्रीय महत्व के अनेक कार्यक्रमों के कवरेज/प्रसारण में से कुछ कार्यक्रमों/प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

- 22 जनवरी, 2024 को श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण।
- 26 दिसंबर, 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा 'राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' के वितरण एवं 'वीर बाल दिवस' का सीधा प्रसारण।
- 24 जनवरी, 2024 को 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण।
- 28 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के हीरक जयंती समारोह के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।
- 17 सितंबर, 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पहले 100 दिनों के दौरान की गई विभिन्न पहल और विकास पर एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण।
- 25 दिसंबर, 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की ऑफ-ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास।
- 21 से 27 नवंबर, 2024 तक 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को कवर करने वाली दैनिक रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण।
- समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने 'परीक्षा पे चर्चा 2024' को कवर किया है। इससे संबंधित विवरण समाचार बुलेटिनों, चर्चा कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित किए गए।
- **मन की बातः** प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को समाचार सेवा प्रभाग मुख्यालय के प्रमुख समाचार बुलेटिनों और आरएनयू के बुलेटिनों में शामिल किया गया। आरएनयू ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ट्वीट पोस्ट करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मासिक प्रसारण का व्यापक प्रचार भी किया। 'मन की बात' एपिसोड के अनुवादित संस्करण उर्दू, चीनी और फारसी जैसी भाषाओं में भी प्रसारित किए गए।

दूरदर्शन

- दूरदर्शन नेटवर्क ने 2024 के आम चुनावों के दौरान विविध पृष्ठभूमि के नागरिकों के लिए सूचना प्रसारित करने और मतदाता जागरुकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेटवर्क ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए अपने प्रसारण समय का उपयोग करने के लिए अभिनव डिजिटल टाइम वाउचर को आसानी से अपनाकर पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाया।
- दर्शकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए दूरदर्शन ने क्षेत्रीय भाषाओं में गाने, लघु फिल्में, मशहूर हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों के संदेश, टॉक शो और चर्चाओं सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रसारण किया, जिससे चुनावी प्रक्रिया के प्रति उत्साह बढ़ा।
- 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम

जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को व्यापक कवरेज दी गई।

- इस अवसर पर मशहूर गायकों सोनू निगम, शान और कैलाश खेर की आवाज़ में तीन विशेष गाने रिकॉर्ड किए गए और चैनल और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इन्हें देखा।
- डीडी पोधिगई को 19 जनवरी, 2024 को नए रूप और नए कार्यक्रमों के साथ डीडी तमिल के रूप में फिर से लॉन्च किया गया।
- इसके अलावा, दूरदर्शन एआई क्रांति का हिस्सा बन गया जब डीडी किसान एआई एंकर- कृष और भूमि के साथ नेटवर्क का पहला चैनल बन गया।
- 'कृष ट्रिश और बाल्टीबॉयः भारत हैं हम' का उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में किया था। इसने सीजन 1 का प्रसारण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और सीजन 2 के एपिसोड रविवार, 01 दिसंबर, 2024 से प्रसारित किए गए। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए 'सरदार - द गेम चेंजर', भारत का अमृत कलश विद कैलाश खेर, हम तो मिडिल क्लास हैं जी, साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, 'काकभुसुंडी रामायण', 'फौजी 2', 'भेद भरम' आदि जैसे कई नए कार्यक्रम पेश किए गए। इसके अलावा दूरदर्शन नेटवर्क के चैनल फेमिना मिस इंडिया 2024 का प्रसारण करते हैं।

वर्ष 2024 में आकाशवाणी और दूरदर्शन की महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियां

आकाशवाणी

- प्रधानमंत्री द्वारा 19 जनवरी, 2024 को 12 स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन/कमीशन किया गया, ताकि पूरे भारत में एफएम कवरेज का विस्तार किया जा सके और सीमा क्षेत्र कवरेज को मजबूत किया जा सके, जिसमें शामिल हैं;
  - रामेश्वरम (तमिलनाडु) में 20 किलोवॉट एफएम ट्रांसमीटर (संख्या 1)
  - हल्द्वानी (उत्तराखंड) और राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश) में 10 किलोवॉट एफएम ट्रांसमीटर (संख्या 2)
  - महराजगंज (उत्तर प्रदेश) (भारत-नेपाल सीमा) में 10 किलोवॉट एफएम ट्रांसमीटर (संख्या 1)
  - चंपावत (उत्तराखंड) में 1 किलोवॉट एफएम ट्रांसमीटर (संख्या 1)
  - बागलकोट, बीदर, कोलार और रेनेबेनुरु (कर्नाटक), दीसा (गुजरात), भीनमाल (राजस्थान) और नारायणपुर (छत्तीसगढ़) में 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर (संख्या 7)।
- प्रधानमंत्री द्वारा 19 जनवरी, 2024 को 26 नए एफएम ट्रांसमीटरों (1 किलोवॉट, 5 किलोवॉट, 10 किलोवॉट और 20 किलोवॉट) की आधारशिला रखी गई।

कार्यान्वयन के तहत प्रमुख परियोजनाएं जिनके चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरी होने की संभावना हैः

- जारी योजना के तहत कोकराझार (असम) में 10 किलोवॉट एफएम ट्रांसमीटर पूरा हो गया है।
- नए एफएम विस्तार के तहत जैसलमेर (राजस्थान) और भुज (गुजरात) में स्वचालित परिवर्तन इकाई और संबंधित उपकरणों/वस्तुओं के साथ (1+1) कॉन्फिगरेशन में 20 किलोवॉट डिजिटल संगत वीएचएफ एफएम सॉलिड स्टेट एमओएसएफईटी प्रौद्योगिकी आधारित प्रसारण ट्रांसमीटर की आपूर्ति 16 अगस्त, 2024 को साइट पर पहुंचा दी गई और मार्च, 2025 तक पूरा होने की संभावना है।
- 10 किलोवॉट डिजिटल संगत वीएचएफ एफएम सॉलिड स्टेट एमओएसएफईटी प्रौद्योगिकी आधारित प्रसारण ट्रांसमीटर की आपूर्ति (1+1) कॉन्फिगरेशन में स्वचालित परिवर्तन इकाई और संबंधित उपकरणों/वस्तुओं के साथ संख्या 17, नए एफएम विस्तार के तहत, खरीद प्रक्रिया के तहत हैं।

- 5 किलोवॉट डिजिटल संगत वीएचएफ एफएम सॉलिड स्टेट एमओएसएफईटी प्रौद्योगिकी आधारित प्रसारण ट्रांसमीटरों की आपूर्ति (1+1) कॉन्फिगरेशन में स्वचालित परिवर्तन इकाई और संबंधित उपकरणों/वस्तुओं के साथ संख्या 24, नए एफएम विस्तार के तहत, खरीद प्रक्रिया के तहत हैं।
- 1 किलोवॉट डिजिटल संगत वीएचएफ एफएम सॉलिड स्टेट एमओएसएफईटी प्रौद्योगिकी आधारित प्रसारण ट्रांसमीटरों की आपूर्ति (1+1) कॉन्फिगरेशन में स्वचालित परिवर्तन इकाई और संबंधित उपकरणों/वस्तुओं के साथ संख्या 15, खरीद प्रक्रिया के तहत हैं।
- जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कंटेनरीकृत 5 किलोवॉट मोबाइल एफएम ट्रांसमीटर संख्या 5 की स्थापना खरीद प्रक्रिया के तहत है।
- जारी योजना के तहत 21 स्थानों पर 100/50 मीटर एसएस टावरों के डीएसईटीसी का निर्माण पूरा होने की संभावना है, आदिलाबाद में टावर का काम पूरा हो गया है।
- व्यावसायिक सिंगल चैनल स्टीरियो डिजिटल ऑडियो कार्ड की आपूर्ति पूरी हो गई है – संख्या 465।
- स्टीरियो एफएम डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट प्रोसेसर (वीएचएफ एफएम ट्रांसमीटर सेट अप के लिए) की आपूर्ति – (संख्या 82 + 14 संख्या), आपूर्ति पूरी हो गई है।
- एफएम मोनो और स्टीरियो मॉड्यूलेशन मॉनिटर की आपूर्ति – संख्या 48, खरीद प्रक्रिया के तहत हैं।
- एनबीएच, आकाशवाणी, नई दिल्ली के लिए मोबाइल डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (डीएसएनजी) उपकरण और माप उपकरण की एसआईटीसी खरीद प्रक्रिया के तहत है।

दूरदर्शन

- 19 जनवरी, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रिमोट से 4 डिजिटल रेडी हाई-पावर ट्रांसमीटर (एचपीटी) {राजौरी में 2 तथा जम्मू और कश्मीर में पटनीटॉप और ग्रीन रिज में 1-1} का उद्घाटन/आरंभ किया गया, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थलीय कवरेज को मजबूत किया जा सके।
- उपग्रह प्रसारण उपकरणों के आधुनिकीकरण, वृद्धि और प्रतिस्थापन के भाग के रूप में, डीडीके कोलकाता, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम और चंडीगढ़ में अर्थ स्टेशन का आधुनिकीकरण पूरा हो गया है और सभी सेवाएं नए स्थापित पीडीए के माध्यम से उन्नत अर्थ स्टेशन पर स्थानांतरित हो गई हैं।
- कार्यक्रम उत्पादन सुविधाओं के स्वचालन और एचडी में आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में, 9 इंच और 24 इंच एचडी वीडियो मॉनिटर, स्टूडियो कैमरा चेन और सहायक उपकरण, कैमरों के लिए सीओएफडीएम आधारित आरएफ लिंक, वेवफॉर्म मॉनिटर, 64x64 3 जी/एचडी/एसडी एसडीआई रूटिंग स्विचर, 2 एमई और 3 एम/ई मल्टी फॉर्मेट विजन मिक्सर, बॉक्स लेंस और वाइड-एंगल लेंस के साथ 3 जी एचडी-एसडीआई कैमरा चैनल आदि विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों को प्रदान किए गए हैं।
- डीडी और एआईआर चैनलों के फेसलिफ्ट के हिस्से के रूप में, फील्ड प्रोडक्शन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए गुवाहाटी, अहमदाबाद, लखनऊ और डीडी न्यूज मुख्यालय में डीडीके को 4 कैमरा एमसीयू (मल्टी कैमरा यूनिट) की एसआईटीसी प्रदान की गई है।
- डीडी और एआईआर चैनलों के फेसलिफ्ट के हिस्से के रूप में, 4के/यूएचडी/एचडी ईएनजी कैमकोर्डर सहायक उपकरण के साथ, कैमरा जिब आर्म के साथ रोबोटिक डच हेड, लोगो जेनरेटर, एचओएफसी केबल आदि विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों को प्रदान किए गए हैं।
- डीडी चैनलों के फेसलिफ्ट के हिस्से के रूप में, फील्ड प्रोडक्शन सुविधा को बढ़ाने के लिए डीडीके दिल्ली को लगभग 62.5 केवीए और 100 केवीए क्षमता के व्हीकल माउंटेड डीजी सेट प्रदान किए गए हैं।

- समाचार उत्पादन उपकरणों के विस्तार के हिस्से के रूप में, 5जी और 4जी सेलुलर मोबाइल समाचार एकत्रीकरण इकाइयां (बैकपैक), एमओजेओ किट विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों को प्रदान की गई हैं।

- सामग्री नवाचार के लिए प्रौद्योगिकी के हिस्से के रूप में, विभिन्न डीडीके/आरएनयू को सहायक उपकरण (सीधे + कर्व्ड) के साथ प्रत्यक्ष दृश्य सक्रिय एलईडी वीडियो वॉल प्रदान किए गए हैं।

कार्यान्वयन के तहत प्रमुख परियोजनाएं जिनके चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरी होने की संभावना है:

- कार्यक्रम उत्पादन सुविधाओं के स्वचालन और आधुनिकीकरण के तहत माइक्रोफोन, फोन इन कंसोल, डिजिटल ऑडियो मिक्सर आदि प्रदान करके एचडी उत्पादन और पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए 24 x7 क्षेत्रीय चैनलों पर मौजूदा तकनीकी सुविधाओं का उन्नयन।

- लाइव कवरेज के लिए तकनीकी सुविधाओं को एचडी में अपग्रेड करने के हिस्से के रूप में:

i. यूएचडी फील्ड उत्पादन सुविधा को बढ़ाने के लिए 8 कैमरों की नेटिव यूएचडी मल्टी-फॉर्मेट मोबाइल उत्पादन सुविधाओं (ओबी वैन) की एसआईटीसी।

ii. यूएचडी फील्ड उत्पादन सुविधा को बढ़ाने के लिए 32 कैमरों और 5 स्टैंडअलोन कॉन्फ़िगरेशन से युक्त पूरी तरह से निर्मित और एकीकृत नेटिव यूएचडी मॉड्यूलर फ्लाई पैक ओबी इकाइयों की आपूर्ति।

- डीडी और आकाशवाणी के चैनलों के फेसलिफ्ट के हिस्से के रूप में, बेहतर फील्ड प्रोडक्शन सुविधाओं के लिए लेंस और सहायक उपकरण के साथ ईएनजी इकाइयों का प्रावधान।

- दूरदर्शन चैनलों के दर्शकों के डेटा को इकट्ठा करने के लिए एचडी में डीडी चैनलों के लिए बीएआरसी वाटर मार्किंग सिस्टम का प्रावधान।

- डीडी और आकाशवाणी के चैनलों के फेसलिफ्ट के हिस्से के रूप में;

  - विभिन्न क्षेत्रों में 34 स्थानों पर आकाशवाणी स्टूडियो का नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है।

  - 38 स्थानों पर नए एसी प्लांट की स्थापना/प्रतिस्थापन, 8 स्थानों पर स्थापना पूरी हो गई है और शेष प्रक्रियाधीन हैं।

  - 15 स्थानों पर 25 केवीए / 62.5 केवीए जेनसेट की आपूर्ति पूरी हो गई है।

  - 33 स्थानों पर विजुअल रेडियो स्टेशन।

- सर्वर-

  - सर्वर का ऑर्डर ईस्ट जोन और साउथ जोन द्वारा दिया जा चुका है।

  - वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन द्वारा ऑर्डर दिया जाना बाकी है।

  - बोली नॉर्थ जोन में निविदा खोली जानी है।

फ्री-टू-एयर डीटीएच 'डीडी फ्री डिश'

दूरदर्शन ने दिसंबर, 2004 में 33 टीवी चैनलों के साथ अपनी फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा 'डीडी फ्री डिश' (पहले डीडी डायरेक्ट+) शुरू की थी। बाद में डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता को बढ़ाकर 59 टीवी चैनल कर दिया गया। छोटे आकार के डिश रिसीव यूनिट की मदद से देश में कहीं भी (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) डीटीएच सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए, 10 चैनलों के साथ विशेष सी बैंड डीटीएच सेवा सितंबर, 2009 से शुरू की गई थी। दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म 'डीडी फ्री डिश' को 59 से 104 चैनलों तक अपग्रेड करने का काम दिसंबर, 2014 में पूरा हुआ, जिसे बाद में बढ़ाकर 112 एसडीटीवी चैनल कर दिया गया। दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म को 128 एसडीटीवी चैनलों की क्षमता तक अपग्रेड करने का काम पूरा हो चुका है।

एनएसआईएल / अंतरिक्ष विभाग / इसरो ने डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म के विस्तार के लिए जीएसएटी-15 सैटेलाइट पर दो अतिरिक्त केयू बैंड ट्रांसपोंडर आवंटित किए हैं। यह अंतरिम सेट अप के आधार पर एमपीईजी-2 और एमपीईजी-4 तकनीक में डीडी चैनलों के सिमुलकास्ट ट्रांसमिशन की सुविधा प्रदान करता है, ताकि एसडी और एचडी में डीडी चैनलों का स्पेक्ट्रम कुशल एमपीईजी-4 तकनीक में सुचारू रूप से स्थानांतरण किया जा सके। रखरखाव के लिए रखे गए पुराने उपकरणों और अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग करके, इन दो अतिरिक्त केयू बैंड ट्रांसपोंडरों के आवंटन के परिणामस्वरूप एमपीईजी-4/डीवीबी-2 तकनीक में 60 अतिरिक्त टीवी चैनल स्लॉट बनाए गए, जो 'डीडी फ्री डिश' प्लेटफॉर्म पर पहले से उपलब्ध 128 एसडीटीवी चैनलों की क्षमता के अतिरिक्त है।

इसके अतिरिक्त, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) के साथ बीआईएसएजी-एन की टेलीपोर्ट सुविधा के माध्यम से 306 शैक्षिक चैनलों को अप-लिंक करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो बिना किसी मासिक सदस्यता के डीडी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे।

डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म एमपीईजी-2 डीवीबी-एस और एमपीईजी-4 डीवीबी-एस2 प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। ऐप आधारित/कॉल आधारित/एसएमएस आधारित प्राधिकरण और सक्रियण सुविधा के प्रावधान के साथ 8.7 लाख एफटीए डीटीएच, गैर-सीएएस, गैर-आरपीडी रिसीव सेट (एसटीबी के साथ) खरीदने की मंजूरी दी गई है। हालांकि, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के तहत 8.7 लाख दूरदर्शन फ्री डिश डीटीएच रिसीव सेट के वितरण के लिए व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है।

प्रसार भारती का ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म 'वेव्स'

पारंपरिक प्रसारण को पूरक बनाने के लिए, प्रसार भारती ने 20 नवंबर, 2024 को गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई-इफ्फी) के दौरान एक अभिनव ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म 'वेव्स' लॉन्च किया है। प्रसार भारती लीनियर प्रसारण चैनलों पर संभव होने वाली सामग्री से परे व्यापक श्रेणी की सामग्री दिखाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है। यह प्लेटफॉर्म भारत के सुदूर गांवों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी सहित जन कल्याणकारी संदेश भी प्रसारित करता है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने और नागरिकों को अतीत और वर्तमान से गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न मंत्रालयों की सामग्री है, जो उपयोगकर्ताओं को सरकारी योजनाओं और पहल तक सीधी पहुंच प्रदान करती है। जानकारी में फोटो गैलरी, ई-बुक्स, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), बाल फिल्म प्रभाग की फिल्में और आकाशवाणी और दूरदर्शन के अभिलेखागार की सामग्री शामिल है। प्रसार भारती सुनिश्चित करता है कि निष्पक्षता, विविधता और लोक सेवा लोकाचार के उनके मूल मूल्य प्रस्तुत की गई सामग्री में परिलक्षित हों। ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइव टीवी चैनलों, ऑन-डिमांड वीडियो, ऑडियो सामग्री और लाइव रेडियो प्रसारण सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री होस्ट करता है। सामग्री की इस विविध श्रेणी का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को बढ़ावा देते हुए उपयोगकर्ताओं को शिक्षित, सूचित और मनोरंजन प्रदान करना है। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध करने के लिए सामग्री निर्माताओं के साथ सहयोग किया है, जिससे नए दृष्टिकोण, रचनात्मकता और युवा जुड़ाव सहित व्यापक दर्शकों को आकर्षित किया जा सके।

प्लेटफॉर्म ई-गेम्स होस्ट करता है, स्थानीय डेवलपर्स को योगदान देने और उनके काम को प्रदर्शित करने के लिए ऑनबोर्ड करके 'मेक इन इंडिया' पहल को प्रोत्साहित और बढ़ावा देता है। यह प्लेटफॉर्म कंटेंट को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित और वितरित करने के लिए अत्याधुनिक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस), कंटेंट डिलिवरी नेटवर्क (सीडीएन) और मीडिया एसेट मैनेजमेंट (एमएएम) सिस्टम का उपयोग करता है। इस प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता डेटा और कंटेंट अखंडता की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित मजबूत सुरक्षा तंत्र के साथ अत्यधिक स्केलेबल

क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्लेटफॉर्म में एक परिष्कृत एनालिटिक्स डैशबोर्ड है। यह प्लेटफॉर्म भारत के सुदूरतम गांव से लेकर किसी भी वैश्विक स्थान तक निर्बाध रूप से उपलब्ध है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के साथ सहयोग के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ाना है, जिससे डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया जा सके।

प्रसार भारती की पहल अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम करती है और कंटेंट एक्सचेंज के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति के लिए रास्ते खोलती है। यह प्लेटफॉर्म छोटे शहरों और गांवों सहित विविध क्षेत्रों के स्थानीय कंटेंट क्रिएटर्स का समर्थन और प्रचार करेगा, जिससे भारतीय प्रतिभाओं को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने का एक अनूठा अवसर मिलेगा और हाइपरलोकल विज्ञापन के अवसर प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन कर सकेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा।

पहली तिमाही के दौरान 'वेव्स'

प्लेटफॉर्म द्वारा कुल डाउनलोड

उपयोगकर्ता विजिट के आधार पर शीर्ष देश

उभरते बाजार

यूएई : 17,680

यूएई में 17,680 विजिट हुए, जो इस क्षेत्र में बढ़ती रुचि और संभावना को दर्शाता है।

फ्रांस : 12,373

फ्रांस में 12,373 विजिट हुए, जो एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटे उपयोगकर्ता समुदाय को दर्शाता है

ऑस्ट्रेलिया : 14,761

ऑस्ट्रेलिया में 14,781 विजिट हुए, जो स्थिर और बढ़ते उपयोगकर्ता आधार को दर्शाता है

बेल्जियम : 10,165

बेल्जियम में 10,165 विजिट हुए, जो एक विशिष्ट लेकिन व्यस्त उपयोगकर्ता आधार को दर्शाता है।

भाषाओं में ऐप

10 भाषाएं

भाषाओं में ऐप	
गुजराती	तमिल
कन्नड़	तेलुगु
मराठी	बांग्ला
मलयालम	हिंदी
पंजाबी	अंग्रेजी

कंटेंट की भाषाएं

25 भाषाएं

कंटेंट की भाषाएं	
राजस्थानी	ओडिया
गढ़वाली	मराठी
मणिपुरी	मलयालम
मिजो	कन्नड़
कोकबोरोक	गुजराती
कोंकणी	बांग्ला
कश्मीरी	असमिया
संस्कृत	उर्दू
मैथिल	तेलुगु
वोकल	तमिल
इंस्ट्रूमेंटल	पंजाबी
भोजपुरी	अंग्रेजी
हिंदी	

विस्तृत कंटेंट श्रेणियां

वर्ग	सक्रिय कंटेंट की कुल संख्या
ई बुक और जर्नल्स	9295
चलचित्र	1856
शो	590
वृत्तचित्र	450
ऑडियो	180
टीवी चैनल	74
शार्ट्स	64
खेल	24
फोटो	19
रेडियो चैनल	4
लाइव इवेंट	अब तक 200 से अधिक लाइव कार्यक्रम प्रसारित

स्थलीय प्रसारण का डिजिटलीकरण:

- प्रसार भारती मोबाइल पर सीधे सामग्री (डीटीएम) पहुंचाने में सक्षम प्रसारण तकनीकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना करता है। डीटीएम के लिए 'नेक्स्ट जेनेरेशन ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी' को अंतिम रूप देने के लिए प्रसार भारती ने उभरते मानकों के अनुरूप डिजिटल स्थलीय प्रसारण हेतु 'नेक्स्ट जेनेरेशन ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी' समाधान/रोडमैप विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- 'नेक्स्ट जेनेरेशन की तकनीक-डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग (डी2एम) के लिए अवधारणा का प्रमाण (पीओसी) आईआईटी, कानपुर द्वारा बेंगलुरु और दिल्ली में किया गया। बेंगलुरु और दिल्ली में सफल फील्ड ट्रायल के बाद, आईआईटी कानपुर ने फरवरी, 2024 में अवधारणा के प्रमाण (पीओसी) पर अपनी रिपोर्ट कुछ सिफारिशों के साथ प्रस्तुत की और इसे प्रसार भारती द्वारा मार्च, 2024 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।
- प्रसार भारती और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ भी विचार-विमर्श किया। आईआईटी, कानपुर ने दूरसंचार विभाग की टिप्पणियों/सुझावों पर उचित तरीके से विचार किया और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को जवाब भेजा गया है।
- प्रसार भारती ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को "पीपीपी मॉडल में डायरेक्ट टू मोबाइल (डी2एम) डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू करने" पर मसौदा कैबिनेट नोट और सचिवों की समिति (सीओएस) के लिए नोट का इनपुट प्रस्तुत किया है।

हाई डेफिनेशन टीवी (एचडीटीवी)

- वर्तमान में, पांच एचडी चैनल यानी डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी इंडिया और डीडी तमिल चल रहे हैं, जिनमें से डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी इंडिया डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं, जबकि एचडी में डीडी तमिल सैटेलाइट चैनल केवल सी-बैंड में उपलब्ध है।
- दिल्ली से शुरू होने वाले सभी 7 चैनलों को एचडी में माइग्रेट करने के लिए डीडीके दिल्ली, डीडी न्यूज़ मुख्यालय और सीपीसी दिल्ली में स्टूडियो सेंटर का एसडी से एचडी में अपग्रेडेशन पूरा हो गया है।
- बीआईएनडी (2021-26) के हिस्से के रूप में, एचडी प्रोडक्शन और उत्पादन के लिए 24x7 क्षेत्रीय चैनलों पर मौजूदा तकनीकी सुविधाओं का उन्नयन प्रगति पर है।

आईटी पहल

आईटी प्रभाग ने संगठन की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और रणनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए कई पहल की हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान की गई प्रमुख आईटी पहल इस प्रकार हैं:

- एसएचएबीडी (प्रसारण और प्रसार के लिए साझा श्रव्य-दृश्य) 'शब्द' एक समाचार सेवा है, जिसे प्रसार भारती द्वारा भारतीय मीडिया उद्योग की दैनिक समाचार आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए इन-हाउस विकसित और लॉन्च किया गया है। प्रसार भारती भारत का लोक प्रसारक है, जिसके तत्वावधान में दूरदर्शन और आकाशवाणी संचालित होते हैं। 'शब्द' को 13 मार्च, 2024 को लॉन्च किया गया।

1 अगस्त, 2024 को हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में प्रसार भारती और वॉयस ऑफ वियतनाम (वीओवी), वियतनाम के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान।

- कुल 1,675 उपयोगकर्ता पहले ही सेवा की सदस्यता ले चुके हैं।
- प्रसार भारती के समाचार विंग्स द्वारा 2.9 लाख से अधिक समाचार प्रसारित किए गए हैं।
- विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा एक लाख से अधिक कहानियों को डाउनलोड किया गया है।

वैश्विक आउटरीच

प्रसार भारती का वैश्विक आउटरीच विंग विदेशों के लोक सेवा प्रसारकों/संगठनों के साथ समझौतों और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने जैसी अंतरराष्ट्रीय संबंध गतिविधियों से संबंधित है। यह प्रसार भारती के सभी कार्यक्षेत्रों में विदेशी प्रसारकों की आधिकारिक यात्रा की सुविधा प्रदान करता है,

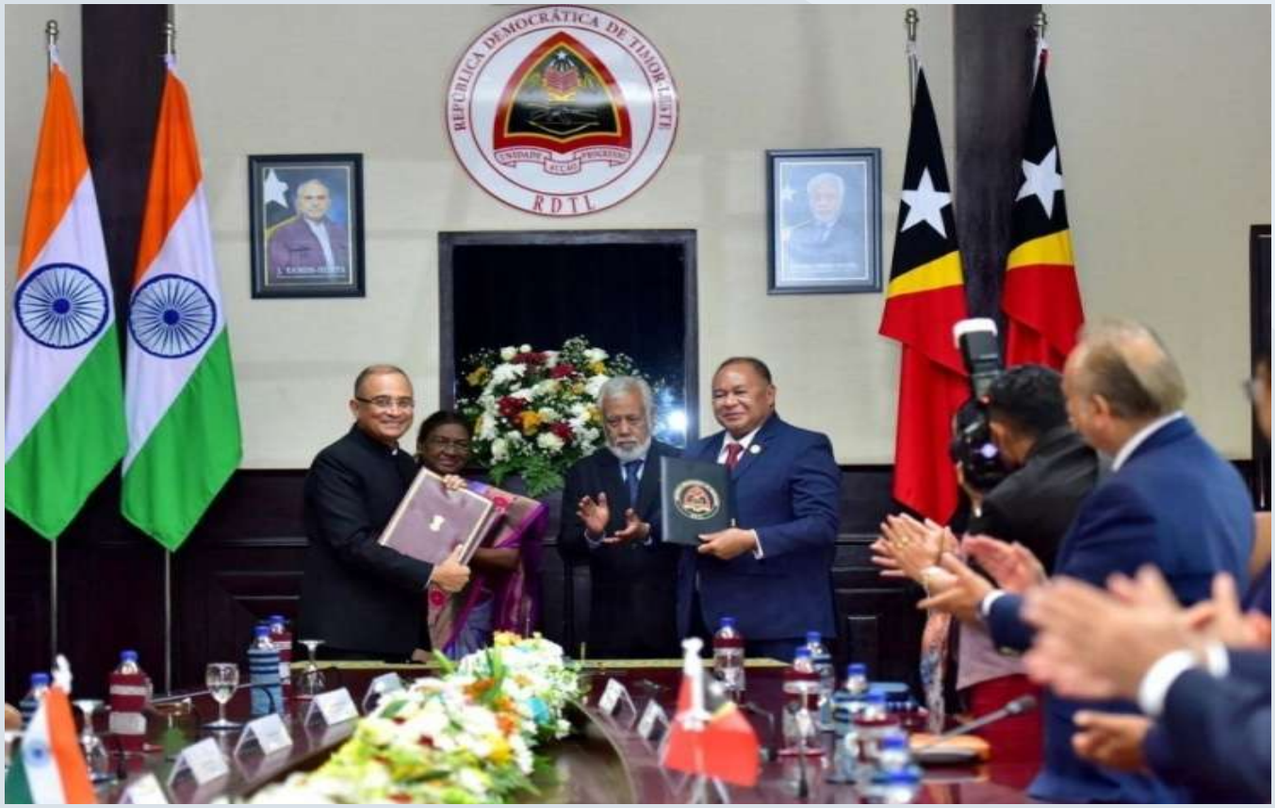

10 अगस्त, 2024 को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती (पीबी) और रेडियो ई टेलीविसाओ डी तिमोर-लेस्ते (आरटीटीएल) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान।

विदेशी समझौता ज्ञापन भागीदारों के साथ-साथ एशिया-प्रशांत प्रसारण क्षेत्र (एबीयू), एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रसारण संघों के लिए देश में/उप-क्षेत्रीय कार्यशालाओं/सम्मेलन/कार्यक्रमों का आयोजन करता है; अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों/सम्मेलनों में अपने अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

1. इस अवधि के दौरान प्रसार भारती द्वारा हस्ताक्षरित कुछ समझौता ज्ञापनों (एमओयू)/समझौतों का विवरणः

- **डॉयचे वेले, जर्मनी ('सवाल' समझौता ज्ञापन)**: प्रसार भारती और डॉयचे वेले, जर्मनी के बीच उर्दू भाषा में पत्रिका 'सवाल' कार्यक्रम के प्रसारण से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर 01 जून, 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो 'सवाल' के पहले एपिसोड के प्रसारण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए था।

- **रशिया टुडे (आरटी) टेलीविजन, रूस**: 8 जुलाई, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान एक साइडलाइन बैठक में प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग और सहभागिता पर प्रसार भारती और आरटी टीवी, रूस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त समझौता ज्ञापन पर प्रसार भारती के लिए रूस संघ में भारत गणराज्य के महामहिम राजदूत श्री विनय कुमार और आरटी टीवी, रूस के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वितरण विभाग की उप कार्यकारी प्रमुख सुश्री करीन मीक्यान ने कार्यक्रमों, समाचार कवरेज, कार्मिक और प्रशिक्षण के आदान-प्रदान के लिए हस्ताक्षर किए।

- **वॉयस ऑफ वियतनाम (वीओवी), वियतनाम**: प्रसार भारती और वॉयस ऑफ वियतनाम (वीओवी), वियतनाम के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग और सहभागिता पर एक समझौता ज्ञापन पर 01 अगस्त, 2024 को हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। प्रसार भारती की ओर से प्रसार भारती के सीईओ ने और वॉयस ऑफ वियतनाम की ओर से वीओवी के सीईओ ने सामग्री, सह-निर्माण, कर्मियों और प्रशिक्षणों के आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- **रेडियो ई टेलीविसाओ डी तिमोर-लेस्ते (आरटीटीएल) तिमोर लेस्ते**: भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती (पीबी) और रेडियो ई टेलीविसाओ डी तिमोर-लेस्ते (आरटीटीएल) ने 10 अगस्त, 2024 को द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और प्रसारण में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत की राष्ट्रपति और तिमोर-लेस्ते के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान-प्रदान किया गया। भारत के राजदूत श्री संदीप चक्रवर्ती ने प्रसार भारती की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जबकि रेडियो एंड टेलीविसाओ डी तिमोर-लेस्ते, ई.पी (आरटीटीएल, ईपी) के निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री जोस एंटोनियो बेलो तारालयू ने आरटीटीएल की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत सामग्री का आदान-प्रदान, सह-निर्माण, कर्मियों और प्रशिक्षण पर सहयोग किया जाएगा।

- **डॉयचे वेले, जर्मनी ('मंथन' समझौता ज्ञापन)**: प्रसार भारती और डॉयचे वेले, जर्मनी के बीच 'मंथन' कार्यक्रम से संबंधित समझौता ज्ञापन पर 27 नवंबर, 2024 को हस्ताक्षर किए गए, जिसकी वैधता 12 दिसंबर, 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए है। प्रसार भारती की ओर से श्री डी.पी. सिंह, डीडीजी (कंटेंट सोर्सिंग) ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा डॉयचे वेले, जर्मनी की ओर से श्री एंड्रेस पालासियोस-डेगविट्ज़, हेड डिस्ट्रीब्यूशन एशिया ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कार्यक्रम 'मंथन' के प्रसारण के लिए समझौता ज्ञापन पर

हस्ताक्षर किए।

भारत को जानिए कार्यक्रम

- **'75वां भारत को जानिए कार्यक्रम' 15 जुलाई, 2024 :** '75वें भारत को जानिए कार्यक्रम' के तत्वावधान में भारतीय मूल के लगभग 40 विदेशी प्रतिभागियों ने 15 जुलाई, 2024 (पूर्वाह्न) को प्रसार भारती (डीडी न्यूज, दूरदर्शन) का दौरा किया। यह दौरा विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए आयोजित किया गया था और इस दौरे का उद्देश्य उन्हें भारत में लोक प्रसारण सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के बारे में जानकारी देना था।

- **'81वां भारत को जानिए कार्यक्रम' 6 जनवरी, 2025:** '81वें भारत को जानिए कार्यक्रम' के तत्वावधान में भारतीय मूल के लगभग 37 विदेशी प्रतिभागियों ने 6 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न) को प्रसार भारती (डीडी न्यूज, दूरदर्शन) का दौरा किया। यह दौरा विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रवासियों के लिए आयोजित किया गया था और इस दौरे का उद्देश्य भारतीय मूल के प्रतिभागियों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक विकास और लोक प्रसारण सेवाओं– आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के बारे में जानकारी देना था।

एशिया-प्रशांत प्रसारण संघ (एबीयू), एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) और प्रशिक्षण कार्यक्रम

- **एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी):** 21 जून, 2024 को एआईबीडी के साथ प्रसार भारती के सीईओ की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई, जिसमें निदेशक (एआईबीडी) ने सीईओ, प्रसार भारती को आगामी एआईबीडी महासम्मेलन (जीसी) की अध्यक्षता करने और एएमएस के सीईओ सत्र में वक्ता के रूप में भाग लेने के लिए

डोमेस्टिक रोबोकॉन 2024 का आयोजन 13-14 जुलाई, 2024 को त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली में किया गया।

आमंत्रित किया। एआईबीडी ने एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन (एएमएस) और इसके शिखर सम्मेलन-पूर्व कार्यशालाओं में प्रसार भारती से भागीदारी का भी अनुरोध किया।

- **डीडी रोबोकॉन 2024** : प्रसार भारती द्वारा आईआईटी-दिल्ली के सहयोग से 13-14 जुलाई, 2024 को त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली में एबीयू रोबोकॉन 2024 की राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता 'डीडी रोबोकॉन 2024' का आयोजन किया गया। रोबोकॉन 2024 का विषय 'हार्वेस्ट डे' था। इस कार्यक्रम में भारत भर के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों की 46 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम 'इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निरमा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद' थी, जिसने बाद में 25 अगस्त, 2024 को क्वांग निन्ह, वियतनाम में अंतरराष्ट्रीय एबीयू रोबोकॉन 2024 में प्रसार भारती, भारत का प्रतिनिधित्व किया।

- **एबीयू जनरल असेंबली और संबद्ध बैठकें 2024** : प्रसार भारती की ओर से महानिदेशक, आकाशवाणी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 18 से 23 अक्टूबर, 2024 तक इस्तांबुल, तुर्किये में आयोजित 61वीं एबीयू जनरल असेंबली और संबद्ध बैठकों में भाग लिया। प्रसार भारती के संबंध में 61वीं एबीयू जनरल असेंबली की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

  - ➢ <u>प्रसार भारती का 2024-25 की अवधि के लिए प्रशासनिक परिषद में चुनाव:</u> भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती को 2024-25 की अवधि के लिए एशिया-प्रशांत प्रसारण संघ (एबीयू) की प्रशासनिक परिषद का पूर्ण सदस्य चुना गया है। चुनाव एबीयू जनरल असेंबली के प्रतिबंधित सत्र के दौरान हुआ, जिसमें प्रसार भारती ने तुर्कमेनिस्तान के टीवीटीएम और ईरान के आईआरआईबी जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले यह प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया। एनएचके, जापान द्वारा नामित और एबीसी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा समर्थित, प्रसार भारती का कार्यकाल प्रशासनिक परिषद में दिसंबर, 2025 तक होगा। इस्तांबुल में एबीयू प्रशासनिक परिषद के चुनाव में 51 पूर्ण सदस्यों में से 46 ने भाग लिया था।

  - <u>एबीयू पुरस्कार 2024 - विजेता:</u> प्रसार भारती की रेडियो प्रविष्टि जिसका शीर्षक **'व्हिसपर ऑफ ए वेटलैंड:** ए विजन फॉर टुमॉरो' है, को रेडियो परिप्रेक्ष्य पुरस्कार श्रेणी के तहत एबीयू पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया। इस कार्यक्रम के निर्माता श्री सुवायन बाला, पीईएक्स, आकाशवाणी कोलकाता ने 22 अक्टूबर, 2024 को इस्तांबुल, तुर्किये में आयोजित एबीयू पुरस्कार समारोह के दौरान प्रमाण-पत्र और ट्रॉफी प्राप्त की।

  - ➢ <u>मेंबर्स शोकेस @एबीयू जनरल असेंबली 2024:</u> प्रसार भारती ने 22 अक्टूबर, 2024 को एबीयू जनरल असेंबली में सदस्यों के प्रदर्शन सत्र के दौरान दूरदर्शन की 65 वर्षों की सेवा की माइलस्टोन/उपलब्धियां प्रस्तुत कीं।

- **19वां एआईबीडी एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन (एएमएस):** एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन (एएमएस) एआईबीडी द्वारा अपने प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आयोजित एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन में क्षेत्र के भीतर और बाहर से लगभग 500 शीर्ष रैंकिंग वाले प्रसारकों, निर्णायकों, मीडिया पेशेवरों, विनियामकों, विद्वानों और हितधारकों ने भाग लिया। एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2024 (एएमएस) का आयोजन 3-4 सितंबर, 2024 को मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया था। प्रसार भारती ने 4 सितंबर, 2024 को आयोजित एशिया मीडिया शिखर

सम्मेलन, 2024 के सत्र 6 को प्रायोजित किया है (एआईबीडी को 10,000.00 अमेरिकी डॉलर), जो प्रसार भारती के आगामी ओटीटी प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित करते हुए, उभरती हुई प्रसारण तकनीकों का लाभ उठाने से संबंधित है। प्रसार भारती ने एआईबीडी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की एक श्रेणी के लिए एआईबीडी को 1000.00 अमेरिकी डॉलर का प्रायोजन भी किया है।

प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना (बीआईएनडी) के अंतर्गत निधि आवंटन के संबंध में प्रसार भारती का विवरणः

1. बजटः

i. प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना (बीआईएनडी) के अंतर्गत निधि आवंटन के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैः-

<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>प्रसार भारती के (बीआईएनडी) योजना के अंतर्गत विवरण</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>वर्ष 2024-25 के लिए (बीआईएनडी) योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति</td><td>(आंकड़े करोड़ रूपये में)
<table>
<tr><th colspan="2">बजट अनुमान</th><th rowspan="2">कुल (बजट अनुमान)</th><th colspan="2">संशोधित अनुमान</th><th rowspan="2">कुल (संशोधित अनुमान)</th></tr>
<tr><th>पूंजी</th><th>कंटेंट सहित एसएपी</th><th>पूंजी</th><th>कंटेंट सहित एसएपी</th></tr>
<tr><td>449.90</td><td>50.10</td><td>500.00</td><td>349.90</td><td>50.10</td><td>400.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>01.01.2024 से 31.12.2024 तक किया गया व्यय</td><td>(आंकड़े करोड़ रूपये में)
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.स.</th><th rowspan="2">अवधि</th><th colspan="2">व्यय (करोड़ रुपये में)</th><th rowspan="2">कुल</th></tr>
<tr><th>पूंजी</th><th>कंटेंट सहित एसएपी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>01.01.24 से 31.03.24 तक</td><td>148.69</td><td>63.35</td><td>212.04</td></tr>
<tr><td>2..</td><td>01.04.24 से 31.12.24 तक</td><td>53.01</td><td>31.48</td><td>84.49</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल व्यय</td><td>201.70</td><td>94.83</td><td>296.53</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2. बीआईएनडी योजना के तहत तकनीकी प्रगतिः

क्र.स.	घटक	उप-घटक	परियोजनाएं/उप-परियोजनाएं
1.	जारी योजना	उपग्रह प्रसारण उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्द्धन एवं प्रतिस्थापन	डीटीएच अर्थ स्टेशन पीतमपुरा का उन्नयन (मॉड्यूलेटर और आईएफ स्विचिंग सिस्टम)
		डीटीएच का विस्तार	i. देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 1.2 लाख डीटीएच रिसीवर सेट टॉप बॉक्स का वितरण। ii. डीटीएच पीतमपुरा (सी बैंड) में अर्थ स्टेशन का उन्नयन - उपकरणों की एसआईटीसी (संपीड़न और निगरानी प्रणाली उपकरण आदि)

क्र.स.	घटक	उप-घटक	परियोजनाएं/उप-परियोजनाएं
2.	डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म के विस्तार, लाइव कवरेज के लिए तकनीकी सुविधाओं सहित लोक सेवा प्रसारण बुनियादी ढांचे का उन्नयन	डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म का विस्तार	डीडी फ्री डिश टोडापुर में मौजूदा चार कम्प्रेशन चेन का उन्नयन
			एसआईटीसी द्वारा अर्थ स्टेशन टोडापुर दिल्ली में आरएफ सिस्टम के साथ अतिरिक्त दो स्ट्रीम का डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म का विस्तार
		डीटीएच आपदा रिकवरी केंद्र	मुख्य साइट की क्षमता के समान डीडी डीटीएच प्लेटफॉर्म के लिए जियो डायवर्सिटी सेंटर की स्थापना
		एचडी के लिए कार्यक्रम उत्पादन सुविधाओं का स्वचालन एवं आधुनिकीकरण	एचडी उत्पादन और पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए 24x7 क्षेत्रीय चैनलों पर मौजूदा तकनीकी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए: i) स्टूडियो आधारित उत्पादन सुविधाओं (पीसीआर उपकरण और एमएसआर/सीएआर उपकरण) का उन्नयन ii) फ़ाइल आधारित उत्पादन और पोस्ट प्रोडक्शन कार्यप्रवाह iii) एचडी प्लेआउट सुविधा iv) विविध तकनीकी सुविधाएं और अन्य संबंधित उपकरण जैसे स्टूडियो लाइट, अन्य ऑडियो वीडियो उपकरण v) डीडी न्यूज़ के वीवीआईपी कवरेज के लिए कार्यक्रम उत्पादन सुविधा का संवर्द्धन और उन्नयन vi) आवश्यक बुनियादी ढांचे एसी प्लांट इलेक्ट्रिकल और सिविल का संवर्द्धन।
		एचडी के लिए उपग्रह प्रसारण सुविधाओं का स्वचालन एवं आधुनिकीकरण।	पीतमपुरा में सी-बैंड डीटीएच अर्थ स्टेशन का उन्नयन एवं प्रतिस्थापन (आरएफ उपकरण)
			डीडीके नई दिल्ली में (1+1) एचपीए प्रणाली का प्रतिस्थापन
			लेह और विजयवाड़ा में 2 (1+1) अर्थ स्टेशन का उन्नयन और प्रतिस्थापन।
			आइज़ॉल, गुवाहाटी और शिलांग में 2x (1+1) अर्थ स्टेशन का उन्नयन और प्रतिस्थापन
			ईटानगर, अगरतला, कोहिमा, इम्फाल, गंगटोक और पोर्टब्लेयर में 2x (1+1) अर्थ स्टेशन का उन्नयन और प्रतिस्थापन
		समाचार उत्पादन उपकरणों का संवर्द्धन	समाचार मुख्यालय और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों, पीबीएनएस के लिए समाचार अधिग्रहण और उत्पादन उपकरण जैसे एमओजेओ किट, बैकपैक्स, टेलीप्रॉम्प्टर, एनआरसीएस सिस्टम, एनएलई आदि
		लाइव कवरेज के लिए तकनीकी सुविधाओं का एचडी में उन्नयन	लाइव कवरेज के लिए तकनीकी सुविधाओं का एचडी में उन्नयन- i) वाहन और एचडी उत्पादन उपकरण सहित मल्टी-कैमरा मोबाइल उत्पादन सुविधाओं (ओबी वैन और ईएफपी वैन) का उन्नयन/प्रतिस्थापन ii) फ्लाई अवे एचडी उत्पादन सुविधाएं प्रदान करना।

क्र.स.	घटक	उप-घटक	परियोजनाएं/उप-परियोजनाएं
3.	कंटेंट विकास और कंटेंट नवाचार, इसके लिए संबंधित प्रौद्योगिकी सहित	कंटेंट नवप्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी	i. वीडियो वॉल, वर्चुअल सेट, एआर उपकरण और वीआर समाधान पर पायलट सहित कंटेंट संवर्द्धन तकनीक ii. क्लाउड आधारित मीडिया रिपॉजिटरी iii. 4के/यूएचडी कंटेंट प्रोडक्शन पर पायलट प्रोजेक्ट iv. स्टूडियो प्रोडक्शन ऑटोमेशन पर पायलट प्रोजेक्ट v. विजुअल रेडियो, एआई, एल्गोरिदम के लिए पायलट प्रोजेक्ट
4.	कार्यनीतिक/राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों (वामपंथी उग्रवाद, प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती, आकांक्षी जिले, कार्यनीतिक/राष्ट्रीय महत्व के अन्य ऐसे क्षेत्र) सहित लोक सेवा प्रसारण की पहुंच का विस्तार, जिसमें डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स का बढ़ता आधार शामिल है	डीडी फ्री डिश के लिए आधार बढ़ाने हेतु डीटीएच रिसीव सेट की योजना	बीआईएनडी के क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट मोड) अर्थात् "कार्यनीतिक क्षेत्रों में डीडी फ्री डिश एसटीबी वितरण" के साथ जोड़ा गया
5.	प्रोजेक्ट मोड	कार्यनीतिक क्षेत्रों में डीडी फ्री डिश एसटीबी वितरण (ऐप आधारित प्राधिकरण के साथ लगभग 7 लाख इकाइयां) और वाई-फाई हॉट स्पॉट के माध्यम से डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध रेडियो चैनलों की स्ट्रीमिंग	प्रोजेक्ट मोड में एसआईटीसी मोड में 7.5 लाख डीटीएच रिसीव सेट का वितरण, साथ ही डीटीएच बीआईएनडी योजना 2017-21 के घटक विस्तार के तहत 1.2 लाख डीटीएच एसटीबी का वितरण (2021-26 की योजना जारी रहेगी (एसआईटीसी मोड में 8.7 लाख डीटीएच रिसीव सेट का वितरण एक साथ)
		पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित 8 ओबी और ईएफपी वैन का प्रावधान	(6+3) कैमरा ओबी वैन पूर्वोत्तर केंद्रों सहित 9 स्थानों पर
		डीडी और आकाशवाणी चैनलों का फेसलिफ्ट	i. न्यूज़ रूम कम्प्यूटर सिस्टम (एनआरसीएस) ii. स्वचालित प्लेआउट सिस्टम iii. गैर-रेखीय संपादन प्रणाली iv. मोबाइल न्यूज़ गैदरिंग यूनिट (बैक-पैक) v. कॉम्पैक्ट कैमकोर्डर vi. ग्राफ़िक्स सिस्टम वर्चुअल सेट vii. एमओजेओ किट viii. अन्य संबद्ध उत्पादन उपकरण
		क्षेत्रीय केंद्रों पर फ़ाइल आधारित कार्यप्रवाह सुविधाएं	क्षेत्रीय केंद्र पर फ़ाइल आधारित कार्यप्रवाह सुविधा
		एचडी में डीडी चैनलों के लिए बीएआरसी वॉटरमार्किंग प्रणाली	एचडी में डीडी चैनलों के लिए बीएआरसी वाटरमार्किंग प्रणाली

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जिसकी स्थापना 1995 में परियोजना परामर्श सेवाएं और टर्नकी समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन सुविधाओं की स्थापना यानी कंटेंट प्रोडक्शन सुविधाएं, भारत और विदेशों में स्थलीय, उपग्रह और केबल प्रसारण शामिल हैं।

बेसिल ने अब अन्य क्षेत्रों में भी विविधता ला दी है, जैसे सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (अर्थात् सीसीटीवी, प्रवेश नियंत्रण, घुसपैठ का पता लगाना), कौशल, जन-बल सेवाएं, तकनीकी रूप से प्रबंधित सेवाएं और कार्यनीतिक क्षेत्र आदि। कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, परामर्श सेवाएं, तकनीकी लेखा परीक्षा, मीडिया विश्लेषण, अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल इंडिया से संबंधित परियोजनाएं, शहर निगरानी, सुरक्षित शहर, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, विनिर्माण, ऑडियो-वीडियो और डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, परियोजना प्रबंधन सेवाएं, संचालन और रखरखाव, जन-बल प्लेसमेंट, एएमसी और कुल टर्नकी परियोजना समाधान प्रदान करना शामिल हैं।

बेसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, कॉरपोरेट कार्यालय नोएडा में और क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु और कोलकाता में हैं। बेसिल व्यवसाय पोर्टफोलियो में विविधता के कारण कई राज्यों में भौगोलिक विस्तार की संभावना तलाश रहा है।

प्रमुख परियोजनाएं/व्यावसायिक गतिविधियां

1. केंद्रीकृत रिपोजिटरी के माध्यम से केबल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल के पुनरुद्धार और उन्नयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में बेसिल को नियुक्त किया था। कार्यान्वयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बेसिल ने मंत्रालय के डीएएस अनुभाग के साथ गहन बातचीत की और एलसीओ के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर के विकास को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया।

2. भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई) के लिए प्रेस सेवा पोर्टल

बेसिल पीआरजीआई के प्रेस सेवा पोर्टल के संवर्द्धन के लिए परियोजना पर काम कर रहा है। परियोजना के दायरे में भारत के प्रेस महापंजीयक कार्यालय को सहायता प्रदान करने के लिए जन-बल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

3. केंद्रीय संचार ब्यूरो के लिए ई-गवर्नेंस पहल का कार्यान्वयन

बेसिल ने सरकार के 360-डिग्री संचार में दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो को सहयोग दिया। बेसिल द्वारा विकसित नई ई-गवर्नेंस प्रणाली को तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।

4. सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना

बेसिल ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए परियोजनाओं को क्रियान्वित किया, जिसमें आंतरिक स्टूडियो कार्य जैसे ध्वनिकी, विद्युत, आदि शामिल हैं, 30 मीटर मस्तूल, स्टूडियो उपकरण और इंटरनेट रेडियो सहित प्रसारण शृंखला शामिल है जो राम लाल आनंद कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय); कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर, कर्नाटक; तेलीचेरी सोशल सर्विस सोसाइटी, तेलीचेरी, केरल; महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान; प्रयास सोसाइटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, अहमदनगर, महाराष्ट्र; शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर; शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू, मुख्य परिसर चट्ठा, जम्मू, जम्मू और कश्मीर; गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब; मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान; लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा और एसएजीई विश्वविद्यालय, इंदौर जैसे विभिन्न संगठनों के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 'सड़क सुरक्षा अभियान' का क्रियान्वयन

बेसिल ने 'सड़क सुरक्षा अभियान' के तहत मीडिया अभियान के क्रियान्वयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सहयोग दिया। इस कार्य में कंटेंट डेवलपमेंट, कार्यक्रमों के आयोजन और 'सड़क सुरक्षा अभियान' के क्रियान्वयन के लिए क्रिएटिव/इवेंट एजेंसी का चयन और सहभागिता शामिल थी।

6. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ऑन रोड इकाइयों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली सॉफ्टवेयर

बेसिल को एनएचएआई की ऑन रोड इकाइयों के लिए कम्प्यूटर सहायता प्राप्त डिस्पैच सिस्टम सॉफ्टवेयर/जीआईएस सक्षम राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली सॉफ्टवेयर के डिजाइन, विकास, तैनाती, संचालन और रखरखाव के लिए सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए राष्ट्रीय स्तर का पैक्स सॉफ्टवेयर

प्राथमिक कृषि समितियां (पैक्स) किसानों, ग्रामीण कारीगरों आदि के स्वामित्व में होती हैं और इनका उद्देश्य सदस्यों के बीच बचत और आपसी मदद को बढ़ावा देना, उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना और इनपुट आपूर्ति, भंडारण और कृषि उपज के विपणन आदि जैसी ऋण-संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। भारत सरकार ने पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना को लागू करने का फैसला किया है। मेसर्स एएफसी लिमिटेड और मेसर्स इंटेलेक्ट इन्फॉर्मेटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ बेसिल के एक संघ द्वारा निष्पादित इस परियोजना का दायरा पैक्स के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण के लिए एक व्यापक, बहुक्रियाशील मॉडल और मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर प्रदान करना है।

8. भारत नेट चरण-II का कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव

भारत नेट परियोजना तमिलनाडु फाइबरनेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (टैनफिनेट) की एक परियोजना है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का उपयोग करके सभी ग्राम पंचायतों को स्केलेबल बैंडविड्थ से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के लिए, बेसिल 'थर्ड पार्टी ऑडिटर' का कार्य कर रहा है, जो ओएफसी बिछाने और उपकरणों की स्थापना करने वाली एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का ऑडिट कर रहा है।

9. राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में इंटरैक्टिव और इमर्सिव डिजिटल लर्निंग वातावरण प्रदान करने वाले अनुभव केंद्रों की स्थापना

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) ने एनएसीआईएन में शामिल प्रशिक्षुओं के सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक इंटरैक्टिव और डिजिटल लर्निंग वातावरण, इमर्सिव रूम, सिमुलेटर की स्थापना के लिए बेसिल को एक परामर्श एजेंसी के रूप में चुना है। परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया और इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया।

10. सीसीटीवी निगरानी अभिगम नियंत्रण प्रणाली

बेसिल ने झारखंड में जिला न्यायालयों और उप-मंडल न्यायालयों; इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न स्थानों; केंद्रीय भंडारण निगम, हरियाणा में कई पुलिस स्टेशनों/चौकियों; भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के भिलाई इस्पात संयंत्र, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, उत्तराखंड की जिला जेलों आदि जैसे विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए सीसीटीवी निगरानी अभिगम नियंत्रण प्रणाली की सेवाएं प्रदान की हैं।

11. ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में राज्य डेटा सेंटर का कार्यान्वयन

बेसिल ने ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में राज्य डेटा सेंटर (एसडीसी) के चरण-I को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। यह एसडीसी कई प्रमुख कार्यक्षमताएं प्रदान करता है, जिसमें एक केंद्रीय डेटा भंडार, सुरक्षित डेटा भंडारण, सेवाओं की ऑनलाइन डिलिवरी, एक नागरिक सूचना/सेवा पोर्टल, एक राज्य इंट्रानेट पोर्टल, आपदा रिकवरी, दूरस्थ प्रबंधन और सेवा एकीकरण शामिल हैं।

12. छत्तीसगढ़ सरकार के लिए राज्य-व्यापी वाहन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का विकास और प्रबंधन

बेसिल ने छत्तीसगढ़ सरकार के लिए राज्य-व्यापी वाहन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के विकास, अनुकूलन, परिनियोजन और प्रबंधन के लिए परियोजना को क्रियान्वित किया है। इस परियोजना में निर्दिष्ट वाहनों में वाहन ट्रैकिंग डिवाइस की स्थापना, आईसीसीसी के लिए आईटी अवसंरचना की खरीद और स्थापना के साथ-साथ एक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) की स्थापना, उपयोगकर्ता विशिष्ट डैशबोर्ड का डिज़ाइन और विकास, सभी हितधारकों (विभाग और आम जनता) के लिए एक मोबाइल ऐप का डिज़ाइन और विकास, और अवसंरचना का संचालन और रखरखाव शामिल है।

13. बक्सर, बिहार में एक्वा स्क्रीन प्रोजेक्शन और साउंड शो के साथ 3डी मैपिंग और राम रेखा घाट, बिहार में डायनामिक लाइटिंग और मोटिफ

बेसिल, बिहार के बक्सर में राम रेखा घाट, साइट विकास के हिस्से के रूप में "बक्सर, बिहार में एक्वा स्क्रीन प्रोजेक्शन और साउंड शो के साथ 3डी मैपिंग और राम रेखा घाट, बिहार में डायनामिक लाइटिंग और मोटिफ" परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बक्सर के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए एक इमर्सिव 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग और एक्वा स्क्रीन प्रोजेक्शन मैपिंग शो बनाना है।

14. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन केंद्र का उन्नयन

बेसिल ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन केंद्र के उन्नयन के लिए परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। इस परियोजना में ज्ञानदर्शन के अर्थ स्टेशन का उन्नयन, ज्ञानदर्शन के वीडियो सर्वर की खरीद और स्थापना, वीडियो स्टूडियो का एचडी प्रारूप में उन्नयन, ईपीएमसी लाइब्रेरी के ऑडियो/वीडियो संसाधनों का डिजिटलीकरण और नॉन-लीनियर एडिट की खरीद और स्थापना शामिल है।

15. नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में इमारतों के लिए ऑडियो और वीडियो सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

बेसिल नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए ऑडियो और वीडियो सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। कार्य के दायरे में स्थानों का ऑडियो सुदृढ़ीकरण, वीडियो सिस्टम, प्रोजेक्शन सिस्टम, वीडियो प्रबंधन प्लेटफॉर्म, कैमरे और डिजिटल पोडियम समाधान शामिल हैं।

16. महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डिजिटल साइनेज डिस्प्ले सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और संचालन

बेसिल महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग के लिए पांच साल के लिए डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (डीबीओटी) मॉडल पर महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डिजिटल साइनेज डिस्प्ले सिस्टम स्थापित करने की परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है।

17. झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची में आईआर के साथ एचडीटीवी स्टूडियो और सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना

बेसिल झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के लिए एचडीटीवी स्टूडियो, आईआर के साथ सीआरएस और सभी सहायक सुविधाओं जैसे ध्वनिकी, साज-सज्जा, स्टूडियो लाइटिंग, क्रोमा वॉल, एचवीएसी और इलेक्ट्रिकल कार्यों की स्थापना के लिए एक परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है।

18. साइबर फोरेंसिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

साइबर अपराध और साइबर खतरों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए, बेसिल ने एक अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा/डिजिटल फोरेंसिक लैब की आवश्यकता को पहचाना, जो डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच और विश्लेषण करने के लिए उन्नत क्षमताओं से लैस हो। इस संबंध में, बेसिल द्वारा एक अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है।

19. समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बिहार के सरकारी स्कूलों को शिक्षण अधिगम सामग्री की आपूर्ति

बेसिल ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बिहार भर के सरकारी स्कूलों को आगे की आपूर्ति के लिए 534 ब्लॉकों/बीआरसी को कक्षा IV और V के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की आपूर्ति की परियोजना को क्रियान्वित किया है।

20. डीपीओ के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट

बेसिल 2008 से डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट कर रहा है और इस क्षेत्र की अग्रणी एजेंसियों में से एक है। बेसिल आवश्यकतानुसार ट्राई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और टीडीसैट के लिए भी ऑडिट करता है। बेसिल के ग्राहकों में डिजिटल टीवी उद्योग के अग्रणी सेवा प्रदाता शामिल हैं।

21. 33/11 केवी सबस्टेशनों और एलटी/एचटी वितरण लाइनों का संचालन और रखरखाव

बेसिल ने उत्तर प्रदेश सरकार के मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विभिन्न सर्किलों में 33/11 केवी सबस्टेशनों और एलटी/एचटी वितरण लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए परियोजना को क्रियान्वित किया है। इस परियोजना के तहत, बेसिल ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न विद्युत वितरण सर्किलों में कुशल और अकुशल जनशक्ति की तैनाती की है।

22. कर्मचारियों के जन-बल की नियुक्ति और तैनाती के बाद प्रबंधन

बेसिल देश भर में विभिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकायों में जन-बल सेवाएं प्रदान कर रहा है और इसके पास पेशेवर, तकनीकी, गैर-तकनीकी, कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल, उच्च कुशल जैसी विभिन्न श्रेणियों में जन-बल प्रदान करने के लिए एक अलग मानव संसाधन विभाग भी है।

बेसिल लगभग 40 सरकारी संगठनों को जन-बल सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिनमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, एम्स, भारत निर्वाचन आयोग, भारत का उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नोएडा मेट्रो रेल निगम (एनएमआरसी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) आदि शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर

बेसिल ने निम्नलिखित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है:

- पोर्ट विला, वानुआतु में आईटी में उत्कृष्टता केंद्र में आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग तथा ऑनसाइट समर्थन

बेसिल ने पोर्ट विला, वानुआतु में आईटी में उत्कृष्टता केंद्र में आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग तथा ऑनसाइट समर्थन के लिए परियोजना को क्रियान्वित किया है।

- बांग्लादेश भारत डिजिटल सेवा और रोज़गार प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना

बेसिल 'बांग्लादेश भारत डिजिटल सेवा और रोज़गार प्रशिक्षण केंद्र' (बीडीसेट) परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें शेख कमाल आईटी प्रशिक्षण और इनक्यूबेशन सेंटर, राजशाही, सिंगरा, खुलना, शेख हसीना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जशोर, ढाका और चटगांव (शेख कमाल आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर, सीयूईटी) में आईसीटी उपकरण और संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल है।

- वियतनाम में सॉफ्टवेयर विकास एवं प्रशिक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

बेसिल ने वियतनाम के हो-ची-मिन्ह शहर में पीटीआईटी में सॉफ्टवेयर विकास एवं प्रशिक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना को क्रियान्वित किया है।

रोज़गार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

- प्रोजेक्ट पंखः ड्रोन तकनीक के माध्यम से भविष्य को सशक्त बनाना

बेसिल ने मध्य प्रदेश के कटनी जिला प्रशासन के सहयोग से 'प्रोजेक्ट पंख' को क्रियान्वित किया है और जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित किया है। इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक स्थायी प्रभाव पैदा करना है। इस परियोजना के तहत, लगभग 500 छात्रों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है।

वित्तीय प्रदर्शन

- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय परिणाम दर्ज किए।
- कंपनी का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,07,399.68 लाख रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,25,564.43 लाख रुपये हो गया है, यानी लगभग 16.90% की वृद्धि। यह कंपनी के 29 वर्षों के सफर में सबसे अधिक टर्नओवर है।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1385.17 लाख रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 405.89 लाख रुपये था, यानी लगभग 241% की वृद्धि।
- कंपनी द्वारा वहन की गई वित्तीय लागत वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 1,018.46 लाख रुपये रह गई है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 1156.56 लाख रुपये थी।

■■■

राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह 2024 के पुरस्कार वितरण समारोह और आईजीओटी लैब और लर्निंग सेंटर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 25 अक्टूबर, 2024 को 'कर्मयोगी सप्ताह' के समापन का जश्न मनाया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन तथा भारत में कोलंबिया गणराज्य के विदेश मामलों के उप मंत्री महामहिम श्री जॉर्ज एनरिक रोजस रोड्रिग्ज 15 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भारत और कोलंबिया के बीच श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान।

6 फिल्म क्षेत्र

फिल्म क्षेत्र से संबंधित सभी मामले जैसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों का आयोजन, फिल्मों का प्रमाणन, फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रदान करना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन सहित फिल्म सामग्री के निर्माण, प्रसार और संरक्षण को बढ़ावा देना आदि का काम फिल्म विंग द्वारा संभाला जाता है।

इस संबंध में, मंत्रालय का दृष्टिकोण मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है ताकि सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रसारित किया जा सके। फिल्म क्षेत्र के संबंध में मंत्रालय का मिशन हैः

- सभी आयु श्रेणी के लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए अच्छे और मूल्य-आधारित सिनेमा को बढ़ावा देना और विकसित करना तथा इसे प्राप्त करने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करना।
- फिल्मों, वीडियो और ऑडियो संसाधनों की अभिलेखीय संपदा को बहाल करना, डिजिटल बनाना, संरक्षित करना और उन तक लोगों की पहुंच बढ़ाना।
- फिल्म महोत्सवों और समारोहों के माध्यम से अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना और फिल्म संस्कृति का प्रचार करना।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) लिमिटेड

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1975 में की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय आर्थिक नीति और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाना, उसे बढ़ावा देना और व्यवस्थित करना था।

भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर, 2020 को 4 फिल्म मीडिया इकाइयों अर्थात् फिल्म प्रभाग (एफडी), फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ), राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) और बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के साथ विलय करने के निर्णय के अनुसरण में, अब सीएफएसआई, एफडी, डीएफएफ और एनएफएआई के सभी कार्यों को एनएफडीसी में विलय कर दिया गया है।

विलय के बाद, एनएफडीसी एक पूर्ण एकीकृत फिल्म विकास निगम बन गया है, जो भारतीय फिल्म पारिस्थितिकी-तंत्र के विकास को सशक्त बनाने और विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों की समृद्ध विरासत के विकास, निर्माण, प्रचार और संरक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है। एनएफडीसी के साथ चार इकाइयों के विलय के बाद, निगम को अनुसूची 'सी' श्रेणी से अनुसूची 'बी' कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विलय से एनएफडीसी को भारतीय फिल्म पारिस्थितिकी-तंत्र में केंद्रीय भूमिका निभाने में मदद मिलेगी।

2. गतिविधियां

क) गोवा में आयोजित महोत्सवों और फिल्म बाज़ार के माध्यम से फिल्मों का प्रचार

- **55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), गोवा 2024**

1952 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई-इफ्फी) दुनिया भर से शानदार फिल्मों का चयन करता रहा है। इसका लक्ष्य महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं, सिनेमा प्रेमियों और उद्योग के पेशेवरों को दुनिया भर के बेहतरीन सिनेमा तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करना है। इफ्फी दक्षिण एशिया का एकमात्र फिल्म महोत्सव है जिसे प्रतिस्पर्धी फीचर फिल्म श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माता संघ (एफआईएपीपी) द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसने फिल्म उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा शॉर्टलिस्ट की गई वर्ष की अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को प्रदर्शित करके कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होकर अपना कद ऊंचा रखा है। 2004 से, इफ्फी गोवा में अपने स्थायी आयोजन स्थल पर चला गया है।

मुख्य विशेषताएं

i) प्रविष्टियां: दुनिया भर के 114 देशों से 1,811 प्रविष्टियां

ii) लाइन अप: 81 देशों से कुल 278 फिल्में, जिनमें 94 भारतीय और 182 विदेशी फिल्में शामिल हैं

iii) इस महोत्सव में 16 विश्व प्रीमियर, 3 अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर, 44 एशिया प्रीमियर और 103 भारतीय प्रीमियर हुए।

गोवा में 55वें इफ्फी के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू तथा अन्य प्रमुख हस्तियां।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय फिल्म उद्योग के लिए इफ्फी के महत्व पर जोर देते हुए एक वीडियो संदेश दिया। उन्होंने एक संपन्न कंटेंट क्रिएटर अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के बारे में बात की और गुवाहाटी, कोच्चि तथा इंदौर जैसे शहरों में रचनात्मक केंद्रों के विकेंद्रीकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने 2025 में 'विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)' की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत को कंटेंट निर्माण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

55वें इफ्फी ने 'सबका मनोरंजन' थीम को जारी रखते हुए एक समावेशी सिनेमाई अनुभव का निर्माण किया। समावेशी भागीदार; राज्य दिव्यांगजन आयोग, गोवा और एक्सेसिबिलिटी पार्टनर 'स्वयं' जैसे प्रमुख सहयोगियों के समर्थन से, 55वें इफ्फी ने सिनेमा में समावेशिता के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। इफ्फी के इतिहास में पहली बार, उद्घाटन और समापन समारोह में उसी समय सांकेतिक भाषा द्वारा व्याख्या की गई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि श्रवण बाधित दिव्यांगजन सहित सभी उपस्थित लोग महोत्सव के ऑडियो-विजुअल अनुभव का पूरा आनंद ले सकें।

20 नवंबर, 2025 को गोवा में 55वें इफ्फी के दौरान अभिनेता अभिषेक बनर्जी तथा अभिनेत्री भूमि पेडनेकर उद्घाटन समारोह का संचालन करते हुए।

गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के साथ आयोजित एनएफडीसी फिल्म बाज़ार 2024 ने अपना 18वां संस्करण चिह्नित किया।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) का 55वां संस्करण 20 नवंबर, 2024 को गोवा के तालेगांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भव्यता के साथ शुरू हुआ। नौ दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने श्री श्री रविशंकर (आर्ट ऑफ़ लिविंग के संस्थापक) और महोत्सव के निदेशक श्री शेखर कपूर जैसे विशिष्ट अतिथियों और भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय फिल्म बिरादरी के अन्य गणमान्य व्यक्तियों और सदस्यों की उपस्थिति में किया।

- **फिल्म बाज़ार और स्क्रीनराइटर्स लैब**

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के साथ गोवा में आयोजित एनएफडीसी फिल्म बाज़ार 2024 ने अपने 18वें संस्करण को उल्लेखनीय उपलब्धि और सफलता की कहानियों के साथ चिह्नित किया, जिसने वैश्विक सिनेमाई सहयोग और दक्षिण एशियाई कहानी कहने की कला के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को उजागर किया। फिल्म बाज़ार को 2024 में भारी मात्रा में प्रोजेक्ट सबमिशन मिले, जिसमें व्यूइंग रूम में फिल्मों के 205 आवेदन, सह-निर्माण बाज़ार में फ़ीचर फिल्मों के 21 आवेदन और वेब सीरीज़ के 8 आवेदन शामिल हैं।

इस वर्ष के संस्करण में महत्वपूर्ण विकास हुए, जिसने फिल्म निर्माताओं, प्रोड्यूसरों और उद्योग के पेशेवरों के लिए नए अवसर प्रदान किए, जिसमें दुनिया भर से **2,000 से अधिक** भागीदार उपस्थित थे।

- एनएफडीसी स्क्रीनराइटर्स लैब (एसडब्ल्यूएल) एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पटकथा लेखकों को प्रशंसित अंतरराष्ट्रीय पटकथा और उद्योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपनी पटकथाओं के साथ प्रयोग करने और संभावना तलाशने का अवसर प्रदान करता है। फिल्म बाज़ार के बैनर तले आयोजित यह लैब प्रतिभागियों को वैश्विक उद्योग मानदंडों और प्रथाओं से भी परिचित कराता है। एसडब्ल्यूएल 2024 के लिए कुल प्रविष्टियां 154 थीं, जो पिछले साल की 140 की संख्या से अधिक थी।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 8 अक्टूबर, 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में श्री मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित थे।

ख) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2022 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 8 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस वर्ष श्री मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया।

इस वर्ष के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ प्रमुख विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी में मलयालम फिल्म 'अट्टम (द प्ले)' शामिल है। 'कांतारा' को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला, सूरज आर. बड़जात्या ने 'ऊंचाई (जेनिथ)' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता, ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जबकि नित्या मेनन और मानसी पारेख ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।

हरियाणवी फिल्म 'फौजा' ने निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि गुजराती फिल्म 'कच्छ एक्सप्रेस' ने राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। आयना (मिरर)' सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म रही और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार 'किशोर कुमारः द अल्टीमेट बायोग्राफी' को मिला और दीपक दुआ ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार जीता।

ग) विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)

- 29 दिसंबर, 2024 को 'मन की बात' के 117वें एपिसोड में, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत 2025 में पहली बार 'विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)' की मेजबानी करेगा। 'वेव्स' वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं को नए अवसरों की खोज करने, चुनौतियों का समाधान करने और मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाएगा। प्रधानमंत्री ने भारत के

70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 8 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए।

मनोरंजन और रचनात्मक उद्योग को वैश्विक मंच पर भारत की रचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 'वेव्स' में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले 13 जुलाई, 2024 को आयोजित एक कर्टेन रेजर कार्यक्रम के दौरान, वेव्स की वेबसाइट (https://wavesindia.org/) लॉन्च की गई और शिखर सम्मेलन के ब्रोशर का भी अनावरण किया गया।

- अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, 'वेव्स' ने भारत की संपन्न रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वेव्स बाज़ार, वेव्स पुरस्कार और क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जैसी प्रमुख पहल की हैं, जिसे अक्सर 'ऑरेंज इकोनॉमी' के रूप में जाना जाता है। वेव्स बाज़ार, एक वैश्विक ई-मार्केटप्लेस है जिसका उद्देश्य दुनिया भर के रचनाकारों को फिल्म, टेलीविज़न, संगीत, निर्यात, एनिमेशन और गेमिंग में अवसरों का पता लगाने के लिए जोड़ना है, जो प्रतिभा दिखाने, प्रोजेक्ट पेश करने और वैश्विक सहयोग बनाने के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करता है। वेव्स पुरस्कार फिल्म, विज्ञापन, गेमिंग और नवाचार में उत्कृष्टता का सम्मान करेंगे, रचनात्मक विषयों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देंगे। इसके अतिरिक्त, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (सीआईसी) ने 32 रोमांचक प्रतियोगिताएं शुरू की हैं, जिनमें से 24 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए खुली हैं। ये चुनौतियां कलात्मक अभिव्यक्ति को पोषित करती हैं, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती हैं और वैश्विक जुड़ाव को प्रोत्साहित करती हैं, साथ ही रोज़गार सृजन में भी योगदान देती हैं। अब तक, सीआईसी ने भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ 63 से

अधिक देशों में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों को पंजीकृत किया है।

घ) अंतरराष्ट्रीय प्रचार और विशेष परियोजनाएं

एनएफडीसी के अंतरराष्ट्रीय प्रचार और विशेष परियोजना विभाग ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और बाज़ारों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आधिकारिक भागीदारी को सुगम बनाया :

1. यूरोपीय फिल्म बाज़ार/बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (जर्मनी),
2. हांगकांग फिल्म मार्ट (हांगकांग),
3. मार्चे डू फिल्म/कान्स फिल्म महोत्सव (फ्रांस),
4. एनेसी अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म समारोह और बाज़ार (फ्रांस),
5. मलेशिया अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (मलेशिया),
6. लोकार्नो फिल्म समारोह (स्विट्जरलैंड),
7. वेनिस फिल्म समारोह (इटली),
8. टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (कनाडा),
9. सैन सेबेस्टियन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (स्पेन),
10. बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (दक्षिण कोरिया),
11. मिपकॉम कान्स (फ्रांस),
12. साओ पाउलो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (ब्राजील),
13. टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (जापान),
14. रेड सी अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (सऊदी अरब),
15. फोकस लंदन (यूनाइटेड किंगडम)
16. एशिया टीवी फोरम एंड मार्केट (सिंगापुर)।

ड़) इंडिया सिने हब (आईसीएच)

आईसीएच भारत में शूटिंग करने के इच्छुक विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमति की सुविधा प्रदान करता है, यह प्रोत्साहन आवेदनों की सुविधा भी प्रदान करता है। यह अधिक से अधिक जुड़ाव और पारस्परिक बातचीत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में विभिन्न राज्य सरकारों, प्रमुख केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों, एजेंसियों और प्रमुख व्यापार संघों के साथ मिलकर काम करता है। यह प्रमुख वैश्विक बाज़ारों में भी भाग लेता है। वेबसाइट को नया रूप दिया गया है और अब यह https://indiacinehub.gov.in है।

च) भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी)

एनएमआईसी सिनेमाई विरासत के संरक्षक के रूप में स्थापित है, जो फिल्मों के संरक्षण के लिए अथक प्रयास करता है, एक सदी दीर्घ सिनेमाई यात्रा के सार को संजोता है। एनएमआईसी का अनूठा उद्देश्य भारत की सिनेमाई विरासत के भंडार के रूप में काम करना है, कला के प्रति प्रशंसा को बढ़ावा देना है।

छ) राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई)

एनएफएआई महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है जो फिल्म को कला और ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में संरक्षित करता है जिसे पूरी दुनिया में मान्यता मिली है। एनएफएआई, पुणे का सानिध्य फिल्म निर्माताओं, विद्वानों, शोधकर्ताओं और अन्य फिल्म प्रेमियों के साथ संबंध बनाए रखता है।

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित परियोजना है जिसे नवंबर, 2016 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत की फिल्म विरासत का संरक्षण, परिरक्षण, डिजिटलीकरण और जीर्णोद्धार है। 1 अप्रैल, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक संरक्षण के क्षेत्र में एनएफएएचएम की प्रगति इस प्रकार है:

- फिल्म संग्रह मूल्यांकन परियोजना के तहत, आरएफआईडी आधारित एसेट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का एएमसी भी अगस्त, 2024 में पूरा हो गया है।
- लगभग 20,707 रीलों की निवारक संरक्षण परियोजना और लगभग 97,987 आरएफआईडी टैग की स्थापना और 61,448 रीलों के लीडर सम्मिलन का काम पूरा हो चुका है।
- डिजिटलीकरण परियोजना के तहत, एनएफडीसी-एनएफएआई ने इस अवधि के दौरान 1,366 फिल्मों का डिजिटलीकरण किया है, जिसमें 370 से अधिक फीचर फिल्में हैं।
- एनएफएचएम के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली

परियोजना के अंतर्गत, एनएफडीसी-एनएफएआई ने इस अवधि के दौरान 497 फिल्मों को बहाल किया है, जिसमें 321 फीचर और 176 लघु फिल्में शामिल हैं।

इस वार्षिक अवधि के दौरान एनएफएचएम की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- 15 जून, 2024 से 21 जून, 2024 तक 18वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पांच बहाल की गई फिल्में दिखाई गईं।
- एनएफएचएम के तहत चार बहाल फिल्में नवंबर, 2024 में गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) में भी दिखाई गईं।
- विभिन्न भारतीय फिल्म समारोहों में लगभग 150 स्क्रीनिंग, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 30 से अधिक स्क्रीनिंग और एनएफडीसी-एनएफएआई परिसर में लगभग 25 से अधिक स्क्रीनिंग के लिए सामग्री प्रदान की गई।
- 427 फोटोग्राफ, 1,102 दीवार पोस्टर और 84 गीत पुस्तिकाओं जैसी विभिन्न सामग्रियों को स्कैन और डिजिटाइज़ करना इस कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ज) फिल्मों का निर्माण

निगम 'फिल्मी विषय-वस्तु के विकास, संचार और प्रसार' (डीसीडीएफसी) योजना के तहत भारतीय सिनेमा की विविधता को दर्शाने वाली फीचर फिल्मों, बच्चों की फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण और सह-निर्माण करता है।

निगम के दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कमीशन्ड प्रोडक्शन विभाग है जो सरकार के लिए विज्ञापन संचार का निर्माण करता है और इस अवधि के दौरान विभाग ने अपने विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत लगभग 120 परियोजनाओं के लिए लगभग 90 ग्राहक मंत्रालयों/विभागों को सेवा प्रदान की है।

झ) एनएफडीसी का आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण (2024-2025)

एनएफडीसी में आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य परिचालन दक्षता को बढ़ाना, फिल्म महोत्सव डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और डिजिटल इंडिया विजन के साथ संरेखित डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करना है। इन पहल में ई-ऑफिस मॉड्यूल का कार्यान्वयन, फिल्म से संबंधित ऐप और ईआरपी आदि का विकास शामिल है।

ञ) पूर्वोत्तर सिनेमा के लिए विशेष पहल

एनएफडीसी ने पूर्वोत्तर भाषाओं में **7 फीचर फिल्मों, 4 वृत्तचित्रों और 4 एनिमेटेड** लघु फिल्मों के निर्माण की पहल है।

पूरी की गई परियोजनाएं : 7 फीचर फिल्में, 3 वृत्तचित्र और 4 एनिमेटेड फिल्में सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि और अनूठी कहानियों को उजागर करती हैं।

ट) वितरण

- वितरण विभाग ने वर्ष 2024 के दौरान 108,67398 रुपये का राजस्व अर्जित किया।
- एक उल्लेखनीय उपलब्धि कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (सोनी एंटरटेनमेंट) के साथ 13 मराठी शीर्षकों के लिए समझौता था, जिसमें 10 एनएफडीसी फीचर और बच्चों की 3 फिल्में शामिल हैं, जिन्हें फरवरी, 2024 में औपचारिक रूप दिया गया।
- इसी तरह, इन 10 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (एपिक ऑन) के साथ एक व्यवस्था ने एसवीओडी अधिकारों के लिए गैर-अनन्य आधार पर 60 लाइब्रेरी शीर्षकों को लाइसेंस दिया, जिससे एनएफडीसी के व्यापक सिनेमाई संग्रह की पहुंच में वृद्धि हुई।
- इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उल्लेखनीय सफलता देखी गई। 'जोसेफ सन' का प्रीमियर 25वें शंघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जिसने प्रतिष्ठित स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता और कज़ान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में स्पेशल जूरी मेंशन जीता। 'मुजीब' ने 22वें ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑडियंस अवार्ड जीता, जबकि 'बिबोबिनानो' ने ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव में पहचान बनाई। इसके अलावा, नई दिल्ली में आयोजित 'नदी उत्सव' में 'माजुली' का जश्न मनाया गया, जिसने विविध दर्शकों को पसंद आने वाली फिल्मों को बढ़ावा देने में एनएफडीसी की भूमिका को मजबूत किया।

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे

अवलोकन

भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1960 में की गई थी। 1971 में टेलीविजन विंग को जोड़ने के बाद, संस्थान का नाम बदलकर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) कर दिया गया। अक्टूबर, 1974 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत संस्थान को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया।

एफटीआईआई सोसाइटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति से जुड़ी प्रतिष्ठित हस्तियां, संस्थान के पूर्व छात्र और पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं। संस्थान का संचालन अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया जाता है। संस्थान की शैक्षणिक नीतियां अकादमिक काउंसिल द्वारा तैयार की जाती हैं। वित्त से जुड़े मामलों को स्थायी वित्त समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

संस्थान में दो विंग हैं: फिल्म विंग और टेलीविजन विंग। तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के बाद निर्देशन और पटकथा लेखन, छायांकन, ध्वनि रिकॉर्डिंग और ध्वनि डिजाइन, संपादन और कला निर्देशन तथा उत्पादन डिजाइन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। संस्थान स्क्रीन एक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग (फिल्म, टीवी और वेब सीरीज) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। टेलीविजन पाठ्यक्रमों में टीवी निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक छायांकन, वीडियो संपादन, ध्वनि रिकॉर्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शामिल है। एफटीआईआई ने हाल ही में टीवी विंग के तहत एनिमेशन और वीएफएक्स डिजाइन में तीन वर्षीय पूर्वस्नातक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है।

संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रोडक्शन की कला और तकनीक में पेशेवर शिक्षा और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। इसे भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में अपने योगदान के लिए देश और विदेश दोनों में उत्कृष्टता का केंद्र माना जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, एफटीआईआई नवोदित फिल्म निर्माताओं को कलात्मक अभिव्यक्ति की एक अभिनव भाषा के साथ प्रेरित करने के लिए एक रचनात्मक माहौल प्रदान करता है। अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दौरान और उसके बाद इसके छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह से प्रशंसा मिल रही है।

श्री धीरज सिंह ने एफटीआईआई में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

मुख्य विशेषताएं

- एफटीआईआई ने 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रतियोगिता आयोजित की जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाना और स्मरण करना था। एफटीआईआई, पुणे द्वारा विधिवत गठित जूरी ने उनकी विषयगत और सिनेमाई उत्कृष्टता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार के लिए 3 फिल्मों का चयन किया। 26 जनवरी, 2024 को विजेताओं को उपलब्धि प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

- यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा), पुणे ने 26 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रशासनिक अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटी) के लिए एफटीआईआई का दौरा आयोजित किया था। आगंतुकों ने स्टूडियो, क्लासरूम थिएटर, विभिन्न शैक्षणिक विभागों का दौरा किया और फिल्म निर्माण के पीछे के मूल विचारों को समझा।

- फ्रांस के महामहिम राजदूत श्री थिएरी मथौ ने 31 मई, 2024 को एफटीआईआई का दौरा किया। उनके साथ मुंबई में फ्रांस के महावाणिज्यदूत श्री जीन मार्क सेरे शैलेट और ऑडियो-विजुअल सहचारी सुश्री जूलियट ग्रैंडमोंट भी थे। प्रतिनिधिमंडल ने एफटीआईआई के विभिन्न शैक्षिक विभागों

भारत में फ्रांस के महामहिम राजदूत श्री थिएरी मथौ ने 31 मई, 2024 को एफटीआईआई का दौरा किया।

का दौरा किया और भविष्य के सहयोग पर एफटीआईआई के निदेशक प्रो. संदीप शाहरे के साथ जानकारीपूर्ण बैठक की।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर शिक्षा मंत्रालय ने एफटीआईआई को विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तों को पूरा करने हेतु 28 अगस्त, 2024 को एक आशय-पत्र जारी किया था।
- एफटीआईआई ने 55वें इफ्फी 2024 में भाग लेने वाले पत्रकारों के लिए 18 नवंबर, 2024 को पणजी में एक दिवसीय फिल्म अप्रेसिएशन कार्यशाला आयोजित की थी।

फिल्म समारोहों में भागीदारी

जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान, एफटीआईआई ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से भाग लिया, 35 राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 203 फिल्में प्रस्तुत की। इसके बाद, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) की 77 छात्र फिल्मों को भारत भर में 29 राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में स्क्रीनिंग के लिए सफलतापूर्वक चयनित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एफटीआईआई ने जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 के बीच दुनिया भर के आठ देशों में आयोजित 51 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 246 छात्र फिल्में प्रस्तुत करके अपनी पहुंच का विस्तार किया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 26 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में स्क्रीनिंग के लिए एफटीआईआई की 40 छात्र फिल्मों का चयन हुआ, जिससे इन उभरते फिल्म निर्माताओं को वैश्विक मंच मिला।

एमआईएफएफ 2024, मुंबई में एफटीआईआई छात्रों की भागीदारी– 15-17 जून, 2024 के दौरान मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) में 80 से अधिक एफटीआईआई छात्रों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार

जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान, **11 एफटीआईआई छात्र फिल्मों को भारत भर में आयोजित 5 विभिन्न राष्ट्रीय फिल्म समारोहों** में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

क्र. सं.	महोत्सव	फिल्म का नाम और निर्देशक
1.	'परिदृश्य' लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों का अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, कर्नाटक, (3 और 4 फरवरी, 2024)।	रंजन कुमार द्वारा 'चंपारण मटन' ***छात्र श्रेणी में 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार (फ़लक खान)'***
		अभ्रदीप गांगुली द्वारा 'ए टाइगर टेल, देयरफोर (अतः बाग कथा)' ***छात्र श्रेणी में 'सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार (सोमनाथ मंडल)'***
		लोकेश देशमुख द्वारा 'सी फॉर म्याऊ' ***छात्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ 'निर्माण डिजाइन पुरस्कार'***
		चिदानंद नाइक द्वारा 'सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन्स टू नो' ***छात्र श्रेणी में 'सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार'***

क्र. सं.	महोत्सव	फिल्म का नाम और निर्देशक
2.	सिम्बायोसिस फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण- लघु वृत्तचित्र और फिक्शन फिल्मों के लिए अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, पुणे (27 और 28 जनवरी, 2024)	सौम्यजीत घोष दस्तीदार द्वारा 'फ्लावरिंग मैन' ***शॉर्ट फिक्शन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार***
		साईनाथ उस्काइकर द्वारा 'कोन्सो (हमारा कोना)' ***शॉर्ट फिक्शन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिक्शन फिल्म का दूसरा पुरस्कार***
3.	14वां बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव 2024 (बीआईएस एफएफ 2024) 8-18 अगस्त, 2024	चिदानंद नाइक द्वारा 'सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन्स टू नो' ***सर्वश्रेष्ठ फिल्म - भारतीय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार***
		विश्वास के. द्वारा 'वाटरमैन' ***कन्नड़ श्रेणी में प्रथम उपविजेता***
4.	16वां आईडीएसएफएफके (केरल का अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फिल्म महोत्सव) 26-31 जुलाई, 2024	विश्वास के. द्वारा 'वाटरमैन' ***शॉर्ट फिक्शन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार***
		सौम्यजीत घोष दस्तीदार द्वारा 'फ्लावरिंग मैन' - ***जूरी पुरस्कार***
5.	7वां अल्पविराम अंतरराष्ट्रीय युवा फिल्म महोत्सव 2024 - एनआईडी अहमदाबाद, 15-19 अक्टूबर, 2024	निखिल शिंदे द्वारा 'डंप यार्ड' - ***सिल्वर कॉमा पुरस्कार***

अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार

जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 तक की अवधि के दौरान, **एफटीआईआई छात्र फिल्मों** को दुनिया भर में आयोजित **6 अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों** में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

क्र. सं.	महोत्सव	फिल्म का नाम और निर्देशक
1.	ला सिनेफ़ - फ़ेस्टिवल डे कान्स का 77 वां संस्करण, फ्रांस, 14-25 मई, 2024	चिदानंद नाइक द्वारा 'सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन्स टू नो' - ***प्रथम पुरस्कार***
2.	अमिरानी त्बिलिसी अंतरराष्ट्रीय छात्र फिल्म महोत्सव 2024, जॉर्जिया, 2-7 जुलाई, 2024	सौम्यजीत घोष द्वारा 'फ्लावरिंग मैन' - ***छात्र जूरी पुरस्कार***
3.	24वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म स्कूल महोत्सव - उरुग्वे, 13-16 अगस्त, 2024	फ्लावरिंग मैन - ***छात्र जूरी पुरस्कार*** सौम्यजीत घोष द्वारा 'फ्लावरिंग मैन' - ***छात्र जूरी पुरस्कार***
4.	23वां इमेजिन इंडिया अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मैड्रिड, स्पेन, 1-16 सितंबर, 2024	चिदानंद नाइक द्वारा 'सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन्स टू नो' - ***सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्कूल फिल्म***
5.	चौथा ग्रीस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 28-29 सितंबर, 2024	चिदानंद नाइक द्वारा 'सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन्स टू नो' – ***सर्वश्रेष्ठ प्रथम-समय फिल्म निर्माता***
6.	अंतरराष्ट्रीय छात्र फिल्म महोत्सव 'पीटरकिट', सेंट पीटर्सबर्ग, रूसी संघ, 22 - 26 नवंबर, 2024	'लॉस्ट इन टेलीपोर्टेशन' - ***सर्वश्रेष्ठ फीचर-लघु फिल्म***

छात्र विनिमय कार्यक्रम

ला फेमिस विनिमय कार्यक्रम – ला फेमिस, पेरिस (फ्रांस) ने अपने प्रोडक्शन डिजाइन संकाय से 4 छात्रों को एफटीआईआई में 4 से 27 जनवरी, 2024 तक एफटीआईआई के आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइन विभाग के साथ काम करने के लिए एक्सचेंज के तहत भेजा था और एफटीआईआई ने 2019 आर्ट डायरेक्शन प्रोडक्शन डिजाइन बैच से 2 छात्रों को 11 मार्च से 5 अप्रैल, 2024 तक ला फेमिस, पेरिस भेजा था।

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता

अवलोकन

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1995 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत किया गया था। कोलकाता में स्थित और महान फिल्मकार सत्यजीत रे के नाम पर स्थापित एसआरएफटीआई फिल्म और टेलीविजन निर्माण की कला तथा तकनीक में उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा व तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है।

संस्थान फिल्मों में 6 विशेषज्ञताओं में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। ये हैं – (1) निर्देशन और पटकथा लेखन, (2) छायांकन, (3) संपादन, (4) ध्वनि रिकॉर्डिंग और डिजाइन, (5) फिल्म और टेलीविजन के लिए निर्माण और (6) एनिमेशन सिनेमा। यह संस्थान 6 विशेषज्ञताओं में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया (ईडीएम) में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करता है – (1) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्रबंधन, (2) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए छायांकन, (3) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए लेखन, (4) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए निर्देशन और निर्माण, (5) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए संपादन और (6) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए ध्वनि।

मुख्य विशेषताएं

'आर्क्यूरिया 2024', जो आर्काइविंग, क्यूरेशन, रेस्टोरेशन पर एक प्रमुख कार्यक्रम है, यह सिनेमाई विरासत को संरक्षित करने में एसआरएफटीआई के नेतृत्व को रेखांकित करता है, 16 मार्च से 22 मार्च, 2024 तक आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शैक्षणिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का एक विविध मिश्रण प्रदर्शित किया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू 'आर्क्यूरिया 2024' में श्रोताओं को संबोधित करते हुए।

- प्रमोद पति सिनेमा कला और प्रौद्योगिकी संग्रहालय के उद्घाटन से एसआरएफटीआई के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह संग्रहालय एनालॉग फिल्म निर्माण उपकरण और यादगार वस्तुओं के भंडार के रूप में कार्य करता है, जो छात्रों और शोधकर्ताओं दोनों को सिनेमा में तकनीकी प्रगति का अध्ययन करने के लिए एक अमूल्य संसाधन प्रदान करता है।
- एसआरएफटीआई ने एफटीआई, अरुणाचल प्रदेश में तीन ऑनलाइन पीजी पाठ्यक्रम अर्थात् स्क्रीन एक्टिंग, स्क्रीनराइटिंग और डॉक्यूमेंट्री सिनेमा शुरू किए हैं। एफटीआई, अरुणाचल प्रदेश में ऑफ़लाइन कक्षाएं जल्द ही शुरू करने का प्रस्ताव है।
- संस्थान ने कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया और सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए क्लाउड-आधारित डेटा स्टोरेज की शुरुआत की।
- एसआरएफटीआई भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), 2024 के मास्टरक्लास और इन-कन्वर्सेशन सेक्शन के विचार और क्रियान्वयन में लगा हुआ था। ए.आर. रहमान, मनोज बाजपेयी, विधु विनोद चोपड़ा, मणिरत्नम, अनुपम खेर, मनीषा कोइराला और रणबीर कपूर जैसे दिग्गजों ने देश और विदेश के फिल्म प्रेमियों के साथ आकर्षक सत्र आयोजित किए।
- एसआरएफटीआई ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने और एक गतिशील सिनेमा शिक्षा प्रणाली की मांगों को पूरा करने के

लिए बुनियादी ढांचे (क्लासरूम थिएटर, आदि) को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इन पहल के साथ, एसआरएफटीआई फिल्म और टेलीविजन शिक्षा में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर शिक्षा मंत्रालय ने विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तों को पूरा करने हेतु 28 अगस्त, 2024 को एसआरएफटीआई को आशय-पत्र जारी किया था।

फिल्म समारोहों में भागीदारी और पुरस्कार

फिल्म का शीर्षक	फिल्म का प्रकार	पुरस्कार/महोत्सव
द गर्ल हू लिव्ड इन द लू	एनिमेशन	बर्लिनाले फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन, जर्मनी में भागीदारी (15 -25 फरवरी, 2024)
अपार	फिक्शन	मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मुंबई में भागीदारी (15 - 21 जून, 2024)
गुलमोहर	फिक्शन	मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मुंबई में भागीदारी (15 - 21 जून, 2024)
हेलो गाईज	डॉक्यूमेंट्री	भारतीय फिल्म फेस्टिवल, भुवनेश्वर में भागीदारी (26 से 27 सितंबर, 2024) काठमांडू, नेपाल में फिल्म साउथ एशिया, 2024 में सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म (21-24 नवंबर, 2024)
नवाबी शौक	डॉक्यूमेंट्री	7वें अल्पविराम इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल, एनआईडी, अहमदाबाद में भागीदारी (15 - 19 अक्टूबर, 2024
मोनिहारा	फिक्शन	55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई), गोवा, भारत में भागीदारी (20-28 नवंबर, 2024)
आही	फिक्शन	वन शॉट टेरासा सिटी ऑफ फिल्म, टेरासा, स्पेन में भागीदारी (27-29 नवंबर, 2024) अंतरराष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, कुआलालंपुर, मलेशिया में भागीदारी
सुजंस डोंट लिव हियर एनीमोर	फिक्शन	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कोलकाता, भारत में भागीदारी (5-12 दिसंबर, 2024)
मृग तृष्णा	फिक्शन	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कोलकाता, भारत में भागीदारी (5-12 दिसंबर, 2024)
बेलेघाटा टू सियालदाह	डॉक्यूमेंट्री	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कोलकाता, भारत में भागीदारी (5 - 12 दिसंबर, 2024))
ऑरेंज इन माई बैकयार्ड	डॉक्यूमेंट्री	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कोलकाता, भारत में भागीदारी (5 - 12 दिसंबर, 2024)
बेहेरोपियो	फिक्शन	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कोलकाता, भारत में भागीदारी (5 - 12 दिसंबर, 2024)

फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास और फिल्म एवं टेलीविजन के क्षेत्र में पूर्वोत्तर के युवाओं में प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहल के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश में एक फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अरुणाचल प्रदेश में एफटीआई के निर्माण कार्य को पूरा करने का काम सौंपा गया है। एफटीआई, अरुणाचल प्रदेश की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 9 फरवरी, 2019 को रखी गई थी। ईटानगर में एक अस्थायी परिसर शुरू किया गया है, जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों को आधारभूत पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।

एसआरएफटीआई ने इस शैक्षणिक सत्र के लिए 14 नवंबर, 2024 से एफटीआई, अरुणाचल प्रदेश में पीजी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं।

अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट एफटीआई में प्रमाण-पत्र समारोह आयोजित किया गया।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यह कला के सबसे व्यापक रूप से सराहे जाने वाला और लोकतांत्रिक रूप हैं। फिल्में जनमत को आकार देने और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश में फीचर फिल्मों का निर्माण ज्यादातर निजी क्षेत्र में होता है।

हमारा संविधान मौलिक अधिकार के रूप में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाता है। ये प्रतिबंध "भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता तथा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में" लगाए गए हैं। संविधान के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने में बोर्ड के मार्गदर्शन के लिए बुनियादी सिद्धांत सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5 बी (2) के तहत निर्देश (दिशा-निर्देश) जारी किए गए हैं, जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों की उपयुक्तता निर्धारित करने के सिद्धांतों को और विस्तार से निर्धारित करते हैं।

सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई है। बोर्ड में गैर-आधिकारिक सदस्य और एक अध्यक्ष (जिनमें से सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं) होते हैं। मंत्रालय की 11 अगस्त, 2017 की अधिसूचना के अनुसार नियुक्त वर्तमान बोर्ड में 10 गैर-आधिकारिक सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष पुरस्कार विजेता लेखक, प्रसिद्ध गीतकार, कवि पटकथा लेखक और विज्ञापन तथा संचार के क्षेत्र में अग्रणी श्री प्रसून जोशी हैं।

बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, दिल्ली, कटक, गुवाहाटी में हैं और चंडीगढ़ में एक फिल्म सुविधा कार्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व क्षेत्रीय अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी करते हैं और फिल्मों की जांच में सलाहकार पैनलों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। बोर्ड और सलाहकार पैनल के सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता, गृहिणियां, फिल्मी हस्तियां, डॉक्टर, पत्रकार आदि जैसे सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।

अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली फिल्मों को 'यू' प्रमाण-पत्र दिया जाता है। ऐसी फिल्में जो अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन उनमें

कुछ ऐसी सामग्री है जिसके लिए बच्चों को माता-पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उन्हें मार्कर (चेतावनी) के साथ 'यूए' प्रमाण-पत्र दिया जाता है। 'यूए' प्रमाण-पत्र तीन मार्करों के साथ दिए जाते हैं, यानी 'यूए7+', 'यूए13+' तथा 'यूए16+' और इस संबंध में माता-पिता को सावधान किया जाता है। ऐसी फिल्में जो गैर-वयस्कों के लिए प्रदर्शन हेतु अनुपयुक्त पाई जाती है लेकिन वयस्कों के लिए उपयुक्त होती है, उन्हें 'ए' प्रमाण-पत्र दिया जाता है । ऐसी फिल्में जो आम जनता के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है, लेकिन विशेष दर्शकों जैसे कि डॉक्टरों आदि के लिए प्रदर्शन हेतु उपयुक्त होती हैं, उन्हें 'एस' प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

फिल्मों का प्रमाणन

भारत दुनिया के प्रमुख फिल्म-निर्माता देशों में से एक है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान फिल्मों का प्रमाणन, देश भर में फिल्म निर्माण गतिविधियों में सुधार का संकेत देता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड ने 31 जनवरी, 2025 तक कुल **13,517** प्रमाण-पत्र जारी किए, जिनमें से **4,018** प्रमाण-पत्र वीडियो फिल्मों के लिए और **9,499** प्रमाण-पत्र डिजिटल फिल्मों के लिए जारी किए गए। प्रमाणित फिल्मों का प्रमाण-पत्रवार और श्रेणीवार विवरण दर्शाने वाला समेकित विवरण आगे दिया गया है-

	2022-23	2023-24	2024-25 (जनवरी, 2025 तक)
भारतीय दीर्घ फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	3847	3476	2986
विदेशी दीर्घ फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	619	472	532
भारतीय लघु फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	13132	12805	9551
विदेशी लघु फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	472	678	448
कुल	**18070**	**17431**	**13517**

बोर्ड द्वारा 1-4-2024 से 31-1-2025 तक प्रमाणित फिल्मों का समेकित विवरण

अ-वीडियो								
	यू	**यू ***	**यूए**	**यूए ***	**ए**	**ए ***	**एस**	**कुल**
भारतीय फीचर फिल्में	95	56	239	425	5	3	0	823
विदेशी फीचर फिल्में	25	14	139	175	4	1	0	358
भारतीय लघु फिल्में	1492	67	995	133	40	2	0	2729
विदेशी लघु फिल्में	28	0	70	10	0	0	0	108
कुल (अ)	**1640**	**137**	**1443**	**743**	**49**	**6**	**0**	**4018**
ब-डिजिटल								
	यू	**यू ***	**यूए**	**यूए ***	**ए**	**ए ***	**एस**	**कुल**
भारतीय फीचर फिल्में	281	215	433	1035	37	162	0	2163
विदेशी फीचर फिल्में	35	2	49	24	37	27	0	174
भारतीय लघु फिल्में	5140	60	1417	159	33	13	0	6822
विदेशी लघु फिल्में	92	1	205	11	28	3	0	340
कुल (ब)	**5548**	**278**	**2104**	**1229**	**135**	**205**	**0**	**9499**
कुल योग (अ + ब)	**7188**	**415**	**3547**	**1972**	**184**	**211**	**0**	**13517**

*कटौतियों के साथ

ई-सिनेप्रमानः व्यवस्था में सुधार

सीबीएफसी द्वारा फिल्म निर्माताओं/आवेदकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई पहल और व्यवस्थित सुधार किए गए। सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 को 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया, जिसमें यूए मार्कर, प्राथमिकता स्क्रीनिंग की अवधारणा पेश की गई और प्रमाणन प्रक्रिया में कई बदलाव भी किए गए। संशोधित नियमों और अन्य परिवर्तनों में पेश किए गए बदलावों को पूरा करने के लिए, ई-सिनेप्रमान पोर्टल में कई नई पहल की गई हैं। प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैः

i. **प्राथमिकता स्क्रीनिंग**- प्राथमिकता स्क्रीनिंग की एक प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें कोई आवेदक आवेदन के 5 दिनों के भीतर शुल्क का तीन गुना देकर अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग का अनुरोध कर सकता है।

ii. **यूए मार्कर**- 'यूए' फिल्मों को अब 'यूए7+', 'यूए13+' और 'यूए16+' श्रेणियों में चिह्नित किया गया है ताकि फिल्म देखने जाने से पहले फिल्म देखने वालों और उनके माता-पिता को मार्करों (चेतावनी) के माध्यम से बेहतर समझ के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिल सके।

iii. **पहुंच मानक** - श्रवण और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा थिएटरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में पहुंच मानकों के दिशा-निर्देशों द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार 15 मार्च, 2024 को अधिसूचना जारी की गई और पहुंच मानकों का मॉड्यूल 15 सितंबर, 2024 से ई-सिनेप्रमान पोर्टल पर ऑनलाइन किया गया है। अब एक से अधिक भाषाओं में बनने वाली सभी फिल्मों को एडी और सीसी फाइलों के साथ प्रमाणित कराना होगा। फिल्म देखने वाले दिव्यांगजन इन फाइलों को कुछ ऐप्स पर डाउनलोड कर सकते हैं और इस सुविधा के साथ फिल्म का बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

iv. **लोक सेवा जागरुकता (पीएसए) फिल्म** - यह मॉड्यूल नेविगेट पोर्टल पर विकसित किया गया है और यह सिनेमा थिएटरों को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने में मदद करता है जिसके बाद वे पीएसए फिल्में डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्मों को उस स्थान और अवधि के साथ टैग किया जाता है जिसके लिए उन्हें प्रदर्शित किया जाना है। इससे न केवल सिनेमा थिएटरों के लिए व्यापार में आसानी होगी बल्कि उन्हें समय पर पीएसए फिल्में भी मिल सकेंगी।

v. उपरोक्त के अलावा, जीएसटी मॉड्यूल, क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी डब फिल्म, चंडीगढ़ सुविधा केंद्र मॉड्यूल, सामग्री की ऑनलाइन डिलिवरी मॉड्यूल, सलाहकार पैनल के सदस्यों का स्वचालित चयन और डुप्लिकेट फिल्मों के लिए रेड फ्लैग मॉड्यूल जैसे कई अन्य विकास या तो लाइव किए गए हैं या लाइव होने की प्रक्रिया में हैं।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम

i. **13 जून, 2024** को नेपाल के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए सार्थक चर्चा।

ii. **8 जुलाई, 2024** को विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्मुख आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए मुख्यालय में सीबीएफसी क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक।

iii. दिल्ली और चेन्नई में क्रमशः 28 अगस्त, 2024 और 29 अगस्त, 2024 को सुगम्यता मानकों पर वेबिनार आयोजित किये गए। इसके अलावा, 30 अगस्त, 2024 को हैदराबाद में प्रमुख हितधारकों, फिल्म संघों, प्रोडक्शन हाउस, सिनेमा प्रदर्शकों और सुगम्यता विशेषज्ञों के साथ "श्रवण और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा थिएटरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में सुगम्यता मानकों के लिए दिशा-निर्देश" को प्रचारित करने के लिए एक वेबिनार/कार्यशाला आयोजित की गई।

iv. चंडीगढ़, गुवाहाटी और तिरुअनंतपुरम में 30 अगस्त, 2024 को तथा बेंगलुरु में 31 अगस्त, 2024 को सुगम्यता मानक वेबिनार भी आयोजित किए गए।

v. **9 नवंबर, 2024** को चेन्नई में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन की अध्यक्षता में प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं के साथ बैठक-सह-बातचीत।

vi. सीबीएफसी के नवनियुक्त सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए सीबीएफसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यशाला-सह-अभिविन्यास आयोजित किए गए।

शिकायतें/चिंताएं

सीबीएफसी को फिल्मों के प्रमाणन के खिलाफ जनता से चिंताएं/शिकायतें प्राप्त हुईं और ये शिकायतें मुख्य रूप से अश्लीलता, धर्म, स्क्रीन पर हिंसा आदि के विषय से संबंधित थीं। इनमें से अधिकांश शिकायतें सामान्य प्रकृति की थीं और प्रमाणन की प्रक्रिया में उनकी योग्यता के आधार पर उनका विधिवत निपटारा किया गया।

विभिन्न मीडिया इकाइयों द्वारा लागू किए गए न्यायालय के आदेश

न्यायालय का आदेश - नवंबर, 2024 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य पहुंच मानकों को स्थापित करने का आदेश दिया। निर्णय ने पहुंच की मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की। उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने केंद्र सरकार को दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया।

कार्यान्वयन- उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले, मंत्रालय ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के अनुसरण में 15 मार्च, 2024 को "श्रवण और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा थिएटरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में पहुंच मानकों के दिशा-निर्देश" अधिसूचित किए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार सीबीएफसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि –

क. सभी फीचर फिल्में जिन्हें एक से अधिक भाषाओं में प्रमाणित किया जाना है, उन्हें इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से 6 महीने के भीतर श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए कम से कम एक एक्सेसिबिलिटी फीचर, यानी सीसी (क्लोज्ड कैप्शनिंग)/ओसी (ऑडियो विवरण) और एडी (ओपन कैप्शनिंग) प्रदान करना आवश्यक होगा।

ख. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों और भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा के भारतीय पैनोरमा खंड और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्य फिल्म समारोहों में प्रस्तुत की जाने वाली फीचर फिल्मों में 1 जनवरी, 2025 से अनिवार्य रूप से क्लोज्ड कैप्शनिंग और ऑडियो विवरण शामिल करना होगा।

ग. टीज़र और ट्रेलर सहित सीबीएफसी के माध्यम से प्रमाणित की जा रही और थिएटर रिलीज़ (डिजिटल फीचर फिल्में) के लिए बनाई गई सभी अन्य फीचर फिल्मों को इन दिशा-निर्देशों के जारी होने की तारीख से 2 साल के भीतर सीसी/ओसी और एडी के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर अनिवार्य रूप से प्रदान करना आवश्यक होगा।

सीबीएफसी द्वारा कार्रवाई- उपरोक्त के अनुसरण में, सीबीएफसी ने ई-सिनेप्रमान पोर्टल में एक प्रावधान किया है, जिसके तहत 15 सितंबर, 2024 से एक से अधिक भाषाओं में प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक फिल्म के लिए एडी/सीसी फाइलें अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

राजस्व सृजन

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को प्रमाणन शुल्क/प्रभार के रूप में राजस्व प्राप्त होता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान एकत्रित राजस्व का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	अवधि	राजस्व संग्रह (रुपये में)
1.	वित्तीय वर्ष 2020-21	**8,40,92,178**
2.	वित्तीय वर्ष 2021-22	**12,21,40,116**
3.	वित्तीय वर्ष 2022-23	**14,95,52,543**
4.	वित्तीय वर्ष 2023-24	**15,29,94,177**
5.	वित्तीय वर्ष 2024-25 (31 जनवरी, 2025 तक)	**13,68,44,524**

महत्वपूर्ण संचार/आदेश

i) विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 4 अगस्त, 2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन किया जिसे सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाता है।

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत, भारत सरकार ने 'यूए' प्रमाण-पत्र के तहत नए आयु-आधारित संकेतक/मार्कर पेश किए हैं और नए 'यूए मार्कर' को 'यूए 7+' या 'यूए 13+' या 'यूए 16+' कहा जाता है।

ii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 15 मार्च, 2024 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के स्थान पर सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया।

iii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 7 जून, 2024 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सिनेमैटोग्राफ (दंड का अधिनिर्णय) नियम, 2024 को अधिसूचित किया।

iv) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 3 नवंबर, 2023 को आदेश संख्या एम-11017/1/2023-डीओ(एफसी) के माध्यम से आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत सीबीएफसी के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत निषिद्ध गैरकानूनी सूचना के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3(1)(डी) के साथ पढ़ें।

v) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी डब फिल्मों के प्रमाणन की अवधि के विस्तार के संबंध में दिनांक 9 मई, 2024 को एक महत्वपूर्ण संचार संख्या 1/2024 जारी की गई थी, जहां फिल्म का मूल संस्करण प्रमाणित है।

vi) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी डब फिल्मों के आवेदन और प्रमाणन की अवधि के आगे विस्तार के संबंध में दिनांक 14 नवंबर, 2024 को एक महत्वपूर्ण संचार संख्या 2/2024 जारी की गई , जहां फिल्म का मूल संस्करण प्रमाणित है।

1-4-2024 से 31-1-2025 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों को दर्शाने वाला समेकित विवरण

भारत सरकार द्वारा जारी 4 अगस्त, 2023 और 15 मार्च, 2024 के राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार, जिसमें 'यूए' श्रेणी के अंतर्गत नए आयु-आधारित मार्कर पेश किए गए थे, सीबीएफसी ने ई-सिनेप्रमान पोर्टल में व्यवस्थित संवर्द्धन लागू किया। परिणामस्वरूप, 25 अक्टूबर, 2024 से, सीबीएफसी ने अद्यतन आयु-आधारित मार्करों/संकेतकों के साथ 'यूए' श्रेणी प्रमाण-पत्रों की संस्तुति और जारी करना शुरू कर दिया। तदनुसार, 'यूए' श्रेणी के तहत नए आयु-आधारित मार्करों सहित 1 अप्रैल, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों को दर्शाने वाला समेकित विवरण नीचे दिया गया है-

अ-वीडियो							
	ए	यू	यूए	यूए 13+	यूए 16+	यूए 7+	कुल
भारतीय दीर्घ फीचर फिल्म	8	151	458	120	72	14	**823**
विदेशी दीर्घ फीचर फिल्म	5	39	199	54	56	5	**358**
भारतीय लघु फिल्म	42	1559	748	223	108	49	**2729**
विदेशी लघु फिल्म	-	28	61	2	15	2	**108**
कुल (अ)	**55**	**1777**	**1466**	**399**	**251**	**70**	**4018**

ब-डिजिटल							
	ए	यू	यूए	यूए 13+	यूए 16+	यूए 7+	कुल
भारतीय दीर्घ फीचर फिल्म	199	496	984	226	218	40	**2163**
विदेशी दीर्घ फीचर फिल्म	64	37	52	9	11	1	**174**
भारतीय लघु फिल्म	46	5200	971	352	157	96	**6822**
विदेशी लघु फिल्म	31	93	154	24	29	9	**340**
कुल(अ)	**340**	**5826**	**2161**	**611**	**415**	**146**	**9499**
कुल योग(अ+ब)	**395**	**7603**	**3627**	**1010**	**666**	**216**	**13517**

1-4-2024 से 31-1-2025 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय दीर्घ (फीचर-लंबाई) फिल्मों को दर्शाने वाला समेकित विवरण

क्षेत्रवार - भाषावार (डिजिटल)

क्र.सं.	भाषा/क्षेत्र	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलुरु	हैदराबाद	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1.	तेलुगु	11	33	–	8	237	9	1	–	–	**299**
2.	हिंदी	210	13	12	5	18	8	27	1	1	**295**
3.	कन्नड़	5	6	–	249	16	7	–	–	–	**283**
4.	तमिल	8	233	1	5	20	6	–	–	–	**273**
5.	मलयालम	4	5	–	3	11	201	–	–	–	**224**
6.	भोजपुरी	147	–	1	–	–	–	32	–	–	**180**
7.	गुजराती	113	–	–	–	–	–	3	–	–	**116**
8.	मराठी	109	–	–	–	–	–	–	–	–	**109**
9.	बांग्ला	2	–	102	–	1	–	–	–	–	**105**
10.	पंजाबी	17	–	–	–	–	–	35	–	–	**52**
11.	ओडिया	1	–	–	–	–	–	–	47	–	**48**
12.	असमिया	1	–	–	–	–	–	–	–	30	**31**
13.	छत्तीसगढ़ी	8	–	–	–	–	–	14	4	–	**26**

क्र.सं.	भाषा/क्षेत्र	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलुरु	हैदराबाद	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
14.	मणिपुरी	–	–	–	–	–	–	–	–	22	**22**
15.	अंग्रेजी	7	–	2	3	2	3	–	–	–	**17**
16.	राजस्थानी	9	–	–	–	–	–	3	–	–	**12**
17.	गढ़वाली	1	–	–	–	–	–	10	–	–	**11**
18.	तुलु	–	–	–	8	–	–	–	–	–	**8**
19.	कोंकणी	5	–	–	3	–	–	–	–	–	**8**
20.	खासी	–	–	–	–	–	–	–	–	7	**7**
21.	बोडो	–	–	–	–	–	–	–	–	5	**5**
22.	नागपुरी	2	–	2	–	–	–	–	–	–	**4**
23.	सिंधी	4	–	–	–	–	–	–	–	–	**4**
24.	सादरी	–	–	2	–	–	–	–	–	1	**3**
25.	मूक	1	–	–	–	–	–	–	1	–	**2**
26.	मिसिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	2	**2**
27.	अवधी	–	–	–	–	–	–	2	–	–	**2**
28.	बंजारा	–	–	–	1	1	–	–	–	–	**2**
29.	भागेली	1	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**
30.	गालो	–	–	–	–	–	–	–	–	1	**1**
31.	हरियाणवी	–	–	–	–	–	–	1	–	–	**1**
32.	जौनसारी	–	–	–	–	–	–	1	–	–	**1**
33.	कोडवा	–	–	–	1	–	–	–	–	–	**1**
34.	कश्मीरी	–	–	–	–	–	–	1	–	–	**1**
35.	मगही	1	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**
36.	मैथिली	–	–	–	–	–	–	1	–	–	**1**
37.	रोंगमेई	–	–	–	–	–	–	–	–	1	**1**

क्र.सं.	भाषा/क्षेत्र	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलुरु	हैदराबाद	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
38.	संस्कृत	–	–	–	–	–	1	–	–	–	**1**
39.	संथाली	–	–	1	–	–	–	–	–	–	**1**
40.	नेपाली	–	–	1	–	–	–	–	–	–	**1**
41.	उत्तराखंडी	–	–		–	–	–	1	–	–	**1**
		667	**290**	**124**	**286**	**306**	**235**	**132**	**53**	**70**	**2163**

1-4-2024 से 31-1-2025 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय दीर्घ (फीचर-लंबाई) फिल्मों को दर्शाने वाला समेकित विवरण

क्षेत्रवार – भाषावार (वीडियो)

क्र.सं.	भाषा/क्षेत्र	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलुरु	हैदराबाद	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1.	हिंदी	118	21	1	23	27	4	10	–	–	**204**
2.	तमिल	6	15	–	59	70	52	–	–	–	**202**
3.	मलयालम	4	39	–	6	40	7	–	–	–	**96**
4.	कन्नड़	3	28	–	15	39	5	–	–	–	**90**
5.	तेलुगु	5	38	1	5	25	11	–	–	–	**85**
6.	बांग्ला	7	5	49	–	–	–	–	–	–	**61**
7.	भोजपुरी	18	–	–	–	–	–	–	–	–	**18**
8.	ओडिया	1	–	–	1	–	–	–	16	–	**18**
9.	हिंदुस्तानी	9	3	–	–	1	–	–	–	–	**13**
10.	गुजराती	12	–	–	–	–	–	–	–	–	**12**
11.	पंजाबी	2	–	–	–	–	–	9	–	–	**11**
12.	मराठी	2	3	–	–	–	–	–	–	–	**5**
13.	अंग्रेजी	1	–	–	2	–	–	–	–	–	**3**

क्र.सं.	भाषा/क्षेत्र	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलुरु	हैदराबाद	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
14.	उर्दू	2	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**
15.	हरियाणवी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**
16.	कुल्लवी	–	–	–	–	–	–	1	–	–	**1**
17.	कुमाउनी	–	–	–	–	–	–	1	–	–	**1**
	कुल योग	**191**	**152**	**51**	**111**	**202**	**79**	**21**	**16**	**0**	**823**

बोर्ड का वित्त

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है। हालांकि, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बोर्ड को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में माना जाता है।

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 में दिए गए मानदंडों के अनुसार प्रमाणन शुल्क के संग्रह के माध्यम से बोर्ड का राजस्व प्राप्त होता है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई फिल्मों की स्क्रीनिंग के संबंध में प्रोजेक्शन शुल्क भी लगाता है। **1 अप्रैल, 2024 से 31 जनवरी, 2025** की अवधि के दौरान उपार्जित कुल आय **13,68,44,524/- रुपये (जीएसटी सहित) है।** एकत्रित राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। बोर्ड इस संबंध में कोई बैंक खाता संचालित नहीं करता है।

■■■

'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के हिस्से के रूप में आकाशवाणी द्वारा बड़े पैमाने पर निवारक स्वास्थ्य जांच शिविर, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और योग प्रशिक्षण सत्र का आयोजन।

7 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

विदेश दौरे:

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी श्री मंदार किशोर देशपांडे ने टीवी 9 नेटवर्क द्वारा आयोजित 'न्यूज 9 ग्लोबल समिट' में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने के लिए 21 से 22 नवंबर, 2024 तक स्टटगार्ट, जर्मनी का दौरा किया। शिखर सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों पक्षों के राजनीति, व्यापार, नागरिक समाज, खेल और मनोरंजन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों को एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने शिखर सम्मेलन में 'भारत और जर्मनीः सतत विकास के लिए रोडमैप' पर एक संबोधन दिया।

विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा:

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कोरिया गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल के बीच 22 नवंबर, 2024 को बातचीत हुई। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ग्योंगगी प्रांत के प्रशासनिक मामलों के प्रथम उप-राज्यपाल महामहिम श्री किम सेओंगजंग ने किया। उनके साथ दक्षिण कोरिया के प्रमुख टेलीविजन और रेडियो प्रसारक मुन्हवा ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एमबीसी) के सीईओ/का नाम किम जोंग-गुक भी थे। श्री सी. सेंथिल राजन, संयुक्त सचिव (आईपी एंड

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 'न्यूज़9 ग्लोबल समिट' में मुख्य भाषण दिया।

श्री सी. सेंथिल राजन, संयुक्त सचिव (आईपी एंड ए) के नेतृत्व में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए।

ए) के नेतृत्व में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया, दृश्य-श्रव्य और सामग्री साझा करने के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर दक्षिण कोरियाई पक्ष के साथ बातचीत की।

2. भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त सुश्री लिंडी कैमरून ने 23 अगस्त, 2024 को सचिव (सूचना एवं प्रसारण) से शिष्टाचार भेंट की।

भारत को जानिए कार्यक्रम:

'भारत को जानिए कार्यक्रम' विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन सप्ताह का उन्मुखीकरण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 18-30 वर्ष की आयु के युवा भारतीय प्रवासियों में अपनी मातृभूमि से जुड़ाव की भावना जागृत करना तथा भारतीय मूल के (पीआईओ) युवाओं को संस्कृति, अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान और तकनीक आदि के क्षेत्रों में भारत में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों से अवगत कराना है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रसार भारती ने 'भारत को जानिए कार्यक्रम' के प्रतिभागियों के साथ सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र की कार्य-प्रणाली तथा घरेलू/वैश्विक स्तर पर भारत की मीडिया भागीदारी पर विभिन्न संवादात्मक सत्र आयोजित किए।

विदेशी राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)

भारत सरकार की ओर से संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, ताकि देश-विदेश के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जा सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, ये कार्यक्रम/समझौते भारत और अन्य राष्ट्रों के बीच मास मीडिया, पत्रकारिता, प्रसारण, अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और प्रकाशनों के क्षेत्र में विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 30 सितंबर, 2024 को जमैका सरकार के साथ एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत और यूनेस्कोः

भारत, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जन संचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत सरकार द्वारा 1949 में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मामलों में रुचि रखने वाले अपने प्रमुख निकायों को यूनेस्को के काम से जोड़ना था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईएनसीसीयू को समय-समय पर पुनर्गठित किया जाता है और इसमें शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और संचार पर पांच विषयगत उप-आयोग शामिल हैं। संचार पर उप आयोग की अध्यक्षता सचिव (सूचना एवं प्रसारण) करते हैं और इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयों के संस्थागत सदस्य एवं प्रख्यात पत्रकारों और मीडिया हस्तियों सहित गैर-संस्थागत सदस्य शामिल होते हैं।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी-2024) के अवसर पर ट्राई द्वारा आयोजित 'प्रसारण क्षेत्र में उभरते रुझान और प्रौद्योगिकियां' विषय पर आधे दिन की संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ट्राई के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू और ट्राई के सचिव श्री अतुल कुमार चौधरी भी उपस्थित थे।

8 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उसके संबद्ध/अंतर्गत कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व 31 दिसंबर, 2024 तक निम्नवत है :

क्र. सं.	वर्ग	कुल कर्मचारी (स्वीकृत)	कुल कर्मचारी (कार्यरत)	अनुसूचित जाति (प्रतिनिधित्व)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिनिधित्व)	अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिनिधित्व)	ईडब्ल्यूएस वर्ग (प्रतिनिधित्व)	अनारक्षित (प्रतिनिधित्व)
1.	क	4262	2044	364	181	172	01	1326
2.	ख	23127	7766	1151	786	1247	17	4565
3.	ग तथा घ	24089	9170	1907	1415	1439	31	4378
	कुल	**51,478**	**18,980**	**3,422**	**2,382**	**2,858**	**49**	**10,269**

■■■

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान; केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू 18 जुलाई, 2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों- 'विंग्स टू आवर होप्स-वॉल्यूम-I (अंग्रेजी) और 'आशाओं की उड़ान-खंड-I (हिंदी), 'राष्ट्रपति भवन : हैरिटेज़ मीट्स द प्रेजेंट' तथा 'कहानी राष्ट्रपति भवन की' के लोकार्पण के अवसर पर।

9 सेवा में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के संबंध में समय-समय पर जारी निदेश और दिशा-निर्देश अनुपालन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय तथा सभी मीडिया इकाइयों को प्रसारित किए जाते हैं। मुख्य सचिवालय में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के हितों की देखभाल के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है।

मंत्रालय में वार्षिक आधार पर दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व का लेखा-जोखा तैयार कर डीओपीटी को प्रेषित किया जाता है। इस दिशा में 1 दिसंबर, 2024 को मंत्रालय में दिव्यांगजनों का समग्र प्रतिनिधित्व और सीधी भर्तियों एवं प्रोन्नति कोटा नीचे दिया गया है-

सेवा में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व दर्शाती वार्षिक तालिका

(वर्ष 2024-25 के लिए, 31 दिसंबर, 2024 तक)

मंत्रालय/विभाग : सूचना एवं प्रसारण

समूह	कर्मचारियों की संख्या						
	कुल पद	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	क	ख	ग	घ	ड़
समूह क	3608	69	10	1	26	-	1
समूह ख	17334	529	17	22	92	1	1
समूह ग और घ	17767	440	18	4	40	-	1
कुल	**38709**	**1038**	**45**	**27**	**158**	**1**	**3**

नोट :

(क) नेत्रहीन अथवा कमज़ोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति।

(ख) बधिर व्यक्ति तथा सुनने में कम सक्षम व्यक्ति।

(ग) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, एसिड अटैक पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास सहित लोकोमोटिव विकलांगता।

(घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी।

(ड़) (क) से (घ) के अंर्तगत आने वाले व्यक्तियों में अनेक दिव्यांगताएं शामिल हैं जिनमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए निर्धारित पदों में बधिरता और नेत्रहीनता भी शामिल है।

■■■

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू 30 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर एकता शपथ का नेतृत्व करते हुए।

10 राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में रोज़मर्रा के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने तथा संघ की राजभाषा नीति और इसके तहत बनाए गए राजभाषा नियमों का कार्यान्वयन करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) का हिन्दी अनुभाग निदेशक (रा.भा.) के एक पद, उप-निदेशक (रा.भा.) के एक पद, सहायक निदेशक (रा.भा.) के दो पद, वरिष्ठ अनुवादक के दो पद, कनिष्ठ अनुवादक के दो पद और अन्य सहायक कर्मचारियों के संस्वीकृत पदों के साथ कार्य कर रहा है।

मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है जिसकी नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में मंत्रालय और इसके अधीनस्थ 14 मीडिया इकाइयों में राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाती है और बैठक में लिए गए परामर्श/निर्णय सभी प्रभागों/स्कंधों को सूचित किए जाते हैं ताकि आधिकारिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके।

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में अधिक-से-अधिक काम हिन्दी में करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) में दिनांक 14 से 29 सितंबर, 2024 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। 14 सितंबर, 2024 को हिन्दी दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का संदेश मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों को प्रसारित किया गया।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी भाषी और गैर-हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए छह हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में कुल 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 48 अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार विजेता बने। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन हेतु प्रोत्साहन योजना प्रत्येक वर्ष लागू की जाती है। मंत्रालय में हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह आयोजित किया गया जिसमें सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा मंत्रालय के 14 अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसरण में इस अवधि के दौरान मंत्रालय की 5 मीडिया इकाइयों एवं 10 अनुभागों का निरीक्षण किया गया। मंत्रालय द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को प्रेषित की गईं।

मंत्रालय की अपनी वेबसाइट है जिसे हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में बनाया गया है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में 'महाकुम्भ 2025' को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक विशेष गीत का शुभारंभ किया।

11 महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां

राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए, मंत्रालय में 1992 में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। बाद में विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए शिकायत समिति के रूप में 16 मई, 2002 को प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया। 13 जनवरी, 2006 को महिला प्रकोष्ठ में गैर-अधिकारिक सदस्य के रूप में वाईडब्ल्यूसीए से एक बाह्य विशेषज्ञ को शामिल किया गया।

बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अनुशंसा के आधार पर 25 अक्टूबर, 2013 को महिला प्रकोष्ठ का नाम बदलकर 'आंतरिक शिकायत समिति' कर दिया गया था।

इस समिति का पुनर्गठन 20 जनवरी, 2025 को परिपत्र संख्या बी-11020/17/2011-प्रशासन III (खंड-II) के तहत किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निदेशक (बीए-पी) सुश्री ज्योति मेहता को आईसीसी का अध्यक्ष नामित किया गया। इसके अलावा, वाईडब्ल्यूसीए ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधक और बाह्य विशेषज्ञ सुश्री प्रनीता बिस्वासी को इस समिति के गैर-आधिकारिक सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। मंत्रालय की तीन अन्य महिला सदस्य और एक पुरुष सदस्य इसके आधिकारिक सदस्य हैं।

आंतरिक शिकायत समितियां मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में भी काम कर रही हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के संबंध में जारी दिशा-निर्देश भी इस मंत्रालय के अधीन सभी मीडिया इकाइयों को अनुपालन के लिए भेजे जाते हैं।

इसके अलावा, 2022 में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के निदेशानुसार डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या (पीआईएल) 33000 के तहत उड़ीसा उच्च न्यायालय की कटक खंडपीठ के समक्ष श्रीमती बायोट प्रोजना त्रिपाठी बनाम ओडिशा सरकार मामले में निर्णय के तहत इस मंत्रालय में पिछली आंतरिक शिकायत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में आवश्यक बिल बोर्ड, नोटिस बोर्ड, शी बॉक्स (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) तथा 'क्या करें और क्या न करें' संबंधी पोस्टर को इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के विभिन्न स्थानों पर लगाया जाना निर्देशित हुआ है।

■■■

28 नवंबर, 2024 को गोवा में 55वें इफ्फी समापन समारोह में अभिनेत्री श्रेया सरन द्वारा नृत्य प्रदर्शन।

12 सतर्कता संबंधी मामले

मंत्रालय के भीतर सतर्कता ढांचा सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की समग्र निगरानी में संचालित होता है। मंत्रालय के सतर्कता विंग के शीर्ष पर मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होता है, जो संयुक्त सचिव के पद पर होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुमोदन से होती है। सीवीओ का चयन मंत्रालय के संभाग प्रमुखों में से किया जाता है।

मंत्रालय की संरचना के भीतर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सीवीओ को एक उप सचिव (सतर्कता), अवर सचिव (सतर्कता) और एक समर्पित सतर्कता अनुभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करते हुए, सीवीओ मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के साथ-साथ सीवीसी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बीच कड़ी का काम करता है।

मंत्रालय के स्वायत्त/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पंजीकृत सोसाइटियों के भीतर स्वतंत्र सतर्कता तंत्र मौजूद हैं। मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सीवीसी द्वारा स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार इन संस्थाओं में सतर्कता गतिविधियों की देखरेख और समन्वय करता है।

मंत्रालय और इसकी संबद्ध मीडिया इकाइयों के भीतर सतर्कता ढांचा भ्रष्टाचार मुक्त कार्य वातावरण बनाने के लिए समर्पित है। यह प्रतिबद्धता प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से प्रकट होती है। इन प्रयासों में नियमित और औचक निरीक्षण करना, संवेदनशील पदों के लिए स्टाफ रोटेशन नीतियों को लागू करना और स्थापित नियमों और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना शामिल है।

1 जनवरी, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच कुल 22 नियमित निरीक्षण और 12 औचक निरीक्षण किए गए। इस अवधि के दौरान, मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों को विभिन्न स्रोतों से 234 नई शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से सभी की जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप 83 मामलों में प्रारंभिक जांच शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, इस समयावधि के दौरान 53 प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुईं। 8 नए मामलों में बड़े दंड के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू हुई और 5 नए मामलों में छोटे दंड के लिए। इस अवधि के दौरान, 22 मामलों में बड़े दंड लगाए गए और 5 मामलों में मामूली दंड लगाए गए, जबकि 6 मामलों में प्रासंगिक नियमों के अनुसार प्रशासनिक उपाय किए गए।

सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए सीवीसी सरकारी संगठनों, सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा सत्यनिष्ठा समझौतें की अवधारणा को अपनाने और लागू करने की सिफारिश करता है। समझौते में अनिवार्य रूप से संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की परिकल्पना की गई है, जो दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी भ्रष्ट आचरण का सहारा नहीं लेने के लिए प्रतिबद्ध करता है। सत्यनिष्ठा समझौते को संगठन द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाह्य मॉनिटरों (आईईएम) के एक पैनल के माध्यम से लागू किया जाता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करेगा कि क्या और किस हद तक पार्टियों ने संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है। मंत्रालय ने दो स्वतंत्र बाह्य मॉनिटरों श्रीमती रश्मि वर्मा, आईएएस (सेवानिवृत्त) और श्री ओम प्रकाश दाधीच, आईआरएस (सेवानिवृत्त) को 31 मार्च, 2023 से तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए नियुक्त किया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार, सतर्कता जागरुकता सप्ताह-2024 के अग्रदूत के रूप में निवारक सतर्कता उपायों-सह-हाउसकीपिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 16 अगस्त, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक तीन महीने की अभियान अवधि शुरू की गई। अभियान अवधि के फोकस क्षेत्र थेः (क) क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, (ख) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन, (ग) परिपत्रों/दिशा-निर्देशों/मैनुअल का अद्यतन, (घ) 30 जून, 2024 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान और (ड़) गतिशील डिजिटल उपस्थिति।

मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों द्वारा निवारक सतर्कता के इन पांच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित तीन महीने के अभियान ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जो ठोस परिणामों और पर्याप्त प्रगति द्वारा चिह्नित है। इन क्षेत्रों में ठोस प्रयासों के माध्यम से, मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों ने अपने सतर्कता ढांचे को मजबूत किया है।

अभियान अवधि के दौरान आउटरीच गतिविधियों के तहत मंत्रालय और मीडिया इकाइयों ने निवारक सतर्कता पर जागरुकता फैलाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के साथ सक्रिय रूप से काम किया। इस उद्देश्य के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कुल 1,655 स्कूली छात्रों और 330 कॉलेज छात्रों ने भाग लिया।

मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों ने 28 अक्टूबर, 2024 से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह भी मनाया, जिसका विषय था "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"। सतर्कता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं-गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। इन-हाउस सतर्कता पत्रिका 'सतर्क-2024' का तीसरा संस्करण भी प्रकाशित किया गया है।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ 12 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए।

28 नवंबर, 2024 को गोवा में 55वें इफ्फी समापन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू द्वारा अभिनेता विक्रांत मैसी को वर्ष का 'भारतीय फिल्म व्यक्तित्व' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

13 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण

नागरिक चार्टर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नागरिक/ग्राहक चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mib.gov.in पर उपलब्ध है। चार्टर में निम्नलिखित 13 मुख्य सेवाएं शामिल की गई हैं, जो इस मंत्रालय द्वारा अपने हितधारकों को सीधे प्रदान की जा रही हैं:-

(i) संभावित लाइसेंसधारकों को डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना;

(ii) मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को पंजीकरण जारी करना;

(iii) संभावित लाइसेंसधारकों को हिट्स सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना;

(iv) भारत में संचालन के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण;

(v) अप लिंकिंग/डाउन लिंकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलीपोर्ट स्थापित करना;

(vi) भारत से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की अप लिंकिंग/डाउन लिंकिंग के लिए अनुमति मंजूरी प्रदान करना;

(vii) विदेश से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग के लिए अनुमति जारी करना;

(viii) नई एजेंसी द्वारा अपलिंकिंग के लिए मंजूरी प्रदान करना;

(ix) सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना;

(x) विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी निवेश वाली इकाई द्वारा विदेशी पत्रिकाओं/जर्नलों/आवधिक पत्रिकाओं/नई पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए स्वीकृति पत्र जारी करना;

(xi) विदेशी निवेश वाली इकाई द्वारा समाचार और समसामयिक मामलों/समाचार-पत्रों से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों के भारतीय संस्करणों को विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त इकाई/विदेशी निवेश प्राप्त/अप्राप्त इकाई द्वारा विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिकृति संस्करण के प्रकाशन के लिए स्वीकृति पत्र जारी करना।

(xii) शिकायत निवारण तंत्र; और

(xiii) भारत में फीचर फिल्म/रियलिटी टीवी शो/कमर्शियल टीवी धारावाहिकों के फिल्मांकन के लिए विदेशी निर्माताओं को एफएफओ के माध्यम से अनुमति पत्र जारी करना।

शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय में प्राप्त शिकायत याचिकाओं को कम्प्यूटरीकृत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में पंजीकृत एवं संसाधित किया जाता है। प्राप्त सभी याचिकाओं को मानदंडों के अनुसार पावती दी जाती है तथा पावती पत्र में शिकायत की पंजीकरण संख्या, निपटान का अपेक्षित समय तथा संपर्क व्यक्ति का विवरण होता है। शिकायत निवारण के लिए शिकायत याचिकाओं को संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों/प्रभागों को भेजा जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता को नियमानुसार उपयुक्त उत्तर भेजने का निर्देश दिया जाता है। इन याचिकाओं की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है, जिनके अंतर्गत संबंधित कार्यालयों/प्रभागों को अनुस्मारक भेजना तथा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल होता है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी मीडिया इकाइयों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, सामान्यतः एक अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे का नहीं, को उस इकाई का लोक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में, संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विचार-विमर्श किया जाता है। याचिकाओं के अंतिम निपटान के बारे में स्थिति की जानकारी भी याचिकाकर्ताओं को डाक या सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से दी जाती है।

जन शिकायतों के निपटान/निस्तारण के लिए तंत्र को सक्रिय करने के बारे में दिशा-निर्देश प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, आदि से प्राप्त समय-समय पर सभी मीडिया इकाइयों/स्वायत्त निकायों, आदि को वितरित किया जाता हैं। मंत्रालय में शिकायतों के निपटान की निगरानी की जाती है।

शिकायत निवारण के लिए प्रस्तावित समय-सीमा

क्रम संख्या	विषय	समय
1	याचिकाकर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना	3 दिन
2	शिकायत याचिका को संबंधित प्रशासनिक विंग/उत्तरदायी केंद्र में स्थानांतरित करने में लगने वाला समय	2 दिन
3	शिकायतकर्ता से शिकायत या स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति जो भी बाद में प्राप्त हो, की तिथि से उसको दिये जाने वाले अंतिम उत्तर में लगने वाला समय	21 दिन

01 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक मंत्रालय में शिकायत की समीक्षा स्थिति

31/12/2023 तक आगे बढ़ाई गई शिकायतें	प्राप्त शिकायतें (01-01-2024 से 31-12-2024 तक)	कुल शिकायतें	शिकायत निपटान (01-01-2024 से 31-12-2024 तक)	लंबित शिकायतें 31-12-2024 तक
310	3,850	4,160	3,986	174

मंत्रालय को प्राप्त अधिकांश शिकायतें निम्नलिखित श्रेणियों की हैं:

क्र.सं.	शिकायत श्रेणी	01-01-2024 से 31-12-2024 तक प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत
1	स्वतः अग्रेषित होने के कारण श्रेणी निर्दिष्ट नहीं की	14.68%
2	अन्य मंत्रालयों से संबंधित याचिकाएं	14.65%
3	डीटीएच ऑपरेटर्स एलसीओ/एमएसओ के खिलाफ शिकायतें	11.09%
4	पेंशन मामले/पेंशन और अन्य लाभ जारी करने में देरी	11.09%
5	डिजिटल मीडिया विषय-वस्तु	7.19%
6	विविध	6.91%
7	सुझाव और प्रश्न	5.53%
8	विषय-वस्तु समाचार और गैर-समाचार कार्यक्रम का प्रसारण	4.99%
9	पंजीकरण और शीर्षक सत्यापन	4.42%
10	प्रेस पत्रकारों के मामले	3.40%
11	फिल्म विषय-वस्तु के मामले	2.70%
12	अनुकंपा नियुक्तियां	2.42%
13	सेवा मामलेः अस्थायी कर्मचारी	2.29%
14	सेवा मामलेः नियमित कर्मचारी	2.26%
15	विषय-वस्तु विज्ञापन का प्रसारण	1.71%
16	भ्रष्टाचार और कदाचार	1.43%
17	प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं की सदस्यता/प्रकाशन	1.30%
18	प्रेस विषय-वस्तु मामले	1.22%
19	पेंशन मामलेः पेंशन का गलत निर्धारण	0.26%
20	पेंशन मामलेः पेंशन का पुनर्निर्धारण	0.23%
21	उत्पीड़न और दुर्व्यवहार	0.13%
22	विज्ञापन और प्रचार मामले	0.05%
23	यौन उत्पीड़न	0.03%
24	अनिर्दिष्ट श्रेणी	0.03%
25	कोविड-19 से संबंधित मुद्दे	0.00%

■■■

एफटीआईआई के छात्र की फिल्म 'सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन्स टू नो' ने 77वें कान्स फिल्म महोत्सव में 'ला सिनेफ' पुरस्कार जीता।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 30 अगस्त, 2024 को असम के चिरांग में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया।

14 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों के संबंध में लोक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके। सूचना का अधिकार का मतलब इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना के अधिकार से है, जो किसी भी लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में या उसके पास है। इसमें निम्न अधिकार शामिल हैं-

1. कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
2. दस्तावेज़ों या रिकॉर्ड की टिप्पणी, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना;
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना;
4. सीडी के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी प्राप्त करना या यदि ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण में संग्रहीत होती है तो उसका प्रिंटआउट लेना।

मुख्य सचिवालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आरटीआई से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए एक नोडल आरटीआई अनुभाग स्थापित किया गया। यह अनुभाग आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले आवेदनों को एकत्रित करता है, वितरित करता है और विषय-वस्तु से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मंत्रालय तथा इससे संबंधित कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी आवेदन, अपीलें और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्णय, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आरटीआई सेल) से प्राप्त होते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 24 केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों और 19 प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (एफएए) को जानकारी प्रदान करने और दायर अपीलों पर निर्णय लेने के लिए नामित किया है। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट mib.gov.in पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार संबंधी वर्षवार प्राप्त आवेदन तथा अपीलें और उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा नीचे दी गई है:

वर्ष	प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई
2021	1,512
2022	1,365
2023	1,191
2024	1,420

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में वर्ष 2024 के दौरान 1,309 आरटीआई आवेदन और 111 अपीलें प्राप्त हुईं, जिसमें से 1,100 आवेदन और 79 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं। आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए सभी आवेदनों और अपीलों को संबंधित लोक प्राधिकरणों/ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को तुरंत हस्तांतरित/अग्रेषित कर दिया गया। 2024 की अवधि के दौरान आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क/निरीक्षण शुल्क के रूप में 7,164 रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ आगंतुकों से प्राप्त आरटीआई संबंधी सभी सवालों के जवाब भी देता है।

आरटीआई आवेदनों के लिए निस्तारण तंत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाती है और जो आवेदन इस मंत्रालय से संबंधित नहीं होते, उन्हें संबंधित मंत्रालय के लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। शेष आवेदन मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों को भेज दिए जाते हैं।

लंबित आवेदनों पर कार्रवाई के लिए बार-बार केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों को अनुस्मारक भेजे जाते हैं, ताकि आवेदक को जानकारी प्रदान करने में विलंब न हो।

आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन और अपीलें मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय

प्राधिकारियों को ऑनलाइन भेजी जाती है। भौतिक रूप से प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों के त्वरित और समय पर निपटान के लिए मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को स्कैन, अपलोड कर भेजी जाती है। सभी केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को आवेदनों/अपीलों की स्थिति की जांच करने और उनका ऑनलाइन उत्तर भेजने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने धारा 4 (1) बी और 4 (2) के तहत दायित्वों को पहले ही पूरा कर लिया है। जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई सभी सूचनाओं के स्वतः प्रकटीकरण से संबंधित है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना नियमावली (मैनुअल) को समय-समय पर संशोधित/अद्यतन किया जा रहा है। प्राप्त, अस्वीकृत तथा हस्तांतरित किए गए आवेदनों/अपीलों के आंकड़ों की त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत निकायों द्वारा केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वे इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव 05 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ जीपीयू, मॉडल और एप्लिकेशन सहित संपूर्ण एआई स्टैक के निर्माण पर चर्चा करते हुए।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू और महोत्सव के निदेशक श्री शेखर कपूर 28 नवंबर, 2024 को गोवा में 55वें इफ्फी में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए।

15 लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का लेखा संगठन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, मुख्य लेखा प्राधिकारी के तौर पर वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियत्रंक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, मुख्यालय स्थित 03 प्रधान लेखा अधिकारियों और 14 वेतन एवं लेखा कार्यालयों, जिसमें केवल जीपीएफ तथा पेंशन के प्रयोजन से प्रसार भारती और उसकी क्षेत्र संरचना से जुड़े 06 वेतन व लेखा कार्यालय शामिल हैं, की सहायता से करते हैं। क्षेत्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा दल चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में तैनात हैं, जिनके कार्यों की निगरानी आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध द्वारा मुख्यालय में की जाती है।

दायित्व

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारियां निम्न हैः

- मंत्रालय के मासिक खातों का एकीकरण और इसे लेखा महानियंत्रक (सीजीए) को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग खाते।
- केंद्रीय लेन-देन का विवरण।
- 'एक नज़र में लेखा' तैयार करना।
- केंद्रीय वित्त खाते जो लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय और लेखा परीक्षा के प्रधान महानिदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं और स्वायत्त निकायों आदि को अनुदान सहायता प्रदान करना।
- सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना, यदि आवश्यक हो तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके।
- प्राप्ति बजट की तैयारी।
- पेंशन बजट की तैयारी।
- लेखा महानियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और मान्यता प्राप्त बैंक में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावी करना।
- मान्यताप्राप्त बैंक, जैसे भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से की गई सभी प्राप्तियों और भुगतानों का सत्यापन और मिलान करना।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संभालना और शेष नकद राशि का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा इसके अनुदानग्राही संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा करना।
- सभी संबंधित प्राधिकरणों/प्रभागों को लेखांकन की जानकारी उपलब्ध कराना।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का बजट समन्वय कार्य।
- नई पेंशन योजना की निगरानी और समय-समय पर पेंशन मामलों का पुनरीक्षण।
- खातों का ई-भुगतान और कम्प्यूटरीकरण।
- लेखा संगठन के प्रशासनिक और समन्वय कार्य।
- अनुदान प्राप्त संस्थानों/स्वायत्त निकायों में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत पीएफएमएस को पेश करना।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी)।

वेतन और लेखा विभाग; विभागीय लेखा संगठन की मूल इकाई है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

- नॉन-चेक आहरण डीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋण और सहायता अनुदान सहित सभी बिलों की पूर्व जांच और भुगतान।
- प्रस्तावित नियमों एवं कायदों के अंतर्गत सभी भुगतानों का सटीक और समयोचित निपटारा।
- रसीदों की समयोचित प्राप्ति।
- चेक आहरण डीडीओ को त्रैमासिक लेटर ऑफ क्रेडिट देना और उनके वाउचर/बिलों का कार्य के पश्चात निरीक्षण।
- रसीदों और खर्चों का मासिक संकलन और चेक आहरण डीडीओ के खातों के साथ उन्हें संलग्न करना।
- विलयित डीडीओ के अतिरिक्त जीपीएफ खातों की देख-रेख और सेवानिवृत्ति लाभों को अधिकृत करना।
- सभी डीडीआर प्रमुखों का संधारण।
- बैंकिंग व्यवस्था द्वारा ई-भुगतान के ज़रिए मंत्रालय/विभाग की सेवाओं को प्रभावशाली बनाना।
- प्रस्तावित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन।
- समयोचित, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और लाभकारी वित्तीय रिपोर्टिंग।
- पीएओ/चेक ड्राइंग डीडीओ के लिए और उनकी ओर से चेक बुक की खरीद और आपूर्ति करना।

प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकारी को लेखांकन जानकारी और डेटा भी प्रदान किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुदान के विभिन्न सब-हेड/ऑब्जेक्ट-हेड के तहत मासिक और क्रमिक व्यय के आंकड़े मीडिया प्रभाग के संयुक्त सचिव सहित मंत्रालय की बजट शाखा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के निमित्त व्यय की प्रगति को साप्ताहिक रूप से सचिव तथा अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार के साथ-साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के व्यय की बेहतर निगरानी के प्रयोजनों से अनुदान को नियंत्रित करते हैं।

लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भवन निर्माण अग्रिम और सामान्य भविष्य निधि खातों जैसे लंबी अवधि के अग्रिमों के खातों का भी रख-रखाव करता है।

अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार का सत्यापन और प्रमाणीकरण वेतन व लेखा कार्यालयों द्वारा सेवा विवरणों और कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा पेश किए गए पेंशन काग़ज़ातों के आधार पर किया जाता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभ और भुगतान जैसे- ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन के बराबर नकद राशि के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना के तहत भुगतान, सामान्य भविष्य निधि आदि डीडीओ द्वारा उपयुक्त जानकारी/बिल प्राप्त होने पर वेतन व लेखा कार्यालयों द्वारा जारी किए जाते हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध

आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों की लेखा-परीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। मुख्य लेखा प्राधिकारी और वित्तीय सलाहकार के अधीन समग्र मार्गदर्शन में काम करने वाले आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध ने एक कुशल और प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा परम्परा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तरीके से शासन संरचनाओं को मजबूत करने, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय के अधीन भारत भर में 213 विभिन्न मीडिया इकाइयां (प्रसार भारती-135 और गैर-प्रसार भारती-78) हैं जो आंतरिक लेखा परीक्षा के समीक्षा क्षेत्र में आती हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती में 01 जनवरी, 2024 तक और 31 दिसंबर, 2024 तक के बकाया आंतरिक लेखा पैरा की स्थिति इस प्रकार है:

I. प्रसार भारती				
क्षेत्र	**दिनांक 01.01.2024 तक बकाया पैरा**	**01.01.2024 से 31.12.24 तक बढ़ाया गया पैरा**	**01.01.2024 से 31.12.2024 तक ड्राप किए गए पैरा**	**31.12.2024 को कुल बकाया पैरा**
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	515	155	110	560
पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई)	410	45	36	419
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	331	143	57	417
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	599	188	147	640
कुल (I)	**1,855**	**531**	**350**	**2,036**
II. गैर-प्रसार भारती				
क्षेत्र	**दिनांक 01.01.2024 तक बकाया पैरा**	**01.01.2024 से 31.12.2024 तक बढ़ाया गया पैरा**	**01.01.2024 से 31.12.2024 तक ड्रॉप किए गए पैरा**	**31.12.2024 को कुल बकाया पैरा**
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	302	05	15	292
पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई)	610	28	32	606
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	501	17	49	469
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	384	25	53	356
कुल (II)	**1,797**	**75**	**149**	**1,723**
कुल योग (I + II)	**3,652**	**606**	**499**	**3,759**

आईआरएलए (व्यक्तिगत रनिंग लेजर अकाउंटिंग सिस्टम)

वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) दूसरे मंत्रालयों के अन्य विभागीय पीएओ के साथ अस्तित्व में आया। आईआरएलए प्रणाली (ग्रुप-ए अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत रनिंग लेजर अकांटिंग प्रणाली) का विचार एक केंद्रीय प्रणाली में सभी सेवा और भुगतान विवरण रखने से उत्पन्न हुआ ताकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती के अधिकारियों, जिनका भारत में कहीं भी स्थानांतरण हो सकता है, अपना वेतन सुविधापूर्वक प्राप्त कर सकें। वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) देशभर के विभिन्न शहरों में स्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती (दूरदर्शन और आकाशवाणी) के कार्यालयों के सेवा और वेतन रिकॉर्ड का रखरखाव कर रहा है। प्रसार भारती में तैनात आईआरएलए अधिकारी वेबसाइट https://accounts.prasarbharati.org पर लॉग इन कर के वेतन पर्ची, आय कर फॉर्म-16 और जीपीएफ स्टेटमेंट आदि देख सकते हैं और अन्य आईआरएलए अधिकारी पीएफएमएस के ईआईएस मॉड्यूल में उपरोक्त सुविधाएं (आयकर फॉर्म-16 को छोड़कर) प्राप्त कर सकते हैं।

बैंकिंग व्यवस्था : भारतीय स्टेट बैंक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पीएओ और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मान्यताप्राप्त बैंक हैं। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा प्रोसेस्ड ई-भुगतान विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खाते के पक्ष में सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से किए जाते हैं। कुछ मामलों में, पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए मान्यताप्राप्त बैंक की नामित शाखा को प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर-कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा, रसीदें संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा मान्यताप्राप्त बैंकों को भी भेजी जाती हैं। मान्यताप्राप्त

बैंक में किसी भी बदलाव के लिए लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में कुल 14 वेतन एवं लेखा कार्यालय हैं जिनमें से प्रसार भारती से जुड़े 6 पीएओ हैं। 5 कार्यालय दिल्ली में हैं तथा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में दो-दो और नागपुर, लखनऊ व गुवाहाटी में एक-एक पीएओ स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से जुड़े सभी भुगतान संबंधित पीएओ के साथ संलग्न पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अपनी मांगों/बिलों को नामित पीएओ/सीडीडीओ के पास प्रस्तुत करते हैं, जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सिविल लेखा नियमावली, प्राप्ति और भुगतान नियमों तथा अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के बाद चेक/ई-भुगतान जारी करते हैं। पीएफएमएस और ई-भुगतान के माध्यम से भेजे गए सभी भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचते हैं।

खातों का कम्प्यूटरीकरण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन में खातों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा लेखा कार्य के कम्प्यूटरीकरण के साथ शुरू हुई। वेतन एवं लेखा कार्यालय स्तर पर उपयोग के लिए एक बहु उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर को मौजूद आईएमपीआरओवीई सॉफ्टवेयर की जगह शामिल किया गया था। यह सॉफ्टवेयर सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों में कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। प्री-चेक, चेक लिखना, चेक समीक्षा, स्क्रॉल, ट्रांसफर प्रविष्टियां और समेकन जैसे सभी चरण इस पैकेज का उपयोग करके किए जा रहे थे। नवंबर, 2008 के महीने से मासिक खाता पीएओ द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति के साथ पुट थ्रू स्टेटमेंट के समायोजन के बाद ओ/ओ सीजीए को प्रस्तुत कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे विंडो आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग शीर्षवार विनियोग खातों, केंद्र सरकार के वित्त खाते (सिविल) की सामग्री और मासिक व्यय और प्राप्ति विवरणों को मंत्रालय को प्रस्तुत करने और अन्य एमआईएस उद्देश्यों के लिए तैयार करने के लिए भी किया जाता है। 'कॉम्पैक्ट' नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग वेतन और लेखा कार्यालयों में 2015-16 तक मासिक समेकित खाते के कम्प्यूटरीकरण के लिए किया गया था। बाद में 2016-17 में पीएफएमएस पेश किया गया था।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक कार्यालय (सीजीए), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। पीएफएमएस की विभिन्न मोड/कार्यों द्वारा क्रियान्वित आउटपुट/डिलिवरेबल्स में शामिल हैं (परंतु इन तक सीमित नहीं हैं) :

- भुगतान एवं राजकोषीय नियंत्रण
- प्राप्तियों का लेखा (कर और गैर-कर)
- लेखा कार्यों का संकलन और राजकोषीय रिपोर्ट तैयार करना
- राज्यों की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकरण।

पीएफएमएस का प्राथमिक कार्य आज एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ भुगतान-सह लेखा नेटवर्क की स्थापना करके भारत सरकार के लिए सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है।

पीएफएमएस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत भुगतान, लेखा और रिपोर्टिंग के लिए भी चैनल है। जैसे भारत सरकार का हर विभाग/मंत्रालय पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभार्थी (व्यक्तिगत या संस्था) को धनराशि अंतरित करता है।

मौजूदा समय में, पीएफएमएस के जरिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (जिनमें छह पीएओ जीपीएफ और पेंशन के लिए प्रसार भारती से जुड़े हैं) के सभी 14 वेतन एवं लेखा कार्यालय सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

पीएफएमएस के विभिन्न माड्यूलः

I. **पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूलः** यह माड्यूल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में लागू किया गया है।

II. पीएफएमएस का सीडीडीओ मॉड्यूलः पीएफएमएस के सीडीडीओ मॉड्यूल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी चेक आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में विस्तारित किया गया है।

III. मंत्रालय में गैर-कर राजस्व के संग्रह के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारतकोष)

- गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 01 नवंबर, 2016 से कार्य कर रहा है।
- एनटीआरपी का उद्देश्य भारत सरकार को देय गैर-कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नागरिकों/कॉरपोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं को एक वन-स्टॉप विंडो प्रदान करना है।
- भारत सरकार के गैर-कर राजस्व में अलग-अलग विभागों/मंत्रालयों द्वारा एकत्रित प्राप्तियों का एक बड़ा समूह शामिल है। मुख्य रूप से ये प्राप्तियां लाभांश, ब्याज प्राप्तियां, स्पेक्ट्रम शुल्क, आरटीआई आवेदन शुल्क, छात्रों द्वारा प्रपत्र/पत्रिकाओं की खरीद और नागरिकों/कॉरपोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐसे कई अन्य भुगतानों के रूप में आती है।
- पूरी तरह से सुरक्षित आईटी व्यवस्था में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आम उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंकों में जाकर ड्राफ्ट बनवाने और फिर सरकारी कार्यालयों में जाकर इन साधनों को जमा कराने के झंझट से बचाने में मददगार होते हैं। यह इन साधनों के सरकारी खाते में प्रेषण में देरी से बचने में मदद करता है और यह इन साधनों के बैंक खातों में देरी से जमा होने की अवांछनीय प्रथाओं को समाप्त करता है।
- एनटीआरपी ऑनलाइन भुगतान तकनीकों जैसे- इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके पारदर्शी वातावरण में तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक की अवधि के लिए गैर-कर राजस्व का संग्रहण एनटीआर ई-पोर्टल पर भारतकोष के माध्यम से 857.02 करोड़ रुपये रहा।

मंत्रालय में नए बदलाव

I. स्वायत्त निकायों में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट्स (टीएसए) मॉड्यूलः स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों को 'तत्क्षण' सरकारी अनुदान जारी करने की सुविधा प्रदान करने और पीएसबी में निधि की पार्किंग से बचाव तथा स्वायत्त निकायों/एजेंसियों के पास अप्रयुक्त अनुदानों के संचय से बचने के उद्देश्य से स्वायत्त निकायों को टीएसए प्रणाली के तहत लाया गया है। यह स्वायत्त निकायों/एजेंसियों को एकमुश्त नकद हस्तांतरण से भी बचाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी खाते से आहरण की सुविधा प्रदान करेगा।

टीएसए का उद्देश्य

- स्वायत्त निकायों के लिए निधियों को जारी करने के लिए 'तत्क्षण' सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार में बेहतर नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करके निधि प्रवाह की दक्षता में वृद्धि करना।
- ऋण की राशि को कम करके सरकार के ब्याज के बोझ को कम करना।
- सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों को उनके बैंक खातों में जारी निधि की पार्किंग से बचाव।

टीएसए प्रणाली पहले से ही पांच स्वायत्त निकायों यानी प्रसार भारती, आईआईएमसी, पीसीआई, एसआरएफटीआई और एफटीआईआई में लागू की जा चुकी है। स्वायत्त निकायों के अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान टीएसए का कार्यान्वयन एनएफडीसी (पीएसयू) में लागू किया गया है।

II. पीएफएमएस में इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) सिस्टम मॉड्यूलः केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) सिस्टम लॉन्च किया। 46वें नागरिक लेखा दिवस के अवसर पर केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रोसेसिंग सिस्टम लागू किया। यह व्यापक पारदर्शिता लाने और भुगतान की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए 'व्यापार करने में आसानी' और 'डिजिटल इंडिया इको-सिस्टम' का हिस्सा है। यह आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपना

दावा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान कर पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस-पेपरलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देगा, जो तत्काल ट्रैक करने योग्य होगा।

पीएफएमएस का ई-बिल मॉड्यूल सीजीए कार्यालय द्वारा पीएफएमएस में विकसित किया गया है। पीएफएमएस केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के पीएओ/डीडीओ के उपयोग के लिए सीजीए कार्यालय के माध्यम से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया को पेपरलेस अवधारणा में बदलने के लिए केंद्र सरकार की प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) नई प्रणाली में शामिल है। ई-बिल प्रणाली का उद्देश्य भुगतान में लगने वाले समय को कम करना और सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता तथा दक्षता को बढ़ाना है। यह एक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसमें दावेदारों और दावों को प्राप्त और संसाधित करने के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के पास व्यक्तिगत तौर पर पहुंच कायम करने की बाध्यता को कम किया जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 9 पीएओ में पीएफएमएस का ई-बिल मॉड्यूल पहले ही शुरू किया जा चुका है।

ई-पेमेंट के लाभ

- ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के कारण समय और श्रम की बचत होती है, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अद्वितीय ई-अधिकार पत्र के माध्यम से किया जाता है।
- सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया।
- भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता।
- भौतिक चेक और उनके मैन्युअल प्रोसेसिंग की समाप्ति।
- भुगतानकर्ता के चेक को अपने बैंक खाते में जमा करने की मैन्युअल बाध्यता से मुक्ति।
- समग्र भुगतान प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि।
- भुगतानों की ऑनलाइन स्वतः समाधान।
- लेखा संकलन की दक्षता में सुधार।
- सभी स्तरों पर लेन देन का पूर्ण लेखा परीक्षण

III. वित्त खातों का स्वचालन

सीजीए कार्यालय द्वारा पीएफएमस के साथ वित्त खातों के एकीकरण के प्रावधानों वाला एक पैकेज विकसित किया गया है और इससे सभी मंत्रालयों को सीजीए में वित्त खातों को ऑनलाइन जमा करने में सुविधा होगी। उपर्युक्त पैकेज से संबंधित एससीटी मॉड्यूल को 12 जुलाई, 2024 को जीआईएफएमआईएस द्वारा जारी किया गया और अब यह पीएफएमस वेबसाइट पर समानांतर चलाने के लिए तैयार है।

IV. विनियोजन खातों का स्वचालन

सीजीए कार्यालय द्वारा विनियोग खातों को पीएफएमस के साथ एकीकृत करने वाला एक पैकेज विकसित किया जा रहा है और इससे सभी मंत्रालयों को सीजीए कार्यालयों में विनियोग खातों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सुविधा होगी। उपर्युक्त पैकेज से संबंधित विनियोग लेखा (चरण I और चरण II) मॉड्यूल अब तक जीआईएफएमआईएस द्वारा जारी किया जा चुका है और अब यह पीएफएमस वेबसाइट पर समानांतर चलने के लिए तैयार है।

V. सामान्य भुगतान एग्रीगेटर पोर्टल का निर्माण :

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न प्रभागों की रसीदें स्वीकार करने के लिए ओ/ओसीसीए कार्यालय, एमआईबी एक साझा पीजीए पोर्टल बनाने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार एकत्रित रसीदें भारतकोश को भेजी जाएंगी, जिससे रसीदों का उचित संग्रह करने में सुविधा होगी और रिकॉर्ड रखने तथा मिलान करने में सुविधा होगी।

मंत्रालय का लेखा संगठन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में लेखा संगठन का ढांचा

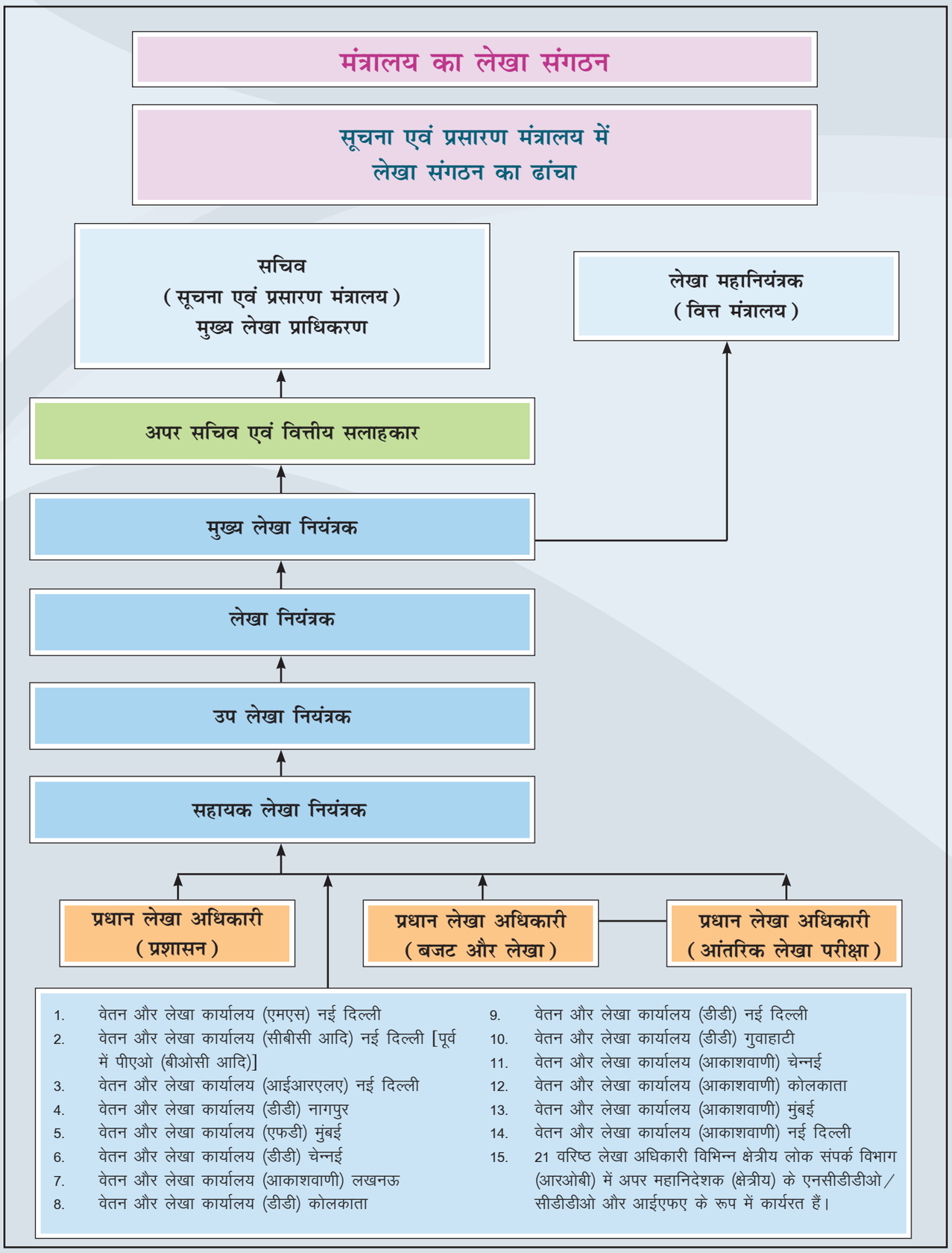

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 16 अक्टूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा फिल्म सिटी स्थित मारवाह स्टूडियो का दौरा किया।

16 लेखा पैरा

अनुलग्नक-क

क्रम संख्या	रिपोर्ट संख्या एवं वर्ष	पैरा संख्या	विषय का विवरण
1.	2023 की रिपोर्ट सं. 21	पैरा 4.2.2.2, अध्याय-4	लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण बचत (100 करोड़ रुपये या उससे अधिक) प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नेटवर्क डेवलपमेंट (बीआईएनडी) योजना में 119.32 करोड़ रुपये की बचत।
2.	2023 की रिपोर्ट सं. 21	पैरा 4.2.2 (अनुलग्नक 4.2)	बचत का विश्लेषणः खंडवार-वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 350.71 करोड़ रुपये की बचत हुई (मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2021-22 में महामारी के दौरान एसआरएफटीआई द्वारा बंद की गई गतिविधियों, बीआईएनडी योजना के तहत कम व्यय, रिक्त पद, एलटीसी, लीव इनकैशमेंट, चिकित्सा बिलों से संबंधित दावों की कम प्राप्ति, ई-सिनेप्रमाण पोर्टल पर कम व्यय तथा एफएम रेडियो फ़ेज-III की ई-नीलामी के तीसरे बैच रद्द करने के कारण)।
3.	2023 की रिपोर्ट सं. 21	पैरा 3.7 बी, अध्याय-3	ऋण एवं अग्रिम : चार ऋणदाता संस्थाओं से 2,216.69 करोड़ रुपये की बकाया राशि के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
4.	2024 का 8	पैरा संख्या 2.10	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), पुणे द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन का कार्यान्वयन।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 16 अक्टूबर, 2024 को उत्तर प्रदेश के नोएडा फिल्म सिटी के मारवाह स्टूडियो में सूरज प्रकाश मारवाह शूटिंग फ्लोर के उद्घाटन के अवसर पर।

17 कैट के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

वर्ष 2023-24 के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय और विभिन्न मीडिया इकाइयों के कैट संबंधी मामलों के निर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन की जानकारी इस प्रकार हैः

क्रम संख्या	मीडिया इकाइयां	वर्ष 2023-24 के लिए कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	2023-24 में कार्यान्वित निर्णयों/आदेशों की संख्या
1.	सीबीसी	7	3
2.	डीडी न्यूज़	1	0
3.	सीबीएफसी	7	1
4.	डीपीडी	1	1
5.	एसआरएफटीआई	5	5
6.	दूरदर्शन	102	16
7.	आकाशवाणी	82	19
	कुल	**205**	**45**

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ 13 जुलाई, 2024 को विश्व ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) 2025-25 के कर्टेन रेजर इवेंट के उद्घाटन के अवसर पर।

18 योजना परिव्यय

अनुलग्नक-क

क) निम्नलिखित क्षेत्र का योजना परिव्यय:

क्र. सं.	क्षेत्र	बजट अनुमान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए
1	सूचना	149.31
2	फिल्म	350.00
3	प्रसारण	505.00

ख. कुल केंद्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय (बजट अनुमान) के पूर्वोत्तर घटक (करोड़ रुपये में) का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	क्षेत्र	बजट अनुमान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए
1.	सूचना	14.93
2.	फिल्म	35.00
3.	प्रसारण	50.50

ग. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में 2024-25 के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय:

क्र.सं.	क्षेत्र	बजट अनुमान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए
1.	सूचना – डीसीआईडी	149.31
2.	फिल्म - डीसीडीएफसी	350.00
3.	प्रसारण – (मुख्य सचिवालय) (ए+बी)	505.00
4.	(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन (सीआरएस) (ख) बीआईएनडी	5.00 500.00

■■■

भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 10 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के 55वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहे।

19 मीडिया इकाई-वार बजट

मांग संख्या 61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
मीडिया इकाई-वार बजट				
राजस्व अनुभाग				
श्रेणी-I केंद्र का स्थापना व्यय (गैर-योजनागत व्यय)				
				(रुपये हजार में)
मीडिया इकाई/गतिविधियों के नाम	वास्तविक 2023-24	बजट अनुमान 2024-25	वास्तविक अनुमान 2024-2025	बजट अनुमान 2025-2026
मुख्य शीर्ष-'2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं				
मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)**#	797515	878260	852100	902300
प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ)	257603	293540	300500	339300
कुल मुख्य शीर्ष '2251'	**1055118**	**1171800**	**1152600**	**1241600**
मुख्य शीर्ष - '2205' - कला एवं संस्कृति सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों का प्रमाणन				
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	418863	369300	369200	381200
मुख्य शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म एवं प्रचार				
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी)	128657	142500	133650	139400
न्यू मीडिया विंग (पूर्व में अनुसंधान, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग)	17379	23800	26900	35300
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	1038170	1188100	1076650	1111900
केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी)	1825852	2001100	1927500	2010900
प्रकाशन विभाग	536837	516700	481983	491600
भारत के प्रेस महापंजीयक (पूर्व में भारत के समाचार पत्रों का पंजीयक)	102265	116600	132200	122700
संचार के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) में योगदान	0	1	1	1
एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) में योगदान	3214	3399	3399	3499
एसोसिएशन ऑफ मूविंग इमेजेस आर्काइविस्ट्स (एएमआईए) की वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान	35	0	0	0
एनएफएआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए योगदान	203	0	0	0
कुल : मुख्य शीर्ष '2220'	**3652612**	**3992200**	**3782283**	**3915300**
कुल : केंद्र का स्थापना व्यय (राजस्व)	**5126593**	**5533300**	**5304083**	**5538100**
मुख्य शीर्ष-'4220' - सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत व्यय				
मुख्य सचिवालय	14294	20000	212000	181900
प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ)	2951	3000	3000	3500
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	42487	31800	49050	39000

				(रुपये हज़ार में)
मीडिया इकाई/गतिविधियों के नाम	वास्तविक 2023-24	बजट अनुमान 2024-25	वास्तविक अनुमान 2024-2025	बजट अनुमान 2025-2026
पत्र सूचना कार्यालय के राष्ट्रीय प्रेस केंद्र और मिनी मीडिया सेंटर की स्थापना	0	100	100	100
प्रकाशन विभाग	16495	16500	17250	16500
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	672	1000	1900	1500
केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी)	34463	29900	34900	21900
भारत के प्रेस महापंजीयक (पूर्व में भारत के समाचार पत्रों का पंजीयक)	0	0	2500	2500
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी)	6561	28500	23400	20000
कुल : मुख्य शीर्ष '4220'	**117923**	**130800**	**344100**	**286900**
कुल : केंद्र का स्थापना व्यय (राजस्व+पूंजीगत)	**5244516**	**5664100**	**5648183**	**5825000**
श्रेणी-II केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (योजनागत व्यय)				
सूचना क्षेत्र				
विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2220'	3475167	1343800	1525500	2142800
पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	149300	169300	238100
कुल (डीसीआईडी)	**3475167**	**1493100**	**1694800**	**2380900**
फिल्म क्षेत्र				
विकास संचार और फिल्म सामग्री का प्रसार (डीसीडीएफसी)				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2220'	3141210	2892400	3342400	3116000
पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	350000	400000	363000
पूंजीगत मुख्य शीर्ष '4220'	257600	257600	257600	151000
कुल (डीसीडीएफसी)	**3398810**	**3500000**	**4000000**	**3630000**
प्रसारण क्षेत्र				
भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2220'	42438	45000	132600	156600
पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	5000	14700	17400
कुल (बीआईएनडी)	**42438**	**50000**	**147300**	**174000**
प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2221'	3453796	4500000	3600000	4500000
पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	500000	400000	500000
कुल (बीआईएनडी)	**3453796**	**5000000**	**4000000**	**5000000**
कुल (प्रसारण क्षेत्र)	**3496234**	**5050000**	**4147300**	**5174000**
कुल केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं	**10370211**	**10043100**	**9842100**	**11184900**
राजस्व अनुभाग	10112611	9785500	9584500	11033900
पूर्वोत्तर क्षेत्र आवंटन	0	1004300	984000	1118500
पूंजी के अंतर्गत आवंटन	257600	257600	257600	151000

(रुपये हज़ार में)

मीडिया इकाई/गतिविधियों के नाम	वास्तविक 2023-24	बजट अनुमान 2024-25	वास्तविक अनुमान 2024-2025	बजट अनुमान 2025-2026
श्रेणी-III अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (गैर-योजनागत व्यय)				
राजस्व अनुभाग				
भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)	359000	546900	805317	1086500
भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई)	92722	156400	103800	104800
एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक-विस्तारित वास्तविकता के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई एवीजीसी एक्सआर) - पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	0	0	3911500	0
भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, पुणे (एफटीआईआई)	706396	871100	731100	891100
सत्यजित रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई)	591720	814500	540000	524500
प्रसार भारती	25544117	25099400	24488100	23797000
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	233675	230000	180000	170000
कुल - अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय) (राजस्व अनुभाग)	**27527630**	**27718300**	**30759817**	**26573900**
पूंजी अनुभाग				
एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक-विस्तारित वास्तविकता के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई एवीजीसी एक्सआर)- निवेश	0	0	17000	0
कुल-पूंजीगत अनुभाग (अन्य केंद्रीय व्यय)	**0**	**0**	**17000**	**0**
कुल-अन्य केंद्रीय व्यय (राजस्व+पूंजीगत अनुभाग)	**27527630**	**27718300**	**30776817**	**26573900**
कुल योग (राजस्व अनुभाग) (स्थापना+योजना+अन्य केंद्रीय व्यय)	**42766834**	**43037100**	**45648400**	**43145900**
कुल योग (पूंजीगत अनुभाग) (स्थापना+योजना+अन्य केंद्रीय व्यय)	**375523**	**388400**	**618700**	**437900**
कुल - मांग सं. 61 (राजस्व+पूंजीगत)	**43142357**	**43425500**	**46267100**	**43583800**

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू 17 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 'प्रसारण क्षेत्र में उभरते रुझान और प्रौद्योगिकियां' संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का संगठन चार्ट

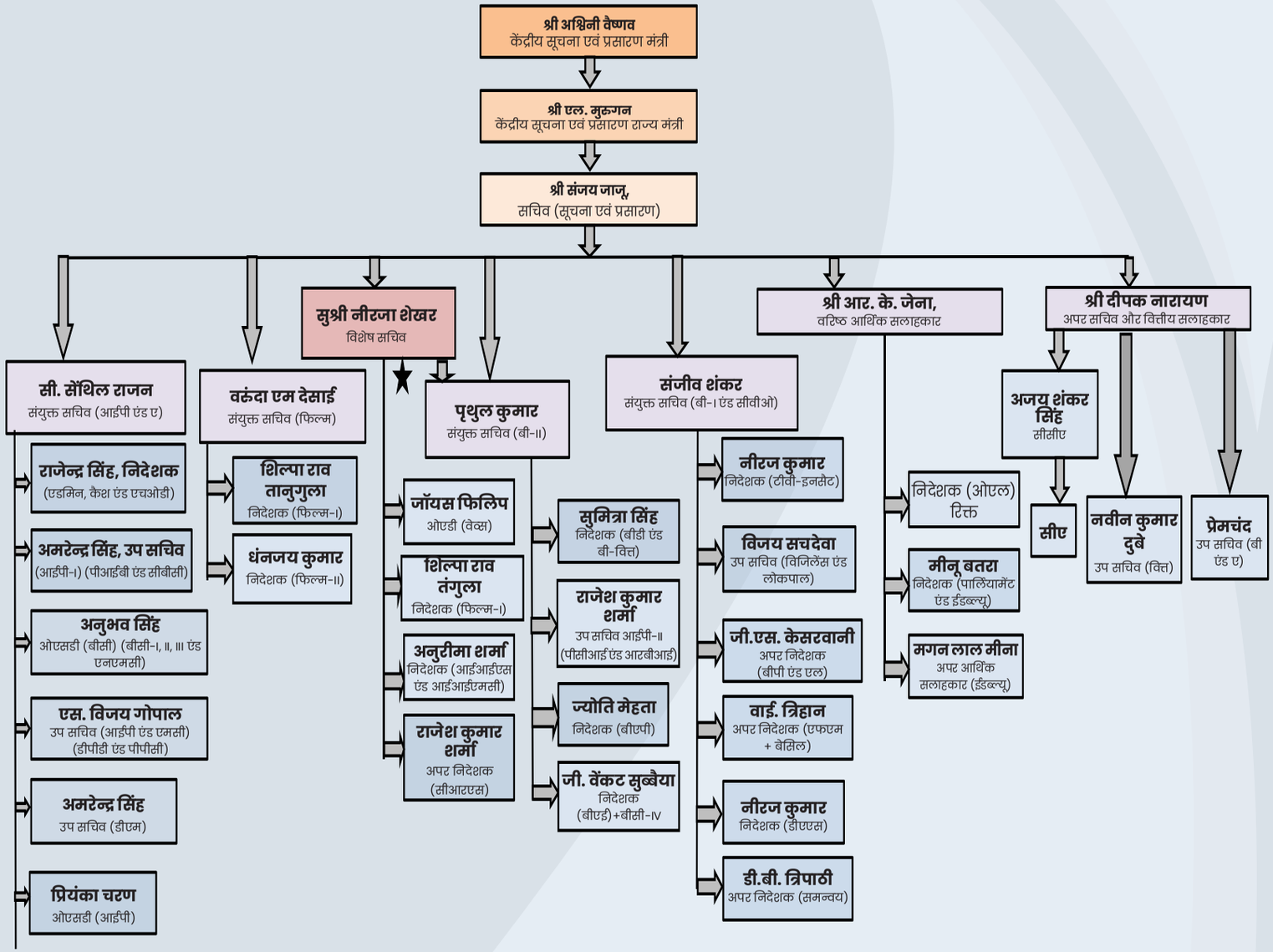

★ केवल स्तरीय मामलों से संबंधित सभी फाइलें तथा प्रसार भारती के कैडर/कार्मिक प्रबंधन को विशेष सचिव के माध्यम से संयुक्त सचिव बी-II द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

एंटरटेनमेंट की नई लहर

फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर

LIVE EVENTS | MOVIES | SHOWS | LIVE TV | LIVE RADIO | GAMES | NOSTALGIA | SHOP | E-BOOKS | AUDIO | CREATOR CORNER

ऐप डाउनलोड करें
और
निःशुल्क देखें

WAVES
BY PRASAR BHARATI

PDBN : I&B-ENG-HIN-3-2025